प्रोजेक्ट GAIA

पर्यावरण एवं सामाजिक प्रबंधन प्रणाली (ESMS)

जून 2023

विषय-तालिका

संकेताक्षर एवं शब्दावली 3
परिचय 4
भाग I: GAIA नीतियां 6
भाग II GAIA ESMS 12
GAIA निवेश चक्र के दौरान ESMS कार्य-संचालन सम्बंधी दिशानिर्देश 12
भूमिकाएं और दायित्व 18
निगरानी और रिपोर्टिंग 20
हितधारकों की संलग्नता 21
शिकायत प्रक्रिया यांत्रिकी 23
सूचना का प्रकटीकरण 26
ESMS की सतत समीक्षा 28
परिशिष्ट 29
परिशिष्ट 1 - GAIA प्रस्तावित क्षेत्र और कार्यकलाप 30
परिशिष्ट 2 – प्रायोजक-सम्बंधी मानव-अधिकार एवं लैंगिक नीतियां 33
परिशिष्ट 3 – परियोजनाओं के लिए मार्गदर्शन स्वदेशी लोगों का आकलन, रूपरेखा और योजना 34
परिशिष्ट 4 - बहिष्करण सूची 40
परिशिष्ट 5 - ESS स्क्रीनिंग चेकलिस्ट 42
परिशिष्ट 6 - पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन की रूपरेखा 48
परिशिष्ट 7 सेक्टर वार विशिष्ट ESS 50
परिशिष्ट 8 भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास के लिए मार्गदर्शन 52
परिशिष्ट 9 जैव विविधता योजनाओं के लिए मार्गदर्शन 58
परिशिष्ट 10 आकस्मिक खोज प्रक्रिया के लिए मार्गदर्शन 61
परिशिष्ट 11 - पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन योजना की रूपरेखा 65
परिशिष्ट 12 - E&S समुचित सतर्कता 66
परिशिष्ट 13 – निवेश चक्र में SEAH जोखिम 75
संदर्भ 80

संकेताक्षर एवं शब्दावली

प्रमाणित संस्था - Accredited Entity (AE)

प्रस्वीकृत परियोजनाएं: वे परियोजनाएं जिनका GAIA द्वारा मूल्यांकन किया गया है और जिन्हें वित्तपोषित किया जाएगा

जैव विविधता कार्य योजना (BAP)

जैव विविधता प्रबंधन योजना (BMP)

उदयशील बाजार - Emerging Markets (EM)

पर्यावरणीय एवं सामाजिक - Environmental and Social (E&S)

पर्यावरणीय एवं सामाजिक समुचित सतर्कता - Environmental and Social Due Diligence (ESDD)

पर्यावरणीय एवं सामाजिक सुरक्षाएं - Environmental and Social Safeguards (ESS)

पर्यावरणीय एवं सामाजिक नीति - Environmental and Social Policy (ESP)

पर्यावरणीय, सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन - Environmental, Social Impact Assessment (ESIA)

पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रबंधन योजना (ESMP)

पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रबंधन प्रणाली (ESMS)

विदेशी विनिमय - Foreign Exchange (FX)

स्वतंत्र, पूर्व एवं सुविज्ञ सहमति - Free, Prior and Informed Consent (FPIC)

Gaia निवेश मंच - Gaia investment platform (GAIA)

लैंगिक समानता एवं सामाजिक समावेश - Gender Equality and Social Inclusion (GESI)

लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तीकरण - Gender Equality and Woman Empowerment (GEWE)

GESI कार्य-योजना - GESI Action Plan (GAP)

हरित जलवायु कोष - Green Climate Fund (GCF)

मानवाधिकार - Human Rights (HuRis)

स्वदेशी लोक - Indigenous Peoples (IPs)

स्वदेशी लोक योजना - Indigenous Peoples Plan (IPP)

स्वदेशी लोक नियोजन रूपरेखा - Indigenous Peoples Planning Framework (IPPF)

निवेश प्रबंधक (IM)

न्यूनतम विकसन देश - Least Development Countries (LDC)

परियोजना संस्थाएं (Project Entities): परियोजना को जारी करने वाले जो कि उधारकर्ता (देश) या मध्यस्थ (जैसे, वित्तीय कम्पनियां) या कार्यकारी संस्थाएं हो सकती हैं

परियोजना प्रस्तावक (Project Proponents): GAIA के पास स्वीकृति के लिए किसी परियोजना का प्रस्ताव भेजने वाली संभावित परियोजना संस्थाएं

प्रस्तावित परियोजनाएं: वे परियोजनाएं जिन्हें वित्तपोषित किए जाने के लिए GAIA द्वारा प्रस्वीकृत किया जाएगा

यौन शोषण, यौन दुर्व्यवहार और यौन उत्पीड़न - Sexual Exploitation, Sexual Abuse and Sexual Harassment (SEAH)

प्रायोजक (Sponsors): GAIA के मुख्य प्रायोजक अर्थात MUFG, FinDev कनाडा

तकनीकी सहायता सुविधा - Technical Assistance facility (TA)

पर्यावरणीय एवं सामाजिक नीति तथा मानवाधिकार नीति (नीतियां)

इस सम्पूर्ण रिपोर्ट में, पर्यावरणीय एवं सामाजिक (E&S) शब्द के अंतर्गत मानवाधिकार, श्रम, SEAH, लैंगिक एवं स्वदेशीय लोगों के बारे में विचारण भी निहित हैं।

परिचय

GAIA मंच

GAIA मंच (GAIA) का मूलभूत उद्देश्य अनेक जलवायु परिवर्तन संवेदनशील देशों में, अपने घटक वित्तीय साझेदारों की पारम्परिक रुचि से भी आगे बढ़कर वृहत्तर स्तर और दायरे पर, अपनी सार्वजनिक-निजी वित्तीय क्षमता को सार्थक निम्न-कार्बन जलवायु अनुकूलन एवं न्यूनीकरण परिसम्पत्तियों में परिनियोजित करना है।

GAIA की मुख्य गतिविधि में नवप्रवर्तनशील रूप से सम्मिश्रित एक वित्तीय मंच का सृजन निहित है जिसमें एक कनिष्ठ रियायती ऋण के अंश, सेकेंड-लॉस अंश और विदेशी विनिमय (FX) प्रतिरक्षा (हेजिंग) के माध्यम से एक जोखिम समाप्त करने वाली यांत्रिकी शामिल है जो कि उदयशील बाजारों (EM) में संस्थात्मक निवेशकों से जलवायु वित्त के परिमापन की सुविधा देगी। इस मंच के एक अंग के रूप में एक समानांतर ***तकनीकी सहायता (TA) सुविधा*** का भी विकास किया जाएगा। GAIA का यह लोचपूर्ण तरीका प्रसंग-विशिष्ट विकास एवं जलवायु प्राथमिकताओं के प्रत्युत्तर में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को सक्षम बनाने के लिए तैयार किया गया है। GAIA के लक्षित क्षेत्रों की सूची ***परिशिष्ट 1 GAIA के प्रस्तावित क्षेत्र एवं कार्यकलाप*** में देखी जा सकती है।

इस मंच की रूपरेखा यह सुनिश्चित करती है कि ***सामाजिक एवं पर्यावरणीय (E&S)*** विचारणों को समानांतर TA सुविधा के समर्थन सहित सभी परियोजनाओं में क्रमानुसार समेकित किया गया हो। और फिर, FX सुविधा EMs में जलवायु वित्त के लिए FX प्रतिरक्षा लागतों को कम करने में योगदान देंगी।

GAIA अनेक UN SDGs, खास तौर पर लक्ष्य #5, #6, #7, #9, #11, #13, और #17 में, प्रत्यक्ष योगदान देता है।

इस रिपोर्ट का दायरा और उसकी रूपरेखा

यह रिपोर्ट GAIA के वित्तपोषण प्रस्ताव के परिशिष्ट 6 'पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रबंधन प्रणाली' (ESMS) का गठन करती है।

भाग I: पर्यावरणीय एवं सामाजिक नीति तथा मानवाधिकार नीति (नीतियां) GAIA की ESMS की आधारशिलाएं हैं और वे GCF के ESS और GCF संशोधित पर्यावरणीय एवं सामाजिक नीति (2022) के अनुरूप अपने कार्यकलापों के संचालन के प्रति GAIA की प्रबंधन प्रतिबद्धता को झलकाती हैं।

इन नीतियों का अनुपालन ESMA (भाग II) में वर्णित आवश्यक बातों के क्रियान्वयन के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा।

भाग II: पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रबंधन प्रणाली (ESMS): ESMS में GAIA के कार्य-संचालन और साथ ही परियोजना प्रस्तावकों एवं परियोजना संस्थाओं के प्रावधान निहित हैं।

- GAIA प्रबंधन इस ESMS को पहुंच, पर्यवेक्षण एवं E&S जोखिमों और प्रभावों के प्रबंधन में सहायता के लिए संस्थापित और संधारित करता है।
- GAIA की आवश्यकताओं के समानुरूप, परियोजना संस्थाएं कम्पनी कार्य-संचालनों के E&S जोखिमों और प्रभावों के मूल्यांकन, संबोधन और निगरानी के उद्देश्य से अपने ESMS का संस्थापन और संधारण करेंगे।

पर्यावरणीय एवं सामाजिक मानक

GAIA की अपनी नीतियों और ESMS के प्रति उसका समग्र दृष्टिकोण हरित जलवायु कोष की पुनरीक्षित पर्यावरणीय एवं सामाजिक नीति और प्रतिबद्धताओं से प्रेरित है जिन्हें GCF, विकास वित्त संस्थाओं और निजी क्षेत्र

ने संस्थापित अच्छी अंतर्राष्ट्रीय कार्यप्रथाओं के रूप में मान्यता दी है। मान्यता-प्राप्त अच्छी अंतर्राष्ट्रीय कार्यप्रथाओं में निम्नांकित शामिल हैं लेकिन वे इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

- सामाजिक एवं पर्यावरणीय स्थायित्व के बारे में IFC नीति एवं कार्य-प्रदर्शन मानक 2012 और उसकी मार्गदर्शक टिप्पणियां;
- जैसा भी लागू हो, विश्व बैंक समूह पर्यावरणीय, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा (EHS) के प्रासंगिक दिशानिर्देश;
- संयुक्त राष्ट्र के 'रक्षा, सम्मान और निवारण' रूपरेखा पर आधारित व्यवसाय एवं मानव-अधिकार सम्बंधी संयुक्त राष्ट्र के मार्गदर्शक सिद्धान्त (UNGPs);
- कार्य के दौरान मूलभूत सिद्धान्तों और अधिकारों के बारे में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की घोषणा;
- महिलाओं के खिलाफ हर प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन के बारे में संयुक्त राष्ट्र कॉन्वेंशन';
- GAIA प्रायोजक के E&S, लैंगिक एवं अन्य प्रासंगिक मानक *(प्रायोजक के प्रासंगिक लैंगिक एवं मानवाधिकार नीति के विवरणों के लिए* कृपया *परिशिष्ट 2* देखें*)।*

भाग I: GAIA नीतियां

पर्यावरणीय एवं सामाजिक नीति

इस नीति में उन E&S सिद्धान्तों और प्रतिबद्धताओं की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है जो GAIA के लिए मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं। परियोजनाओं के कार्यकलापों के संभावित योगदान के अनुसार प्रस्तावित परियोजनाओं का विश्लेषण और मूल्यांकन किया जाएगा।

GAIA की रचना जलवायु-लोचपूर्ण अधोसंरचना, शहरी गतिशीलता परियोजनाओं, परिवहन विकल्पों, नवीकरणीय ऊर्जा, पुनर्वनरोपण, सिंचाई, एवं अन्य कृषिक्षेत्रीय प्रक्रियाओं जैसी विशिष्ट विकासपरक एवं जलवायु-प्राथमिक परियोजनाओं में निवेशों को सक्षम बनाने के लिए की गई है (कृपया ***परिशिष्ट 1 GAIA के प्रस्तावित क्षेत्र एवं कार्यकलाप*** देखें)।

GAIA की E&S नीति GAIA प्रबंधन द्वारा प्रस्वीकृत है।

सिद्धान्त

इस नीति के संदर्भ में GAIA का समग्र दृष्टिकोण उन सिद्धान्तों से संपोषित है जिनमें निम्नांकित शामिल हैं, लेकिन वे इन्हीं तक सीमित नहीं हैं और GAIA तथा परियोजना संस्थाओं दोनों के लिए जरूरी है कि वे उनका पालन करें:

1. **वैधानिक अनुपालन:** GAIA, परियोजना संस्थाओं और प्रस्वीकृत परियोजनाओं को मेज़बान देश के सभी कानूनों, विनियमों और अनुज्ञाओं (परमिट) का पालन करना जरूरी है जिसमें मेज़बान देश के अंतर्राष्ट्रीय कानून से व्युत्पन्न अनिवार्य कर्तव्य शामिल हैं।
2. **परिवर्द्धित परियोजना सहायता (समानांतर तकनीकी सहायता):** उपलब्ध संसाधनों के आधार पर, GAIA द्वारा समानांतर TA, मार्गदर्शन एवं तीसरे पक्ष के सहकार्य के माध्यम से, प्रस्वीकृत परियोजनाओं को उनके अभिशासन और प्रबंधन प्रणाली के विकास में सहायता दी जाएगी। जहां कहीं भी मेज़बान देश के मार्केट में सामान्य रूप से अंगीकृत किए गए मानदंडों से आगे बढ़कर, GAIA द्वारा परियोजनाओं को E&S कार्य-प्रदर्शन मानदंडों को अंगीकार करने के लिए कहा जाएगा, वहां वह सेक्टर को उत्प्रेरित करने या उन मानकों के भौगोलिक अंगीकरण करने के काम में समुचित सहायता उपलब्ध कराने की आवश्यकता का मूल्यांकन करेगा।
3. **सीमापारीण जोखिम और प्रभाव।** GAIA द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के संभावित सीमापारीण प्रभावों[1] की स्थिति में, पूर्व अधिसूचना एवं सम्बंधित हितधारकों के साथ परामर्श और उनकी टिप्पणियों के निराकरण सहित, सभी आवश्यक परामर्शों और समुचित सतर्कता प्रक्रियाओं को पूरा किया जाना चाहिए।
4. **परिवर्द्धित जोखिम-आधारित उपाय:** E&S आवश्यकताओं को सामान्यकृत, सबके साथ एक जैसे व्यवहार वाले तरीके के बजाय जोखिम-आधारित तरीके से क्रियान्वित किया जाएगा । इस उपाय के लिए यह आवश्यक होगा कि E&S की आवश्यकताएं और प्रक्रियाएं जोखिम के स्तर के अनुरूप हों और सम्बंधित E&S मानकों पर खरा उतरती हों।
5. **उद्देश्य के लिए उपयुक्त:** पेरिस समझौते के सिद्धान्त *'समता तथा सामान्य किंतु अलग-अलग राष्ट्रीय परिस्थितियों के आलोक में पृथक दायित्व एवं अपनी-अपनी क्षमताएं'*[2] के अनुरूप, तथा GCF के उद्देश्य के लिए उपयुक्त दृष्टिकोण[3] के अनुसार, इस नीति को कार्यान्वित करने में GAIA यह स्वीकार करता है

[1] वे प्रभाव जो राष्ट्रीय सीमाक्षेत्रों को भी पार कर जाते हों

[2] https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement

[3] https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/environment-social-policy.pdf

कि विभिन्न EMs में निवेश चाहने वाली परियोजनाओं को विभिन्न E&S चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। यह मान्यता लागू होने योग्य ESMS अथवा कार्य-प्रदर्शन मानदंडों में कोई परिवर्तन नहीं लाती, न ही GAIA की दायित्वशीलता में, हालांकि अनुपालन के लिए एक युक्तिसंगत समय-सीमा की आवश्यकता हो सकती है तथा समानांतर TA सुविधा इन प्रयासों में सहायक हुआ करती थी।

6. **शमन अनुक्रम,** पर्यावरण एवं प्रभावित होने वाले हितधारकों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव से बचने, और जहां ऐसा संभव न हो सके वहां इन प्रतिकूल प्रभावों को कम करने और सकारात्मक प्रभावों में वृद्धि करने का प्रयास करना।
7. **मानव-जीवन और पर्यावरण की गुणवत्ता में होने वाले किसी भी ह्रास से बचने** तथा जैव-विविधता एवं पारिस्थितिक तंत्रों को किसी भी समग्र क्षति से बचाने की दिशा में योगदान देना।
8. **अच्छे कम्पनी अभिशासन के सिद्धान्तों एवं सत्यनिष्ठा के आदर्शों** का पालन करते हुए तथा वित्तपोषित परियोजनाओं द्वारा उनका पालन कराते हुए, सभी व्यावसायिक कार्य-व्यवहारों में ईमानदारी, सत्यता, निष्पक्षता, परिश्रम और सम्मान की भावना से कार्य करना।
9. **पारदर्शिता, दायित्वशीलता, तथा सूचनाओं का प्रकटीकरण।** हितधारकों एवं आम जनता को प्रासंगिक सूचनाओं की पहुंच सुनिश्चित करते हुए, GAIA पारदर्शी एवं दायित्वशील तरीके से अपना काम करेगा।
10. **संवेदनशील लोगों या समूहों की संलग्नता।** प्रस्वीकृत परियोजनाओं से आग्रह किया जाता है कि वे ऐसे संवेदनशील (असुरक्षित) लोगों या समूहों की पहचान करें जो परियोजना के क्रियाकलापों से प्रभावित हो सकते हैं, और सम्पूर्ण संलग्नता प्रक्रिया के दौरान महिलाओं एवं स्वदेशीय लोगों की चिन्ताओं और प्राथमिकताओं का ज्यादा ध्यान रखने का निवेदन किया जाता है। निवेश के सम्पूर्ण चक्र और उनके कार्यकलापों के दौरान, E&S नीति के अनुरूप, GAIA किसी भी प्रभावित हितधारक के साथ कार्य करने के लिए सम्बंधित परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से अपने प्रभाव का इस्तेमाल करेगा।
11. **यौन शोषण, यौन दुर्व्यवहार और यौन उत्पीड़न (SEAH) के प्रति शून्य-सहनशीलता:** अपने प्रबंधन, कार्य-संचालन और परियोजना कार्यकलापों के दौरान, GAIA किसी भी प्रकार के SEAH को बर्दाश्त नहीं करेगा। SEAH अस्वीकार्य किस्म के व्यवहार हैं, और भेदभाव एवं विशेष अधिकार देने की संस्कृति को जन्म देते हुए वे मानवीय गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं। GFC E&S नीति के अनुरूप, GAIA यह सुनिश्चित करेगा कि, प्रत्येक परियोजना के लिए, उत्तरजीवी-केन्द्रित एवं लैंगिक रूप से उत्तरदायी तरीके से किसी भी रिपोर्ट की गई SEAH घटनाओं को रोकने और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने के लिए उपाय मौजूद हैं, और खास तौर पर ऐसे लोगों की रक्षा करेगा जो असुरक्षित स्थितियों और परिस्थितियों में होंगे और SEAH के उत्तरजीवी होंगे।

अन्य विकासपरक वित्तीय संस्थाओं के साथ सहकार्य करते हुए तथा ज्ञान का सृजन और उसे साझा करते हुए, GAIA सतत रूप से GCF तथा अच्छी अंतर्राष्ट्रीय कार्यप्रथाओं से सीख हासिल करने और उन पर नज़र रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

प्रस्वीकृत परियोजनाओं के लिए आवश्यक है कि वे E&S मार्गदर्शन को इस तरह से संरचित करें कि वह संभावित नकारात्मक प्रभावों की पहचान करने और उन्हें कम करने, हितधारकों के साथ सम्बंध को बेहतर बनाने तथा सकारात्मक सामाजिक प्रभाव के लिए उच्चतर क्षमता हासिल कर पाने में GAIA की क्षमता को बढ़ा सकें।

GAIA उन परियोजनाओं के लिए निवेश के बारे में विचार करता है जो उसकी नीतियों का अनुपालन करती हैं। E&S जोखिमों को मंच की समुचित सतर्कता में तथा चयन, सहायता, निगरानी, सूचना के प्रकटीकरण, SEAH, स्वदेशी लोग (IPs), मानवाधिकार और लैंगिक कारक तत्वों और नीतियों सहित सम्पूर्ण प्रक्रिया में पूर्णतया समेकित किया गया है। विकास के सकारात्मक प्रभाव के बारे में विचारण के साथ-साथ, सभी सम्बंधित परियोजना जोखिमों के मूल्यांकन के आधार पर, GAIA व्यापक वित्तीय दृष्टिकोण अपनाता है *(और अधिक*

*विवरण के लिए, कृपया GAIA **निवेश चक्र के दौरान** ESMS **कार्य-संचालन दिशानिर्देश** खंड का अवलोकन करें)*।

फीडबैक प्राप्त करने तथा परियोजना कार्यकलापों के कार्यान्वयन से जुड़ी शिकायतों के निवारण के लिए GAIA ने एक प्रोटोकॉल संस्थापित किया है *(और अधिक विवरण के लिए, कृपया इस रिपोर्ट के **शिकायत तंत्र** खंड का अवलोकन करें)*।

GAIA इस नीति को सार्वजनिक करेगा *(और अधिक विवरण के लिए, कृपया इस रिपोर्ट का **सूचना का प्रकटीकरण** खंड देखें)*।

मानवाधिकार नीतियां

जैसा कि व्यवसाय एवं मानव अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के मार्गदर्शक सिद्धान्तों (UNGPs) में मान्य किया गया है, GAIA प्रबंधन मानव अधिकारों के प्रति विश्वव्यापी सम्मान को बढ़ावा देता है और उसका पालन करता है।

GAIA प्रबंधन इन बातों के लिए प्रतिबद्ध है:

a) स्वयं अपने कार्यकलापों के माध्यम से मानव अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न करने या उसे बढ़ाने से बचना और ऐसी घटनाएं होने पर उनका निराकरण करना।

b) अपनी परियोजनाओं, कार्य-संचालनों, उत्पादों अथवा अपने व्यावसायिक सम्बंधों द्वारा प्रदत्त सेवाओं से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े प्रतिकूल मनवाधिकार सम्बंधी प्रभावों को रोकने या कम करने के लिए प्रयासरत रहना, भले ही उन्होंने इन प्रभावों में कोई योगदान न दिया हो।

निवेश चक्र के दौरान GAIA ने अपनी समुचित सतर्कता प्रक्रिया में मानव अधिकारों की रक्षा का समावेश किया है ताकि उनकी पहचान, रोकथाम और कम किया जा सके और यह पता लगाया जा सके कि प्रस्तावित परियोजनाएं मानव-अधिकारों पर पड़ने वाले प्रभावों का निराकरण कैसे करती हैं *(कृपया GAIA **निवेश चक्र के दौरान** ESMS **कार्य-संचालन दिशानिर्देश** खंड का अवलोकन करें)*।

उनके द्वारा उत्पन्न किए या योगदान दिए जाने वाले किन्हीं भी प्रतिकूल मानवाधिकार सम्बंधी प्रभावों को कम करने में सक्षम बनाने के लिए GAIA की प्रक्रियाओं का वर्णन ***शिकायत तंत्र*** प्रक्रिया खंड में किया गया है।

श्रम, लिंग, स्वदेशी लोक और SEAH के सम्बंध में GAIA के विशिष्ट मानवाधिकार संदर्भों का वर्णन अगले खंडों में किया गया है।

GAIA की मानवाधिकार नीतियां GAIA प्रबंधन द्वारा प्रस्वीकृत हैं।

श्रम नीति

श्रम मानव-अधिकारों के बारे में GAIA का संदर्भ अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विधेयक तथा मूलभूत सिद्धान्त एवं कार्यस्थल पर अधिकार के बारे में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की घोषणा में देखा जा सकता है। पूरी कम्पनी में कर्मचारियों के प्रबंधन हेतु एक स्थिर दृष्टिकोण के संस्थापन के लिए, कामगारों और तीसरे पक्षों से संवाद करने के लिए परियोजना प्रस्तावकों के पास मानव संसाधन नीतियां होनी चाहिए। इन नीतियों को स्पष्ट रूप से लिखा गया हो तथा उन्हें कर्मचारियों द्वारा बोली जाने वाली मुख्य भाषा(ओं) में सभी कार्यस्थलों पर पोस्ट किया जाना चाहिए।

इन नीतियों में निम्नांकित प्रतिबद्धताएं शामिल होनी चाहिए:

- निष्पक्ष व्यवहार, भेदभाव न करना, तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन मूलभूत कॉन्वेंशन का अनुपालन करते हुए अभ्यर्थी परियोजनाओं के लिए समान अवसर।
- मानव-अधिकारों का ध्यान रखना, दूसरों के मानव-अधिकरों के उल्लंघन से बचने का प्रयास, तथा वित्तपोषित व्यवसाय कार्य-संचालनों द्वारा उत्पन्न या योगदान दिए गए प्रतिकूल मानवाधिकार सम्बंधी प्रभावों का निराकरण।
- यौन शोषण, यौन दुर्व्यवहार और यौन उत्पीड़न (SEAH) के प्रति शून्य-सहनशीलता।

- आधुनिक गुलामी, जबरन श्रम, और बाल श्रम के जोखिमों की रोकथाम और उनका निराकरण।

इन नीतियों में निम्नांकित आवश्यक बातों का भी समावेश होना चाहिए:

- निष्पक्ष एवं समावेशी भर्ती योजना।
- कर्मचारियों के लिए रोजगार के नियम और शर्तें।
- पदोन्नति के लिए स्पष्ट, उद्देश्यपरक और योग्यता-आधारित मानदंड।
- कार्यस्थल (और जहां भी लागू हो सहां आवास एवं यात्रा) योजनाएं जिसमें स्वास्थ्य और सुरक्षा, लिंग, तथा कर्मचारी कल्याण का ध्यान रखा गया हो।

लैंगिक समानता एवं सामाजिक समावेशन नीति

जैसा कि GCF के जलवायु वित्त में मुख्यधारा के लिंग सम्बंधी विचारणों में निरूपित किया गया है, GAIA प्रबंधन यह मानता है कि जलवायु परिवर्तन महिलाओं, स्वदेशी लोगों एवं अन्य असुरक्षित/संवेदनशील जनसमूहों को असंगत रूप से प्रभावित करता है।

लैंगिक एवं समानता नीति स्वयं GAIA मंच का एक प्रमुख घटक तत्व है, तथा उन परियोजना प्रस्तावकों को पहचानने के लिए जो लैंगिक विविधता एवं पहुंच की समानता के संदर्भ में लाभों का सृजन करते हैं। GAIA प्रबंधन अपने सम्पूर्ण मंच के दायरे में लैंगिक एवं समानता नीतियों के समावेश के लिए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि उसके सेवा-प्रदाताओं, क्रियान्वयन साझेदारों तथा GAIA द्वारा वित्तपोषित प्रत्येक परियोजना द्वारा लिंग एवं समानता के प्रति उत्तरदायी तौर-तरीकों को अंगीकृत एवं क्रियान्वित किया जाएगा (और अधिक विस्तृत विवरण के लिए कृपया देखें: ***वित्तपोषण प्रस्ताव – लैंगिक समानता एवं सामाजिक समावेशन आकलन एवं योजना का परिशिष्ट*** 8)।

लैंगिक समानता और महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण ऐसे व्यापक मुद्दे हैं जो अर्थ-व्यवस्था और समाज के विभिन्न क्षेत्रों को अपने दायरे में समेट लेते हैं। GAIA मंच के उद्देश्य की दृष्टि से, उच्च-स्तरीय उद्देश्य, जिन्हें लैंगिक मूल्यांकन समीक्षाओं के दौरान तथा और अधिक गहराई में लैंगिक कार्य योजनाओं की रचना के माध्यम से व्यापक रूप से संबोधित किया जाएगा, विशिष्ट देश, परियोजना जारीकर्ता तथा कार्यान्वयनकर्ता संस्था के संदर्भ से सम्बंधित यथार्थपरक एवं व्यावहारिक लक्ष्यों का निरूपण करेगा।

मंच के उच्च-स्तरीय उद्देश्यों में शामिल हैं:

- कार्यस्थल एवं आपूर्ति-श्रृंखलाओं में लिंग-समावेशी कार्यप्रथाओं के आत्मार्पण को बढ़ावा देकर लीडर्स, कर्मचारियों और आपूर्तिकर्ताओं के रूप में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
- स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु-स्मार्ट कृषि और खाद्य प्रणालियों में लैंगिक रूप से उत्तरदायी उत्पादों, सेवाओं और तौर-तरीकों एवं महिला ग्राहकों एवं अंतिम उपभोक्ताओं के लिए प्रकृति-आधारित समाधानों की सुगमता को बढ़ावा देना ताकि वे इन संसाधनों तक ज्यादा समानता के साथ पहुंच हासिल कर सकें और उनसे लाभ उठा सकें।
- महिला कर्मचारियों, उपयोगकर्ताओं, और समुदायों पर अनचाहे अथवा नकारात्मक प्रभावों की रोकथाम और निराकरण के लिए लैंगिक रूप से उत्तरदायी सुरक्षात्मक उपायों का पक्ष-समर्थन।
- लैंगिक रूप से उत्तरदायी उत्पादों और सुरक्षात्मक उपायों के प्रति समावेश के सिद्धान्तों को इस तरह बढ़ावा देना कि स्वदेशी लोगों, युवाओं, विकलांग जनों एवं अन्य असुरक्षित/संवेदनशील जनसमूहों की जरूरतों और उनके अधिकारों का लिंग-सम्बंधी विचारणों के समानांतर निराकरण किया जा सके।

सामाजिक समावेशन और विविधता सम्बंधी विचारणों के साथ-साथ, लैंगिक विश्लेषण और मूल्यांकन निवेश के सम्पूर्ण जीवन-चक्र में किया जाता है: मंच पर संभावित रूप से सूचीबद्ध किए जाने के लिए किसी परियोजना की पहचान किए जाने के क्षण से लेकर, समुचित सतर्कता के पूरे चरण में तथा प्रत्येक निवेश की सक्रिय जीवन-अवधि में, विश्लेषण और मूल्यांकन के निम्नांकित उद्देश्य होते हैं:

- अभ्यर्थी परियोजनाओं की प्रक्रिया और कार्य-संचालन के दायरे में लैंगिक समानता को संवर्द्धित करना (निवेश चक्र के दौरान लैंगिक आवश्यकताओं के बारे में और अधिक विवरण के लिए, कृपया *GAIA निवेश-चक्र के दौरान ESMS कार्य-संचालन दिशानिर्देश* खंड का अवलोकन करें);
- यह सुनिश्चित करना कि प्रस्तावित परियोजना के प्रत्येक घटक-तत्व में सम्बंधित व्यक्तियों की गरिमा, पहचान और अखंडता का ध्यान रखा जाता है;
- लैंगिक समानता एवं सामाजिक समावेश (GESI) मूल्यांकन का अनुरोध करते हुए परियोजनाओं की सभी प्रक्रियाओं में सामाजिक, लिंग-सम्बंधी और जलवायु जोखिमों को कम करना (GESI मूल्यांकन के बारे में और अधिक विवरण के लिए कृपया ***वित्तपोषण प्रस्ताव का परिशिष्ट 8*** तथा *GAIA* ***निवेश-चक्र के दौरान*** *ESMS* ***कार्य-संचालन दिशानिर्देश*** खंड का अवलोकन करें);
- यह सुनिश्चित करना कि GESI मूल्यांकन का कार्य चयन प्रक्रिया के दौरान और बाद में आगे के आकलनों के दौरान – इन दोनों ही में किया जाएगा;
- ऐसी परियोजनाओं की पहचान करना जो आजीविका के स्थायित्वपूर्ण अवसरों, स्वास्थ्य और कल्याण, तथा जलवायु-प्रेरित जोखिमों के विरुद्ध लोचशीलता के सृजन के लिए स्त्रियों और पुरुषों दोनों को दायित्व प्रदान करती हों।
- परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे:
    - लैंगिक समानता एवं महिलाओं के सशक्तीकरण को बढ़ावा दें;
    - जलवायु-परिवर्तन के कारण स्त्री-पुरुष के बीच की बढ़ती हुई खाई को कम करें;
    - महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएं, और साथ ही लैंगिक समावेशन एवं विविधता की प्रथाओं को बढ़ावा दें;
    - समानता, विविधता और समावेशन के नेटवर्क पर आधारित कार्यबल और प्रतिनिधियों का प्रवाह बनाए रखें और/या एक ऐसे कार्यबल के सृजन के लिए प्रतिबद्धता की अनुशंसा की जाएगी जिसमें विभिन्न पृष्ठभूमियों के लोग शामिल हों;
    - विकलांग जनों के लिए संस्थात्मक समानता, विविधता और समावेशन कार्य-योजनाओं को लागू करना सुनिश्चित करें जिनमें उनके पूर्ण व्यावसायिक और सामाजिक विकास को प्रोत्साहित किया जा सके; और
    - महिलाओं, अल्पसंख्यकों और विकलांग जनों के लिए कौशल-विकास को प्रोत्साहित करें।
- परियोजना प्रस्तावकों को यह झलकाना होगा कि महिलाओं और पुरुषों दोनों को समान अवसर प्रदान किए जाएं, और यह कि सम्पूर्ण परियोजना प्रक्रियाओं और कार्य-संचालन के दौरान परामर्श और निर्णय लेने में खास तौर पर महिलाओं को पूर्णतः शामिल किया जाए।

यौन शोषण, यौन दुर्व्यवहार एवं यौन उत्पीड़न (SEAH) नीति

ऐसे किसी भी प्रकार के SEAH के लिए GAIA शून्य-सहनशीलता की नीति अपनाता है जिन्हें मानवीय गरिमा का उल्लंघन करने वाला अस्वीकार्य व्यवहार माना जाता है। अतः परियोजना संस्थाओं को SEAH नीतियां विकसित और अपनाने की आवश्यकता होगी। इन नीतियों का अनुपालन सभी परियोजना अनुबंधों और प्राप्ति प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक होगा, विशेष रूप से:

1. GAIA द्वारा वित्तपोषित कार्यकलापों की स्क्रीनिंग के एक हिस्से के रूप में महिलाओं, पुरुषों, लड़कियों और लड़कों पर पड़ सकने वाले किन्हीं भी संभावित प्रतिकूल प्रभावों की यथाशीघ्र पहचान कर ली गई है और उन्हें सम्बंधित सुरक्षात्मक प्रलेखों (जिनमें यथोचित रूप से ESIA और ESMP शामिल हैं) में प्रतिबिंबित कर दिया गया है, और साथ ही जहां भी प्रासंगिक हो उन्हें यौन शोषण, यौन दुर्व्यवहार एवं यौन उत्पीड़न सहित लिंग और आयु के अनुसार विभिन्न कर दिया गया है, तथा

a. सम्बंधित सुरक्षात्मक प्रलेखों (जिनमें यथोचित रूप से ESIA और ESMP शामिल हैं) में लैंगिक समानता को बढ़ाने, एवं SEAH की रोकथाम, निवारण और समापन के लिए उपायों को शामिल कर लिया गया है;

b. पहचाने गए जोखिमों और प्रभावों को कम करने और उनके प्रबंधन के लिए सभी उपायों को क्रियान्वित किया गया है, उनकी निगरानी की जाती है और उनमें सतत सुधार किया जाता है; और

c. प्रगति एवं काम-काज की निगरानी की जाती है और GAIA को उनकी रिपोर्ट दी जाती है।

2. यदि SEAH की घटनाएं होती हैं तो परियोजना संस्थाओं को इन बातों को झलकाना होगा:

a. संस्थापित सुगम एवं समावेशी, उत्तरजीवी-केन्द्रित एवं लैंगिक रूप से उत्तरदायी शिकायत निवारण प्रक्रिया, जिसमें ऐसे मामलों के सुरक्षित एवं नैतिकतापूर्ण प्रलेखन के साथ गोपनीय रिपोर्टिंग समेत SEAH के लिए विशिष्ट प्रविधियां शामिल हों, जिनमें ये स्पष्ट संकेत दिए गए हों कि घटनाओं की रिपोर्टिंग कब और कहां करें, और क्या अनुवर्ती (फॉलो-अप) कदम उठाए जाएंगे;

b. उत्तरजीवियों के लिए समयबद्ध रूप से रेफ़रल सेवाएं और समाधान उपलब्ध कराने के तौर-तरीके जिनमें यथोचित रूप से चिकित्सा देखभाल, मनोवैज्ञानिक सहायता, कानूनी सहयोग, समुदाय-प्रेरित रक्षात्मक उपाय और पुनःएकीकरण जैसे तत्व शामिल हों।

GAIA के सम्पूर्ण निवेश चक्र के दौरान इस नीति के क्रियान्वयन के बारे में और अधिक विवरणों के लिए कृपया ***परिशिष्ट 13*** देखें।

स्वदेशी लोक नीति

GAIA की स्वदेशी लोक नीति GCF स्वदेशी लोग नीति और उसके कार्य-संचालन निर्देशों तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC) के कार्य-प्रदर्शन मानक 7 स्वदेशी लोक का अनुपालन करती है।

परियोजनाएं यह सुनिश्चित करेंगी कि स्वदेशी लोगों को परियोजना के कार्यकलापों की रूपरेखा और कार्यान्वयन के कारण किसी भी प्रकार की हानि या प्रतिकूल प्रभावों का सामना न करना पड़े। ***परिशिष्ट 3 स्वदेशी लोग रूपरेखा*** की परिभाषाएँ लागू होती हैं। इस नीति का अनुप्रयोग किसी राज्य द्वारा स्वदेशी लोगों की कानूनी मान्यता या पहचान की अनुपस्थिति से सीमित नहीं होगा। यह स्वदेशी भूमि, संसाधनों और क्षेत्रों के स्वत्वाधिकार की कानूनी स्थिति से भी सीमित नहीं होगा।

परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे:

- सांस्कृतिक रूप से उचित तरीके से स्वदेशी लोगों को लाभ पहुँचाएं;
- स्वदेशी लोगों के सशक्तीकरण को बढ़ावा दें;
- स्वदेशी लोक समुदाय एवं अन्य संवेदनशील अल्पसंख्यक जनों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएं;
- स्वदेशी लोगों के कौशल-विकास को प्रोत्साहन दें।

स्वदेशी लोगों की रूपरेखा तथा परियोजना स्तर पर वांछित अन्य सम्बंधित प्रदेयताओं पर अधिक जानकारी के लिए कृपया ***परिशिष्ट 3 स्वदेशी लोक की रूपरेखा*** देखें।

भाग II GAIA ESMS

GAIA निवेश चक्र के दौरान ESMS कार्य-संचालन सम्बंधी दिशानिर्देश

GAIA निवेश चक्र की रूपरेखा

GAIA जलवायु-सम्बंधी परियोजनाओं अथवा मध्यवर्तनों को प्रत्यक्ष रूप से वित्तपोषित करता है, और वह जलवायु-सम्बंधी उत्पादों की श्रेणी वाले किसी वित्तीय मध्यस्थ निकाय को भी वित्तपोषण उपलब्ध करा सकता है।

GAIA एक विशिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण करता है जिसके पांच विभिन्न चरण प्रस्तुत होंगे:

1. परियोजना पाइपलाइन का सृजन (प्रारंभ);
2. स्क्रीनिंग और आरंभिक अनुमोदन;
3. पूर्ण प्रस्तावों की समुचित सतर्कता और विकास;
4. पूर्ण प्रस्तावों के वित्तपोषण के लिए अंतिम अनुमोदन; और
5. क्रियान्वयन के अंतर्गत आने वाली वित्तपोषित परियोजनाओं का निरीक्षण और निगरानी।

परियोजना स्क्रीनिंग (चरण 2) के दौरान प्रथम पर्यावरणीय एवं सामाजिक समुचित सतर्कता (ESDD) से लेकर परियोजना के क्रियान्वयन (चरण 5) के दौरान E&S मानदंडों की निगरानी पर समाप्त होते हुए, प्रस्तावित परियोजनाओं का E&S मूल्यांकन इनमें से प्रत्येक चरण में अंतर्निहित है।

पर्यावरणीय एवं सामाजिक जोखिम की पहचान और परियोजना का वर्गीकरण

परियोजनाओं के E&S श्रेणीकरण के बाद सभी प्रस्तावित परियोजनाओं को श्रेणीबद्ध किया जाएगा जिसमें GCF दिशानिर्देशों[4] के उपरांत SEAH जोखिम और प्रभाव, तथा संभावित जोखिम प्रोफाइल शामिल हैं। GAIA चाहता है कि परियोजना प्रस्तावक समुचित E&S जोखिम श्रेणियां निर्धारित करें। श्रेणियां निम्नानुसार हैं:

a) **श्रेणी A:** वे कार्यकलाप जिनमें संभावित रूप से ऐसे महत्वपूर्ण प्रतिकूल पर्यावरणीय और/या सामाजिक जोखिम एवं प्रभाव निहित हैं जो, अलग-अलग या कुल मिलाकर, विविध प्रकार के, अपरिवर्तनीय, या अपूर्व हैं।

b) **श्रेणी B:** वे कार्यकलाप जिनमें संभावित रूप से ऐसे सीमित प्रतिकूल पर्यावरणीय और/या सामाजिक जोखिम एवं प्रभाव निहित हैं जो, अलग-अलग या कुल मिलाकर, बहुत कम हैं, सामान्यतः स्थल-विशिष्ट हैं, मुख्य रूप से प्रतिवर्ती हैं, और शमन उपायों से जिनका तुरन्त समाधान किया जा सकता है; और

c) **श्रेणी C:** वे कार्यकलाप जिनके कोई भी प्रतिकूल पर्यावरणीय और/या सामाजिक जोखिम और/या प्रभाव नहीं हैं या वे न्यूनतम हैं।

---

[4]हरित जलवायु कोष (1 मार्च 2022)। पुनरीक्षित पर्यावरणीय एवं सामाजिक नीति। https://www.greenclimate.fund/document/revised-environmental-and-social-policy

SEAH एवं सीमापारीण जोखिमों तथा वित्तीय मध्यस्थन के माध्यम से निवेश से जुड़े प्रभावों सहित, उनके E&S के लिए स्क्रीनिंग कार्यकलापों में, स्क्रीनिंग के अंतर्गत उद्दिष्ट अंतिम उपयोग से सम्बंधित जोखिमों पर विचार किया जाता है।

वित्तीय मध्यस्थन प्रकार्यों के माध्यम से निवेशों को शामिल करने वाली श्रेणियां, अथवा वित्तीय मध्यस्थन को शामिल करने वाली डिलिवरी यांत्रिकियों, को निम्नांकित तीन जोखिम श्रेणियों में विभाजित किया जाता है:

1. **उच्च-स्तरीय मध्यस्थन, I1.** जब किसी मध्यवर्ती के वर्तमान या प्रस्तावित पोर्टफोलियो में संभावित रूप से महत्वपूर्ण प्रतिकूल E&S जोखिमों और प्रभावों वाले कार्यकलापों के प्रति वित्तीय एक्सपोज़र शामिल होते हैं, या शामिल होने की संभावना होती है जो, अलग-अलग या कुल मिलाकर, विविध प्राकर के, अपरिवर्तनीय, या अपूर्व होते हैं।
2. **मध्यम-स्तरीय मध्यस्थन, I2.** जब किसी मध्यवर्ती के वर्तमान या प्रस्तावित पोर्टफोलियो में संभावित रूप से सीमित प्रतिकूल पर्यावरणीय अथवा सामाजिक जोखिमों और प्रभावों वाले कार्यकलापों के प्रति बहुत अधिक वित्तीय एक्सपोज़र शामिल होते हैं, या शामिल होने की संभावना होती है, जो कम हैं, सामान्यतः स्थल-विशिष्ट हैं, मुख्य रूप से प्रतिवर्ती हैं, और शमन उपायों से जिनका तुरन्त समाधान हो सकता है; और जिनमें संभावित रूप से ऐसे महत्वपूर्ण प्रतिकूल E&S जोखिम और प्रभाव वाले कार्यकलाप शामिल नहीं होते जो, अलग-अलग या कुल मिलाकर, विविध, अपरिवर्तनीय, या अपूर्व होते हैं; और
3. **निम्न-स्तरीय मध्यस्थन, I3.** जब किसी मध्यवर्ती के वर्तमान या संभावित पोर्टफोलियो में ऐसे कार्यकलापों के प्रति वित्तीय एक्सपोज़र शामिल होते हैं जिनमें प्रबल रूप से न्यूनतम या नगण्य प्रतिकूल E&S प्रभाव होते हैं।

जहां कहीं भी परियोजना स्वीकृति एवं कार्यान्वयन के लिए E&S जोखिमों की विभिन्न श्रेणियों की विभिन्न E&S आवश्यकताएं होती हैं वहां GAIA 'स्केल्ड-बेस्ड' (मापदंड-आधारित) जोखिम उपाय लागू करता है।

स्क्रीनिंग (चरण 2)

GAIA के लिए यह आवश्यक होगा कि एक विशिष्ट मापदंड के अनुसार परियोजना प्रस्तावक एक मूलभूत परियोजना संकल्पना प्रस्तुत करें (विस्तृत विवरण ***वित्तीय प्रस्ताव, कार्य-संचालन मैनुअल के परिशिष्ट 21*** में देखें), जिसमें GAIA वित्तपोषण के लिए पात्रता सम्बंधी प्रासंगिक सूचनाएं और साथ ही परियोजना प्रस्तावक और उसकी क्षमता के बारे में उपयुक्त जानकारी की रूपरेखा प्रस्तुत की गई हो।

प्रत्येक परियोजना संकल्पना की समीक्षा एक समर्पित GAIA प्रबंधन टीम द्वारा की जाएगी। जहां तक E&S आवश्यकताओं की बात है, विश्लेषण का कार्य दो चरणों में किया जाता है:

1. ***पर्यावरणीय एवं सामाजिक मानदंड सहित पात्रता मानदंड*** के सापेक्ष परियोजना संकल्पनाओं की स्क्रीनिंग, तथा
2. ***प्राथमिक पर्यावरणीय एवं सामाजिक समुचित सतर्कता (प्राथमिक ESDD),*** जिसका संचालन परियोजना प्रस्तावकों के प्रारंभिक समुचित सतर्कता विश्लेषण के दौरान स्क्रीनिंग चरण में किया जाएगा।

E&S दृष्टिकोण से पात्रता के मानदंड के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना कार्यकलापों की स्क्रीनिंग शामिल है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे GAIA की ***अपवर्जन सूची*** में उल्लेखित न हों *(पूर्ण सूची के लिए कृपया **परिशिष्ट 4** GAIA **अपवर्जन सूची** देखें)*।

प्राथमिक पर्यावरणीय एवं सामाजिक समुचित सतर्कता में निम्नांकित बातों पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा:

- समुचित पर्यावरणीय एवं सामाजिक नीतियां तथा परियोजना प्रस्तावक स्तर पर क्षमता;
- GAIA पर्यावरणीय एवं सामाजिक जोखिम श्रेणीकरण पर आधारित प्रस्तावित परियोजना कार्यकलापों का पूर्व-श्रेणीकरण। मार्गदर्शन के रूप में प्रयुक्त की जा सकने वाली E&S **जोखिम चेकलिस्ट *परिशिष्ट 5*** में प्रस्तुत की गई है।

लिंग, मानवाधिकार एवं SEAH विश्लेषण तथा मूल्यांकन और **जहां प्रासंगिक हो** परियोजना प्रस्तावक नीतियों और प्रविधियों की **स्वदेशी लोक योजना रूपरेखा (IPPF)** प्राथमिक ESDD में शामिल किए गए हैं।

यातायात बत्ती प्रणाली

प्राथमिक समुचित सतर्कता विश्लेषण तथा प्राथमिक ESDD परिणामों के आधार पर, परियोजनाओं को हरी, पीली और लाल बत्ती दी जा सकती है, और वे उसके बाद से एक अलग प्रक्रिया का अनुसरण करेंगी:

1. **हरी बत्ती** परियोजना प्रस्तावक को निवेश चक्र को जारी रखने तथा द्वितीय ESDD सहित पूर्ण प्रस्ताव (चरण 3) के मूल्यांकन और स्कोरिंग में प्रवेश करने का अवसर देगी।
2. **पीली बत्ती** दो संभावित परिणामों को प्रेरित करेगी:
    a. प्रस्ताव के किन्हीं भी तकनीकी तत्व को अपने दायरे में लेने के लिए, जैसे, लेकिन यहीं तक सीमित नहीं, ESIA, SEAH और GESI आकलन एवं IP से सम्बंधित योजनाएं एवं रूपरेखा, जरूरी होने पर, आगे परियोजना के विकास के लिए GAIA द्वारा नियतन तकनीकी सहायता के बारे में विचार। परिनियोजन किए जाने के लिए, GAIA की समुचित निर्णयकारी संस्था द्वारा समानांतर TA को प्रस्वीकृत किए जाने की जरूरत होगी। एकबार क्रियान्वित हो जाने के बाद, परियोजना प्रस्तावक इस सत्यापन के लिए एक बार फिर पहले स्क्रीनिंग चरण से गुजरेगा कि आरंभिक महत्वपूर्ण मुद्दों का मूल्यांकन एवं निराकरण किया जा चुका है या नहीं;
    b. यदि प्राथमिक ESDD परिणाम E&S आवश्यकताओं के संबंध में खामी को रेखांकित करते हैं लेकिन परियोजना प्रस्तावक पहचाने गए मुद्दों को संबोधित करने की क्षमता दर्शाता है तो समानांतर TA की आवश्यकता नहीं होगी। जब E&S की खामियों को ठीक कर लिया जाएगा तो परियोजना प्रस्तावक पूर्ण प्रस्ताव चरण की ओर अग्रसर होगा।
3. **लाल बत्ती** का अर्थ यह होगा कि परियोजना की संकल्पना को अस्वीकृत कर दिया गया है। परियोजना प्रस्तावक को, यदि कोई हो, तो E&S आवश्यकताओं सहित उच्च-स्तरीय फीडबैक की पेशकश की जाएगी।

स्कोरिंग

GCF निवेश रूपरेखा से समरूपता का मूल्यांकन करने के लिए, चयन मापदंड का प्रयोग करते हुए, जहां भी उचित होगा वहां न्यूनतम मानदंडों को अपनाते हुए, प्रत्येक पूर्ण परियोजना को स्कोर किया जाएगा।

प्रस्तावों की स्कोरिंग के तीन संभावित परिणाम होंगे:

1. जलवायु एवं ESG कमेटी तथा क्रेडिट कमेटी द्वारा प्रस्वीकृति के लिए स्क्रीन की गई परियोजनाएं अपने E&S श्रेणीकरण तथा परियोजना प्रस्तावों पर एक अधिक औपचारिक समुचित सतर्कता तथा मूल्यांकन के दौरान कार्यकारी निकायों के अनुसार E&S की आवश्यक शर्तों के अधीन होंगी (चरण 3)। इन चरणों के बाद, GAIA प्रबंधन टीम प्रदान किए जाने वाले वित्तपोषण की मात्रा और शर्तों और साथ ही, जरूरी होने पर, वित्तपोषण के साथ दी जाने वाली तकनीकी सहायता की मात्रा और प्रकृति के बारे में, क्रेडिट कमेटी के समक्ष अंतिम अनुशंसा पेश करेगी।
2. यदि मूल्यांकन चरण के दौरान पूर्ण प्रस्ताव तथा द्वितीयक ESDD के दायरे में कोई कमी प्रस्तुत की जाती है तो जलवायु एवं ESG कमेटी तथा क्रेडिट कमेटी द्वारा शर्तों के साथ स्वीकृति के लिए परियोजनाओं की स्क्रीनिंग।
3. स्क्रीन की जा चुकी परियोजनाओं को निर्णय के बारे में तथा प्रस्ताव के आगे न बढ़ पाने के प्रमुख कारणों के सम्बंध में सूचित किया जाएगा, बशर्ते कि परियोजना प्रस्तावक उनके निराकरण और पुनः आवेदन के इच्छुक हों।

पूर्ण प्रस्ताव का मूल्यांकन (चरण 3)

पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय, प्रस्तावित परियोजना के लिए निम्नांकित E&S आवश्यकताओं को पूरा करना होगा।

- **श्रेणी** A (I-1) **तथा** B (I-2) **परियोजनाओं के लिए:**
    - IFC PSs (2012) तथा GCF पुनरीक्षित पर्यावरणीय एवं सामाजिक नीति पर्यावरणीय एवं सामाजिक नीति (2022) की तर्ज़ पर पर्यावरणीय, सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (ESIA) अध्ययन तैयार करें जिसमें सीमापारीण एवं SEAH जोखिमों और प्रभावों को भी शामिल किया गया हो। ***मार्गदर्शिका के रूप में प्रयोग किए जाने के उद्देश्य से एक रूपरेखा परिशिष्ट 6 में प्रस्तुत की गई है।***
    - ESAI अभ्यास के दौरान पहचान किए गए सीमापारीण एवं SEAH जोखिमों और प्रभावों सहित किन्हीं भी अवशिष्ट प्रभावों के शमन के लिए पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रबंधन योजना (ESMP) तैयार करें। ***मार्गदर्शिका के रूप में प्रयोग किए जाने के उद्देश्य से एक रूपरेखा परिशिष्ट 9 में प्रस्तुत की गई है।***
    - प्रस्तावित परियोजना के कार्यकलापों से सम्बंधित जोखिमों के आकार और उसकी प्रकृति के अनुरूप एक पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रबंधन प्रणाली (ESMS) का विकास और संधारण करें। ESMS के कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं मानव संसाधन प्रबंधन, आपात्कालीन तैयारियां और प्रत्युत्तर, पर्यावरण प्रबंधन, पेशेवर स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन, लिंग और समावेशन, स्वदेशी लोक और सामुदायिक प्रभाव एवं सम्बंध। ESMS इसके क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों की पहचान करेगा और उसमें यह भी देखा जाएगा कि आंतरिक रूप से नीति को किस तरह संचारित किया गया है। जहां कहीं भी जरूरी हो वहां सेक्टर की सर्वोत्तम कार्यप्रथाओं, जैसे कि IFC PSs (2012) तथा विश्व बैंक ESH सेक्टर दिशानिर्देशों, के अनुरूप कार्य-संचालन प्रविधियां तैयार की जाएं (एक गैर-विस्तृत सूची ***परिशिष्ट 7*** में दी गई है)।
    - परियोजनाओं के ESMS में पर्यावरणीय एवं सामाजिक नीति का भी समावेश होना चाहिए जिसमें स्थायित्वपूर्ण विकास और आंतरिक रूप से साझाकृत एवं सार्वजनिक रूप से प्रकटित E&S मुद्दों के प्रति कम्पनी की प्रतिबद्धता की घोषणा निहित होगी।
    - IFC PSs (2012) के अनुरूप, और कोई भी सम्बंधित एवं लागू होने योग्य योजनाएं जैसे ***भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्स्थापन कार्य योजना, भूमि अधिग्रहण योजना, आजीविका योजना*** (और अधिक विवरणों के लिए कृपया ***परिशिष्ट 8*** देखें), ***स्वदेशी लोक योजना (IPP)*** (और अधिक विवरणों के लिए कृपया ***परिशिष्ट 3*** देखें), ***जैव-विविधता योजना*** (और अधिक विवरणों के लिए कृपया ***परिशिष्ट 9*** देखें), ***आकस्मिक खोज प्रक्रिया*** (और अधिक विवरणों के लिए कृपया ***परिशिष्ट 10*** देखें) तैयार की जानी चाहिए।
    - *लैंगिक समानता एवं सामाजिक समावेशन मूल्यांकन एवं योजना:* देश एवं परियोजना सेक्टर के संदर्भ में लिंग और समावेशन सम्बंधी मुद्दों का एक विस्तृत परिमाणात्मक एवं गुणात्मक मूल्यांकन तैयार किया जाना चाहिए। हालांकि सभी परियोजनाओं में स्थिरता और तुलनीयता को सुनिश्चित करने के लिए GEWE तथा GESI स्कोरकार्ड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन अपेक्षा की जाती है कि पूर्ण समुचित सतर्कता के अंतर्गत ऐसे ठोस गुणात्मक विश्लेषण को भी शामिल किया जाएगा जो कि एक लैंगिक कार्य योजना की तैयारी को सुविज्ञ करेगा। सामूहिक रूप से, यह परिमाणात्मक एवं गुणात्मक विश्लेषण पूर्व-स्वीकृति लैंगिक/GESI मूल्यांकन के आधार की रचना करता है *(विधियों के बारे में और अधिक विस्तृत विवरण के लिए कृपया,* ***वित्तपोषण प्रस्ताव,*** *GAIA GESI* ***मूल्यांकन और योजना के परिशिष्ट 8*** *का अवलोकन करें)।*

E&S दस्तावेज़ों और प्रदेयकों के लिए जरूरी होगा कि वे परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहचान किए गए E&S जोखिमों के स्तर के अनुरूप हों।

- **श्रेणी** C/I-3 **परियोजनाओं के लिए**:

- प्रस्तावित परियोजना के कार्यकलापों के जोखिमों के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक उच्च स्तर की ***पर्यावरणीय एवं सामाजिक नीति***। *पर्यावरणीय एवं सामाजिक नीति* के अंतर्गत आंतरिक रूप से साझाकृत एवं सार्वजनिक रूप से प्रकटित लिंग, SEAH और स्वदेशी लोक सहित, स्थायित्वपूर्ण विकास और E&S मुद्दों के प्रबंधन प्रति कम्पनी की प्रतिबद्धता की घोषणा शामिल होनी चाहिए।
- *लैंगिक समानता एवं सामाजिक समावेशन मूल्यांकन एवं योजना:* देश एवं परियोजना सेक्टर के संदर्भ में लिंग और समावेशन सम्बंधी मुद्दों का एक विस्तृत परिमाणात्मक एवं गुणात्मक मूल्यांकन तैयार किया जाना चाहिए। हालांकि सभी परियोजनाओं में स्थिरता और तुलनीयता को सुनिश्चित करने के लिए GEWE तथा GESI स्कोरकार्ड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन अपेक्षा की जाती है कि पूर्ण समुचित सतर्कता के अंतर्गत ऐसे ठोस गुणात्मक विश्लेषण को भी शामिल किया जाएगा जो कि एक लैंगिक कार्य योजना की तैयारी को सुविज्ञ करेगा। सामूहिक रूप से, यह परिमाणात्मक एवं गुणात्मक विश्लेषण पूर्व-स्वीकृति लैंगिक/GESI मूल्यांकन के आधार की रचना करता है *(विधियों के बारे में और अधिक विस्तृत विवरण के लिए कृपया,* ***वित्तपोषण प्रस्ताव,*** *GAIA GESI* ***मूल्यांकन और कार्य योजना के परिशिष्ट 8*** *का अवलोकन करें)।*

जैसे ही कोई परियोजना वित्तपोषण के लिए स्वीकृत कर दी जाती है, दस्तावेज़ों की तैयारी और वार्ता में न केवल कानूनी प्रलेखन शामिल होगा बल्कि लिंग/GESI कार्य योजना की तैयारी और उन्हें अंतिम रूप देने का काम भी, और साथ ही अन्य कोई ESS एवं वांछित प्रभाव सम्बंधी प्रलेखन।

इन E&S आवश्यकताओं के आधार पर GAIA द्वारा एक द्वितीयक पर्यावरणीय एवं सामाजिक समुचित सतर्कता (ESDD) की प्रक्रिया सम्पन्न की जाएगी। *ESDD के बारे में एक मार्गदर्शिका* ***परिशिष्ट 12 में दी गई है।***

जैसा कि ***वित्तपोषण प्रस्ताव, GAIA ऑपरेशंस मैनुअल के परिशिष्ट 21 में***, उसकी सम्पूर्ण आकलन प्रक्रिया के दौरान वर्णित किया गया है, निवेश प्रबंधक दो उप-समितियों के सदस्यों के साथ गहन परामर्श के साथ काम करेगा, ऐसे विषयों पर उनसे मार्गदर्शन का निवेदन करेगा जिनकी वृहत विशेषज्ञता ज्यादातर उनके सदस्यों में निहित होती है:

- **जलवायु एवं ESG समिति,** जिसकी भूमिका जलवायु एवं ESG के पहलुओं (सुपर-मैजोरिटी वोट) पर आधारित ट्रांजैक्शन को क्रेडिट कमेटी के पास प्रस्तुत किए जाने से पहले स्वीकृत करना है (ऐसी अनुशंसा को पूर्ण प्रस्ताव में प्रलेखित एवं समेकित किया जाएगा), वह योजना के समस्त जीवनकाल में IM को मार्गदर्शन/सहायता प्रदान करेगा, और प्रभाव मापन की समीक्षा करेगा।
- **TA कमेटी,** जिसकी भूमिका समानांतर TA बजट आवंटन सम्बंधी निर्णय लेना तथा योजना के समस्त जीवनकाल में IM को मार्गदर्शन/सहायता प्रदान करना है।

चित्र 1. चरण 3 और 4 के दौरान GAIA की निर्णय लेने सम्बंधी दो प्रक्रिया

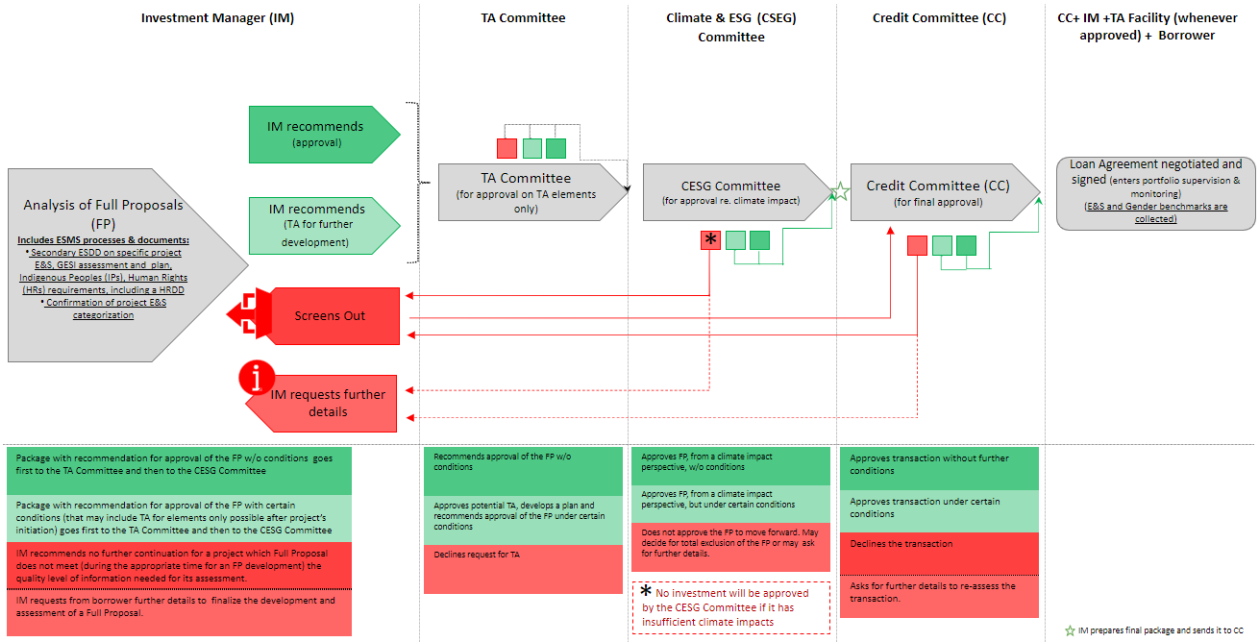
Investment Manager (IM)
TA Committee
Climate & ESG (CSEG) Committee
Credit Committee (CC)
CC+ IM +TA Facility (whenever approved) + Borrower
IM recommends (approval)
IM recommends (TA for further development)
Screens Out
IM requests further details
Analysis of Full Proposals (FP)
Includes ESMS processes & documents:
• Secondary ESDD on specific project E&S, GESI assessment and plan, Indigenous Peoples (IPs), Human Rights (HRs) requirements, including a HRDD
• Confirmation of project E&S categorization
TA Committee (for approval on TA elements only)
CESG Committee (for approval re. climate impact)
Credit Committee (CC) (for final approval)
Loan Agreement negotiated and signed (enters portfolio supervision & monitoring)
(E&S and Gender benchmarks are collected)
Package with recommendation for approval of the FP w/o conditions goes first to the TA Committee and then to the CESG Committee
Package with recommendation for approval of the FP with certain conditions (that may include TA for elements only possible after project's initiation) goes first to the TA Committee and then to the CESG Committee
IM recommends no further continuation for a project which Full Proposal does not meet (during the appropriate time for an FP development) the quality level of information needed for its assessment.
IM requests from borrower further details to finalize the development and assessment of a Full Proposal.
Recommends approval of the FP w/o conditions
Approves potential TA, develops a plan and recommends approval of the FP under certain conditions
Declines request for TA
Approves FP, from a climate impact perspective, w/o conditions
Approves FP, from a climate impact perspective, but under certain conditions
Does not approve the FP to move forward. May decide for total exclusion of the FP or may ask for further details.
* No investment will be approved by the CESG Committee if it has insufficient climate impacts
Approves transaction without further conditions
Approves transaction under certain conditions
Declines the transaction
Asks for further details to re-assess the transaction.
☆ IM prepares final package and sends it to CC

भूमिकाएं और दायित्व

GAIA प्रमाणित निकाय, कार्यकारी निकाय, और प्रमुख साझेदार

प्रमाणित निकाय

MUFG, GAIA मंच के लिए एक GCF प्रमाणित निकाय (AE) है। प्रोग्राम के AE के रूप में, MUFG जलवायु वित्त के क्षेत्र में, और खास तौर पर GCF में, व्यापक विशेषज्ञता प्रस्तुत करते हैं। MUFG वर्ष 2017 से प्रमाणीकृत है और उसके पास तीन प्रस्वीकृत परियोजनाएं (FP115, FP128 और FP197) और एक प्रस्वीकृत प्रोजेक्ट प्रेपरेशन फंडिंग प्रोजेक्ट (PPF045) है।

कार्यकारी निकाय

GAIA क्लाइमेट लोन (जलवायु ऋण) फंड लिमिटेड पार्टनरशिप (GAIA LP, दि फंड): कनाडा के मैनिटोबा प्रांत में रजिस्टर्ड एक नवसृजित लिमिटेड पार्टनरशिप। यह अंतिम ऋणग्राहकों/परियोजनाओं को वित्त उपलब्ध कराने वाला एक कानूनी निकाय है। हालांकि LP रजिस्टर्ड है लेकिन उसका कोई कानूनी व्यक्तित्व नहीं है और वह GP के माध्यम से कार्य करेगा।

GAIA का जेनरल पार्टनर (GP) LP की ओर से कार्य करेगा (जैसे: ऋणों का क्रियान्वयन, सेवाओं का अनुबंध); वर्तमान में GP के रूप में कार्य करने के लिए Ninety One (निवेश प्रबंधक) का चयन किया गया है [लेकिन उसे एवार्ड या कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया है]। GP की भूमिका Ninety One द्वारा संस्थापित एवं प्रबंधित निकाय द्वारा निभाई जाएगी, और GP निकाय के शेयर Ninety One के Guernsey (ग्वेर्नसे) मंच द्वारा धारित किए जाएंगे।

निवेश प्रबंधक: GAIA को निवेश प्रबंधक (Ninety One)[5] द्वारा सहायता प्राप्त होगी जो कि परियोजना के संरचना-निर्माण, प्रशासन, कार्यान्वयन, निगरानी का कार्य देखेगा तथा GAIA की सम्बंधित नीतियों एवं वित्तीय अनुबंधों के साथ परियोजना अनुपालन सुनिश्चित करेगा (जिनमें जलवायु एवं ESG आकलन एवं निरीक्षण शामिल है किंतु वह इन्हीं तक सीमित नहीं है), अभिशासन संरचना, और अतः एक EE के रूप में, महत्वपूर्ण सक्रिय भूमिका निभाएगा। वित्तपोषित कार्यकलाप और क्रियान्वयन के संदर्भ में GAIA के विशिष्ट दायित्वों के बारे में और अधिक विवरण 'ऑपरेशंस मैनुअल' परिशिष्ट (परिशिष्ट 21A) में दिए गए हैं।

GCF GAIA Holdco SPV: हांगकांग में स्थापित होने जा रहे GAIA में GCF निवेश के लिए प्रयुक्त एक विशेष-उद्देशीय संवाहक।

GCF GAIA Holdco SPV प्रबंधक: SPV के दैनिक प्रशासन के लिए उत्तरदायी संस्था।

प्रमुख साझेदार

प्रमुख कार्यान्वयन पार्टनर के रूप में, FinDev कनाडा, EMS और LDCs में काम करने, प्रभाव परिमापन एवं सभी निवेशों में प्रबंधन को एकीकृत करने, तथा समानांतर TA उपलब्ध कराने में अपनी विशेषज्ञता प्रस्तुत करता है। कनाडा के एक द्विपक्षीय DFI के रूप में, इसकी स्थापना वर्ष 2018 में कनाडा के व्यापक अंतर्राष्ट्रीय विकास सहायता यांत्रिकियों के पूरक के रूप में तथा UN SDGs एवं जलवायु परिवर्तन के बारे में पेरिस समझौते को साकार करने के लिए वित्तीय अंतराल को पाटने में मदद देने के लिए की गई थी।

[5] Ninety One के बारे में और अधिक जानकारी के लिए कृपया परिशिष्ट 27 देखें।

इसके अलावा, GAIA की पूंजी के सार्थक परिनियोजन को सहारा देने के लिए आवश्यक अनुकूलन और लोचपूर्णता में GAIA भौगोलिक पहुंच और तकनीकी विशेषज्ञता वाली सहायक संस्थाओं (जैसे: UNDP; GGGI; UN IFAD) के परितंत्र से लाभान्वित होता है।

GAIA का प्रबंधन

GAIA का कार्य-संचालन एक परियोजना प्रबंधक (IM) द्वारा किया जाएगा। क्रेडिट कमेटी की निगरानी में, IM पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रबंधन प्रणाली तथा GESI कार्य योजना के सभी प्रासंगिक तत्वों का कार्यान्वयन करेगा *(कृपया **वित्तीय प्रस्ताव के परिशिष्ट 8** का अवलोकन करें)*।

ESMS और GAIA नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए IM द्वारा दायित्वों और समुचित संसाधनों का आबंटन किया जाएगा। E&S आकलन और निगरानी प्रक्रिया के पर्यवेक्षण तथा पर्यावरणीय एवं सामाजिक रूप से लाभकारी परियोजनाओं को शुरू करने और विकास के लिए वे एक जिम्मेदार व्यक्ति एवं पर्याप्त कर्मचारी संसाधनों को मनोनीत करेंगे।

कार्य-व्यवहारों को संरचित करने में सहायता देने और साथ ही परियोजना विकास, स्थायित्व सम्बंधी प्रथाओं और प्रभाव प्रबंधन के क्षेत्रों में प्रायोजकों और ऑपरेटरों की क्षमता को सशक्त बनाने के लिए FinDev कनाडा की सहायता से GAIA एक समानांतर TA सुविधा शामिल करेगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस ESMS को कार्यान्वित किया गया है, FinDev कनाडा प्रभाव प्रबंधन के कार्य-संचालन सिद्धान्तों[6] के समानांतर अपनी E&S जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया से प्राप्त ज्ञान को साझा करेगा।

[6]https://www.impactprinciples.org/

निगरानी और रिपोर्टिंग

GAIA के IM द्वारा समय-समय पर सभी परियोजना संस्थाओं की निगरानी और मूल्यांकन किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है E&S कार्य-प्रदर्शन में परियोजना की प्रगतियों से सम्बंधित प्रकार्यों की निगरानी और रिपोर्टिंग करना, सहमत समय-सीमा और बजट के अनुपालन पर नजर रखना तथा, पारिणामिक एवं संभावित जोखिमों की स्थिति में, उनका शमन करना।

निगरानी एक सतत प्रक्रिया होगी जिसमें निगरानी एवं दायित्वशीलता रूपरेखा तथा सूचना प्रकटीकरण नीति के अनुसार प्रकटीकरण शामिल है। निगरानी का दायरा, E&S जोखिमों सहित, पहचाने गए जोखिमों के प्रकार और स्तर पर निर्भर करेगा।

निगरानी ESS मानकों पर आधारित होगी, तथा प्रस्वीकृत परियोजनाएं लागू होने वाली E&S सुरक्षा सम्बंधी आवश्यकताओं के अनुपालन के सम्बंध में GAIA को वार्षिक रूप से एक स्व-मूल्यांकन उपलब्ध कराएंगी।

प्रस्वीकृत परियोजनाएं E&S कार्य-प्रदर्शनों के बारे में GCF दिशानिर्देशों के अनुरूप, इस दस्तावेज़ में उल्लिखित मानकों के अनुसार, आंतरिक निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए उत्तरदायी होने के लिए एक पात्रता-प्राप्त आंतरिक या बाह्य विशेषज्ञ को निर्धारित करेंगी।

परियोजना की संकल्पना और उसके मिशन के अनुरूप, परियोजना के कार्य-संचालनों से सम्बंधित गतिविधियों, परिणामों, और चुनौतियों के बारे में रिपोर्टें नियमित रूप से और पारदर्शी तरीके से प्रस्तुत की जाएंगी।

वार्षिक स्व-मूल्यांकनों, मध्यकालिक समीक्षाओं, और किन्हीं भी तदर्थ समीक्षाओं के परिणामों में वार्षिक कार्य-प्रदर्शन रिपोर्टें, अंतरिम मूल्यांकन और अंतिम मूल्यांकन रिपोर्टें शामिल होंगी। जरूरी होने पर, GAIA के IM को और अधिक बारंबारता के साथ अथवा तदर्थ निगरानी और रिपोर्टिंग या विशिष्ट E&S मुद्दों पर ऑडिट्स की आवश्यकता हो सकती है।

यदि परियोजना के संगठन के दायरे में E&S कार्य-प्रदर्शन की प्रगतियों की निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए उत्तरदायी लोग मध्यस्थ के रूप में प्रकार्य कर रहे हैं तो उन्हें यह सुनिश्चित करने की जरूरत होगी कि परियोजना संस्थाएं कार्यशीलता-स्तर की निगरानी और रिपोर्टिंग सम्बंधी आवश्यकताओं को पूरा करें जिसकी चर्चा इस खंड में की गई है और फिर वे वांछित निगरानी एवं रिपोर्टिंग सूचना GAIA के IM को उपलब्ध कराएंगे।

GAIA के IM में यह वांछित होगा कि परियोजना का वह उत्तरदायी व्यक्ति जो E&S कार्य-प्रदर्शनों की निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार है, कार्यकलापों के जीवन-चक्र के सभी चरणों में समुदायों, स्थानीय हितधारकों, स्वदेशी लोगों, तथा नागरिक समाज संगठनों को शामिल करने के माध्यम से भागीदारीपूर्ण निगरानी सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए। भागीदारीपूर्ण निगरानी का यह तरीका राष्ट्रीय प्रतिनियुक्त अधिकारियों या फोकल प्वाइंटों को यह रूपरेखा तैयार करने के लिए भी प्रोत्साहित करेगा कि परियोजनाओं के कार्यकलापों से कौन से लोग एवं अन्य हितधारक प्रभावित हो सकते हैं।

हितधारकों की संलग्नता

हितधारकों की संलग्नता एक मुख्य घटक-तत्व है जिसे प्रस्वीकृत परियोजना द्वारा एक समावेशी और सतत प्रक्रिया के रूप में व्यवसाय संचालन में समेकित करने की जरूरत होगी। संवेदनशील/असुरक्षित जनों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण में उल्लेखनीय सुधार के साथ-साथ E&S जोखिमों से बचने और उन्हें कम करने के लिए हितधारकों के साथ सार्थक और प्रगतिशील परामर्श आवश्यक हैं।

GAIA की प्रस्वीकृत परियोजनाएं GCF स्थायित्व मार्गदर्शन नोट के दिशानिर्देशों का पालन करेंगी: GCF द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के बारे में सार्थक हितधारक-संलग्नता की रूपरेखा तैयार करना और सुनिश्चित करना।

पारदर्शिता, दायित्वशीलता, समावेशन, गैर-भेदभाव और "हानि न पहुंचाएं" के सिद्धांतों के आधार पर, प्रस्वीकृत परियोजना द्वारा एक सफल हितधारक-संलग्नता में निम्नांकित चरणों का पालन किया जाना चाहिए:

चरण 1: एक कार्यनीति तैयार करें

यह परिभाषित करें कि परियोजना प्रस्तावकों, परियोजना क्रियान्वयन और उससे प्रभावित होने वाले समुदायों की सफलता के लिए हितधारकों की संलग्नता क्यों महत्वपूर्ण है। कार्यनीति में स्वदेशी लोगों के लिए विशिष्ट प्रावधानों एवं लैंगिक रूप से संवेदनशील संलग्नता पर विचार किया जाना चाहिए। सभी प्रस्वीकृत परियोजनाओं के लिए यह वांछित होगा कि, सेक्टर तथा प्रस्तावित मध्यवर्तन के उपयुक्त तरीके से, वे महिलाओं, स्वदेशी लोगों एवं अन्य संवेदनशील समूहों सहित, कार्यकलापों से प्रभावित होने वाले सम्बंधित हितधारकों को शामिल करें, और डिजाइन, रूप-रचना, कार्यान्वयन और निगरानी एवं मूल्यांकन सहित परियोजना-चक्र के सभी चरणों में लैंगिक वीक्षण (लेन्ज़) को लागू करें।

चरण 2: हितधारकों और मुद्दों की मैपिंग और विश्लेषण

परियोजना से सम्बंधित विशिष्ट मानदंड के अनुसार, किसी भी रुचि रखने वाले समूह के बारे में विचार करें, जैसे राष्ट्रीय एवं उप-राष्ट्रीय संस्थाएं, सरकारें, नागरिक समाज, महिलाएं, अल्पसंख्यक, और स्वदेशी लोक। उनकी स्थिति और रुचियों, अपेक्षाओं, प्रभाव, भावनात्मक दांव, आर्थिक या राजनैतिक स्थिति और उनके संभावित योगदानों का विश्लेषण करें। समूहों की मुख्य रुचियों पर निर्भर करते हुए, यह विचार करते हुए एक वरीयताकृत संलग्नता-सूची निर्धारित करें कि कौन-सा हितधारक सबसे ज्यादा प्रभावित होगा।

इस चरण पर पहचाने गए समूहों तक पहुंच कायम करना और उन्हें "पूर्व-परामर्श" करना भी महत्वपूर्ण होगा ताकि परियोजना के बारे में सूचना को साझा की जा सके तथा हितधारकों की सूची और संलग्नता कार्यनीति को संचारित एवं परिष्कृत करने के सबसे उपयुक्त तरीके के बारे में फीडबैक एकत्रित किए जा सकें।

चरण 3: हितधारकों के साथ संलग्नता

चरण 2 में वरीयताकृत संलग्नता-सूची पर निर्भर होते हुए, हितधारकों के साथ संलग्नता में परियोजना के प्रभाव की मात्रा के आधार पर अंतर होगा।

उच्च वरीयता वाले हितधारकों को, जिनके कार्यकलाप से सबसे ज्यादा प्रभावित होने की संभावना रहती है, बातचीत, वार्ता प्रक्रियाओं तथा साझेदारियों में नियमित रूप से शामिल किया जाना चाहिए। जिन हितधारकों की रुचि उच्च स्तर की है लेकिन जो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं हैं उनके बारे में सर्वे या फोकस ग्रुप के माध्यम से, या न्यूज़लेटरो, सोशल मीडिया अपडेट्स या विशेष बैठकों में आमंत्रणों के जरिये, फीडबैक टूल्स के माध्यम से संचार पर विचार किया जाना चाहिए। जो लोग कम चिंतित या प्रभावित हैं, उन्हें परियोजना के बारे में जानकारी और अपडेट तक पहुंच होनी चाहिए। हितधारकों के साथ संलग्न होने के क्रम में, परामर्श के लिए अनेक अवसरों को प्रस्तुत करना, मीटिंग की कार्यवाहियों तथा दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी भी अनुबंध और समय-सीमाओं के रिकॉर्ड रखना चाहिए।

चरण 4: निगरानी और फॉलो-अप

संलग्नता कार्यकलापों के क्रमिक एवं सही विकास को समझने की कुंजी है निगरानी प्रक्रिया जो कि अप्रत्याशित घटनाओं की स्थिति में प्रतिकार्य करने की दृष्टि से भी उपयोगी है। निगरानी के अंतर्गत नियमित अंतराल होते हैं जिनका उद्देश्य परियोजना में होने वाले ऐसे किन्हीं भी परिवर्तनों की पहचान करना है जिनके कारण नए E&S जोखिम सामने आ सकते हों, तथा संभावित मुद्दों को कम करना और उन्हें दुरुस्त करना। निगरानी प्रक्रिया में हितधारकों की संख्या और विविधता, योजना की प्रभाविता सम्बंधी फीडबैक, अनुबंधों और प्रतिबद्धताओं की पूर्ति, तथा महिलाओं, स्वदेशी लोगों, संवेदनशील जनों या अल्पसंख्यक समूहों एवं अन्य अल्प प्रतिनिधित्व वाले हितधारकों की संलग्नता किस हद तक हुई है, के बारे में विचार किया जाता है।

हितधारक संलग्नता योजना में यह वांछित है कि सूचना के प्रकटीकरण, हितधारकों के साथ लैंगिक रूप से संवेदनशील तरीके से प्रमुख परामर्श का वर्णन किया गया हो तथा प्रस्वीकृत परियोजना के कार्यकलापों के किन्हीं भी जोखिमों और प्रभाव के बारे में विचार किया गया हो। जब हितधारकों और उनकी संलग्नता के स्तर की मैपिंग कर ली जाती है तो निम्नांकित तत्वों के अनुसार हितधारक संलग्नता योजना की रूपरेखा तैयार कर ली जानी चाहिए:

1. **परिचय**: उपक्रम एवं संभावित E&S जोखिमों का संक्षिप्त विवरण।

2. **विनियम एवं आवश्यक बातें:** किसी भी कानूनी, नियामक अथवा हितधारक की संलग्नता को संदर्भित करने वाली कम्पनी से सम्बंधित आवश्यक बातों का सार-संक्षेप।

3. **प्रकटित सूचना का सारांश:** यदि पात्रता-प्राप्त परियोजना ने पिछले हितधारक संलग्नता कार्यकलाप से सम्बंधित किसी सूचना या परामर्श को प्रकट किया हो तो सूचना की प्रकृति का सारांश प्रस्तुत किया जाना चाहिए, तथा उसके स्वरूप और उसका संवितरण कैसे किया गया इस बारे में विस्तृत विवरणों को शामिल किया जाना चाहिए; यदि कोई मीटिंग्स हुई हों तो उनकी तिथि और स्थान; किन प्रतिभागियों से परामर्श किया गया; किन मुद्दों पर चर्चा की गई और क्या अनुवर्ती कदम (फॉलो-अप) उठाए गए।

4. **हितधारक सूची:** उन हितधारकों की सूची जिनसे, परियोजना से उत्पन्न प्रभाव के स्तर पर निर्भर करते हुए, परामर्श किया जाएगा, और जिन्हें सूचित किया जाएगा।

5. **कार्यक्रम:** कार्यक्रम के लक्ष्यों और उद्देश्यों का विवरण; कौन-सी सूचनाएं प्रकट की जाएंगी और किस टर्म द्वारा; महिलाओं और अल्पसंख्यकों की संलग्नता का वर्णन।

6. **समय-तालिका:** विभिन्न संलग्नता कार्यकलापों की निर्धारित तिथियों और स्थान सम्बंधी एक समय-तालिका तैयार करना।

7. **संसाधन एवं उत्तरदायित्व:** सभी पात्रता-प्राप्त परियोजनाओं के लिए, हितधारक संलग्नता योजना के क्रियान्वयन के लिए समर्पित कर्मचारियों और संसाधनों की पहचान करें और/या यह कि क्या किसी सुयोग्य हितधारक सम्पर्क अधिकारी(रियों) को बहाल किया गया है।

8. **शिकायत तंत्र प्रक्रिया:** उस प्रक्रिया का वर्णन जिसके माध्यम से परियोजना से प्रभावित व्यक्ति और समुदाय कम्पनी के समक्ष अपनी शिकायतों के बारे में बता सकते हैं, और जिसमें यह विनिर्दिष्ट किया गया हो कि उनका निराकरण कैसे और किनके द्वारा किया जाएगा।

9. **निगरानी और रिपोर्टिंग:** निगरानी प्रक्रिया का वर्णन जिसके अंतर्गत हितधारकों की संख्या और विविधता, योजना की प्रभाविता के बारे में फीडबैक, अनुबंधों और प्रतिबद्धताओं की पूर्ति, और संलग्नता योजना की निगरानी में लगने वाले समय एवं प्रक्रिया सारिणी की सीमा, पर विचार किया गया हो।

10. **प्रबंधन के प्रकार्य:** हितधारकों की संलग्नता योजना को परियोजना ESMS में कैसे समेकित किया जाएगा, और साथ ही संलग्नता योजना के प्रबंधन और परिनियोजन के लिए समर्पित कर्मचारी, प्रक्रिया के प्रलेखन, निशानदेही और प्रबंधन के लिए उपयोग किए गए साधनों और पात्रता-प्राप्त कार्यक्रमों के बीच अभिक्रिया स्थानीय हितधारकों के साथ अच्छे सम्बंध कैसे सुनिश्चित करेगी – इन बातों की एक विस्तृत रूपरेखा प्रदान करें।

स्वदेशी लोक समुदाय की संलग्नता के बारे में विशिष्ट दिशानिर्देशों के लिए कृपया ***परिशिष्ट 3 स्वदेशी लोक रूपरेखा*** तथा GAIA लैंगिक-संवेदनशील प्रावधानों के लिए *GAIA GESI* ***मूल्यांकन एवं कार्य योजना*** का भी अवलोकन करें।

शिकायत प्रक्रिया यांत्रिकी

शिकायत प्रक्रिया यांत्रिकी वह प्रणाली है जो सभी हितधारकों, और खास तौर पर परियोजना से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों और समुदायों को, अपना फीडबैक देने, और उस माध्यम से सूचना तक पहुंच हासिल करने और आवश्यक होने पर बचाव एवं समाधान तलाशने की अनुमति देती है।

GAIA प्रबंधन द्वारा आवश्यकतानुसार विशेष प्रक्रियाओं को क्रियान्वित किया जाएगा। प्रत्येक GAIA-स्वीकृत परियोजना के लिए एक शिकायत प्रक्रिया यांत्रिकी की जरूरत होगी और प्रभावित परियोजनाओं को परिणामों के बारे में संसूचित करते हुए, तथा व्यक्तियों की गोपनीयता की रक्षा करते हुए उसके क्रियान्वयन के बारे में आम जनता को नियमित रूप से रिपोर्ट देते हुए, GAIA एक प्रभावी फीडबैक प्रणाली सुनिश्चित करेगा। वह प्रभावित परियोजनाओं को ऐसी स्थिति में स्वतंत्र न्यायिक उपाय लेने के उनके अधिकार के बारे में भी संसूचित करेगा जब परियोजना-विशिष्ट यांत्रिकी का प्रयोग करते हुए शिकायतों का संतोषप्रद निराकरण नहीं किया जा सकता।

यह अवांछित E&S जोखिमों की पहचान और उन्हें कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है, यह समाधान तक पहुंच प्राप्त करने में सक्षम बनाती है और परियोजना के E&S कार्य-प्रदर्शन से जुड़ी चिन्ताओं एवं शिकायतों के निवारण को सुगम करती है।

SEAH की घटनाएं होने पर GAIA प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि सुगम एवं समावेशी उत्तरजीवी-केन्द्रित एवं लैंगिक रूप से उत्तरदायी शिकायत निवारण यांत्रिकी उपलब्ध रहे जिसमें ऐसे मामलों के सुरक्षित एवं नैतिकतापूर्ण प्रलेखन के साथ उनकी गोपनीय रिपोर्टिंग सहित SEAH के लिए विशेष प्रविधियां हों जिनसे यह संकेतित हो सके कि ऐसी घटनाओं की रिपोर्टिंग कब और कहां की जाए, और कौन से अनुवर्ती (फॉलो-अप) कदम उठाए जाएंगे।

GAIA एक प्रभावी शिकायत प्रक्रिया यांत्रिकी सुनिश्चित करेगा जिसे एक ऐसे तरीके के रूप में संरचित किया जाना चाहिए जो:

- वैध, विश्वसनीय एवं परियोजना के जोखिमों एवं संभावित प्रतिकूल प्रभावों के अनुपात में हो।
- पहुंच-योग्य एवं संभावित रूप से प्रभावित सभी परियोजनाओं एवं रुचि रखने वाले अन्य पक्षों के लिए औचित्यपूर्ण रूप से अनुकूलित हो – स्थानीय भाषा में और भाषा सम्बंधी बाधाओं/सीमाओं पर विजय पाने के लिए भाषांतर/अनुवाद सेवाओं के प्रावधान के साथ - चाहे उनकी साक्षरता अथवा प्रशासनिक क्षमता जो भी हो।
- एक लॉग जिसमें शिकायतों को लिखित रूप से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटाबेस के रूप में दर्ज़ किया जाए, जिसे GCF से स्वतंत्र शिकायत निवारण यांत्रिकी के साथ साझा किया जाए। उसमें शिकायत और समाधान, निवारण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी शामिल होगी और, निवेदन किए जाने पर, वह गुमनाम रह सकेगा।
- प्रक्रिया के विज्ञापन के रूप में प्रकाशित, प्रस्तुत करने के माध्यम, सुझाई गई प्रतीक्षा-अवधि, प्रत्युत्तर और समाधान में लगने वाले समय, प्रक्रियाओं की पारदर्शिता का विवरण, तथा प्रशासनिक एवं निर्णय लेने वाली संरचनाओं की रूपरेखा।
- अपील की एक प्रक्रिया सहित जिसके पास, समाधान प्राप्त न होने पर, असंतोषजनक शिकायतों को भेजा जा सके।
- अन्य उपलब्ध शिकायत यांत्रिकिओं सहित, जिसमें GCF से स्वतंत्र शिकायत निवारण यांत्रिकी तथा प्रमाणित एवं क्रियान्वयन करने वाले निकायों की शिकायत यांत्रिकियां भी शामिल होंगी।
- शिकायत करने वालों को बदले की कार्रवाईयों से बचाने के उपायों के साथ संस्थापित।
- लैंगिक रूप से संवेदनशील।

- गोपनीयता और अज्ञात रहने के प्रावधान के साथ, यदि शिकायतकर्ता द्वारा निवेदन किया जाए और खास तौर पर ऐसी स्थितियों में जब शिकायतकर्ता को बदले की कार्रवाई का डर हो तो, अनुरोधों की गोपनीय सार-संभाल की गारंटी देता हो।
- निष्पक्ष, पारदर्शी एवं समावेशी, मानव-अधिकारों के साथ अनुरूपित हो।
- संलग्नता और बातचीत से निर्देशित हो।
- प्रक्रिया की दृष्टि से पूर्वसूचनीय हो।
- समयबद्ध हो।
- न्यायिक समाधान पाने के लिए किसी व्यक्ति की आर्थिक योग्यता के कारण शिकायत एवं निवारण तक उसकी पहुंच को बाधित न करे।
- GAIA एवं प्रस्वीकृत परियोजना संस्थाओं सहित, सभी हितधारकों के लिए सतत सीख का स्रोत हो।
- त्वरित रूप से पहुंच-योग्य और प्रभावित हितधारकों एवं समुदायों को उसकी कोई कीमत न देनी पड़े तथा तकनीकी एवं आर्थिक सहायता उपलब्ध हो।
- GCF से स्वतंत्र शिकायत निवारण यांत्रिकी अथवा प्रमाणित या कार्यपालक निकायों की शिकायत निवारण यांत्रिकी तक पहुंच को कम करने की संभावना वाला न हो।
- व्यवसाय एवं मानवाधिकार के बारे में संयुक्त राष्ट्र के निर्देशक सिद्धान्तों के आर्टिकल 31 में वर्णित किए गए अनुसार गैर-न्यायिक शिकायत यांत्रिकी के लिए "प्रभाविता मानदंड" द्वारा सुविज्ञ हो।

ऐसी स्थिति में जबकि परियोजना और/या कार्यकलापों में स्वदेशी लोग या समुदाय शामिल हों, शिकायत यांत्रिकी की संरचना निम्नानुसार होगी:

- शिकायतों को हल करने के लिए स्वदेशी लोगों के प्रभावित या संभावित रूप से प्रभावित समुदायों के परामर्श से सह-निर्मित किया गया हो।
- उसमें उन विभिन्न तरीकों के बारे में बताया गया हो जिनसे स्वदेशी लोग अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हों और यदि शिकायतकर्ता को किसी अधिकृत प्रतिनिधि या नागरिक समाज संगठन द्वारा बदले की कार्रवाई या उनसे दबने का डर है तो गुमनाम रह सकने का प्रावधान हो।
- मौजूदा औपचारिक या अनौपचारिक शिकायत यांत्रिकी को शामिल करता हो – जिसमें स्थानीय उपचारों, परम्परागत कानूनों, लागू होने वाले कानूनों और राज्य की संधियों, विवाद समाधान यांत्रिकी, स्वदेशी लोगों की न्याय प्रणाली और स्वतंत्र स्वदेशी विशेषज्ञ शामिल हों – जहां उचित या व्यावहारिक हो - और उपयोगकर्ताओं को इन राज्य-प्रबंधित न्यायिक और प्रशासनिक प्रणालियों तक पहुंच प्राप्त करने और उन्हें उपयोग में लाने में भेदभाव नहीं करता हो।

जहां कहीं भी GAIA अथवा प्रस्वीकृत परियोजना संस्थाएं इस बात की पहचान करेंगी कि उन्होंने प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न किए हो सकते हैं या उनमें योगदान दिया है, उन्हें चाहिए कि वे कानून-सम्मत प्रक्रियाओं के माध्यम से निवारण प्रदान करें या उसमें सहयोग करें। किसी भी शिकायत के निवारण की पुष्टि हितधारक/व्यथित पक्ष की संतुष्टि के निवारण के प्रमाण के माध्यम से की जानी चाहिए। यह वांछित है कि प्रस्वीकृत परियोजना संस्थाएं इस प्रक्रिया को सतर्कतापूर्वक प्रलेखित करें।

जहां कहीं भी शिकायत दाखिल किए जाने योग्य या प्रासंगिक नहीं हो वहां प्रस्वीकृत परियोजना संस्थाएं व्यथित पक्षों को प्रासंगिक अधिकारी या अन्य शिकायत प्रक्रिया यांत्रिकी के पास रेफर करेंगी। शिकायत प्रक्रिया यांत्रिकी को चाहिए कि वह किसी परियोजना-विशिष्ट प्रसंग से बाहर किसी स्वतंत्र न्यायिक अथवा प्रशासनिक उपचारों तक पहुंच को बाधित न करे। इसके विपरीत, उसे चाहिए कि वह स्वतंत्र न्यायिक अथवा प्रशासनिक संस्थाओं तक पहुंच को सुगम बनाए और एक पूरक की भूमिका निभाए। प्रस्वीकृत परियोजना संस्थाओं से यह भी वांछित

है कि वे हितधारक संलग्नता योजना के क्रियान्वयन और शिकायत प्रक्रिया यांत्रिकी के कार्य-प्रदर्शन की निगरानी करें। कार्यबल, स्थानीय प्रभावित समुदायों और खास तौर पर स्वदेशी लोगों के पुनर्वास से सम्बंधित शिकायत प्रक्रिया यांत्रिकी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। स्वदेशी लोगों को संलग्न करने वाली परियोजनाओं में शिकायत यांत्रिकियों को तैयार किए जाने के सम्बंध में विशेष दिशानिर्देश इस दस्तावेज़ के परिशिष्ट 3 और साथ ही GCF स्वदेशी लोक नीति[7] और उसके कार्य-संचालन दिशानिर्देशों[8] में पाया जा सकता है। GCF स्वदेशी लोक नीति के अनुरूप, परियोजना निकायों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्वदेशी लोग इस बात से अवगत हैं कि GCF से स्वतंत्र शिकायत निवारण यांत्रिकी और सचिवालय का स्वदेशी लोक फोकल प्वाइंट दावा किए जाने से पहले की अवधि को शामिल करते हुए किसी भी चरण में सहायता के लिए उपलब्ध होगा।

परियोजना और इसकी गतिविधियों में अनुचित व्यवहार, कदाचार या अन्य संबंधित मुद्दों की शिकायतों और आरोपों की रिपोर्टिंग के लिए विशिष्ट प्रावधान। 'व्हिसल-ब्लोअर कार्यक्रम' को भी GCF के धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के प्रति शून्य-सहिष्णुता के अनुरूप विकसित और उपलब्ध कराने की जरूरत होगी और धोखाधड़ी एवं सत्यनिष्ठा के उल्लंघनों को उजागर करने के लिए स्पष्ट उपाय प्रदान करने होंगे[9]।

[7] https://www.greenclimate.fund/document/indigenous-peoples-policy
[8] https://www.greenclimate.fund/document/operational-guidelines-indigenous-peoples-policy
[9] https://www.greenclimate.fund/document/policy-protection-whistleblowers-and-witnesses

सूचना का प्रकटीकरण

GCF E&S नीति के अनुरूप अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए GAIA अपने कार्य-संचालन के सभी पहलुओं में पारदर्शिता और दायित्वशीलता के महत्व को समझता है। कार्यक्षमता और प्रभाविता के सिद्धान्तों से प्रेरित, GAIA मंच अपने कार्य-संचालनों में पारदर्शिता के लिए प्रतिबद्ध है और वह अपने हितधारकों के साथ अपने कार्य-संचालनों से सम्बंधित प्रासंगिक सूचनाओं को साझा करने और उन्हें सुगम बनाने के लिए प्रयत्नशील रहेगा।

इस खंड में GAIA मंच द्वारा जनता को उपलब्ध कराई जाने वाली सूचना के सम्बंध में उसकी नीति का निरूपण किया गया है; यह प्रस्वीकृत संस्था, MUFG बैंक लिमिटेड, GFC सूचना प्रकटीकरण नीति और GFC की पुनरीक्षित पर्यावरणीय एवं सामाजिक नीति (ESP) के अनुरूप GAIA मंच द्वारा सृजित या उसके स्वामित्व में स्थित सभी सूचनाओं पर लागू होती है।

जैसाकि पिछले खंडों में वर्णित किया गया है, GAIA द्वारा निवेशित सभी परियोजनाओं में GAIA हितधारकों की प्रभावी संलग्नता सुनिश्चित करेगा, उसमें समुचित शिकायत प्रक्रिया यांत्रिकी और मंच के स्तर पर एक शिकायत यांत्रिकी को शामिल किया है । इन सबके अतिरिक्त, GCF की सूचना प्रकटीकरण नीतियों के अनुरूप, GAIA अपनी परियोजनाओं के पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रभाव के बारे में अतिरिक्त रिपोर्टों को प्रकट करेगा।

ऐसी स्थितियों में जब सूचना के प्रकटीकरण के कारण सूचना तक पहुंच से होने वाले लाभों की तुलना में हितों, संस्थाओं या पक्षों को होने वाली संभावित हानि कहीं ज्यादा होगी, और यदि GAIA कानूनी रूप से सूचना को प्रकट न करने के लिए बाध्य होगा अथवा यदि उसे प्रायोजकों और तीसरे पक्षों से गोपनीयता से संकेतित सूचना प्राप्त हुई है तो प्रकटीकरण से अपवाद की अनुमति होगी। सूचना तक पहुंच को सुगम बनाने के लिए GAIA मंच सभी व्यावहारिक उपायों को लागू करेगा।

GCF E&S नीति के अनुसार, GAIA के लिए प्रस्तावित परियोजनाओं के E&S प्रलेखन को प्रकट करना वांछित है। इन दस्तावेज़ों में पुनर्स्थापन कार्य योजनाएं एवं नीति की रूपरेखाएं, IP योजनाएं और रूपारेखाएं, लिंग सम्बंधी आकलन और लैंगिक कार्य योजनाएं, ESDD एवं ऑडिट रिपोर्ट्स, जो कि वांछित ESIA की परिपूरक होंगी, ESMP और/या अन्य कार्य-संचालनात्मक रूपरेखाएं शामिल हैं।

विशेष रूप से, GAIA द्वारा उप-परियोजनाओं की स्वीकृति से कम से कम 120 कैलेंडर दिवस पूर्व ESIA और ESMP का (श्रेणी A उप-परियोजनाओं के लिए) और कम से कम 30 कैलेंडर दिवस पूर्व ESIA और ESMP का (श्रेणी B उप-परियोजनाओं के लिए), अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में, प्रकटीकरण करना होगा। यह प्रकटीकरण अंग्रेजी भाषा में प्रभावित लोगों के लिए सुविधाजनक स्थानों पर तथा संलग्न लोगों की भाषा में होगा, और सूचना GCF को प्रदान की जाएगी।

अपवादों का सम्बंध निम्नांकित से है:

- डायरेक्टर्स, स्टाफ, परामर्शदाताओं, विशेषज्ञों, एटॉर्नीज़, एजेन्टों, कॉन्ट्रैक्टरों तथा GAIA से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति के बारे में व्यक्तिगत जानकारी;
- विवादास्पद अथवा वार्ता के अधीन कानूनी, अनुशासनात्मक अथवा जांच-पड़ताल से जुड़े विषय, कथित जालसाजी, भ्रष्टाचार या कदाचार अथवा अनुशासनात्मक कार्यवाहियों से जुड़ी किसी भी जांच-पड़ताल से सम्बंधित सूचना, अथवा ऐसी कोई भी सूचना जो भौतिक रूप से किसी जांच-पड़ताल या प्रशासनिक कार्रवाई या न्याय को पूर्वाग्रही बना सकती हो, या जो लागू होने वाले कानून, आनुबंधिक अनिवार्यता का उल्लंघन करती हो या जो GAIA मंच को अनुचित किस्म की मुकदमेबाजी के जोखिम में उलझा सकती हो;
- आंतरिक दस्तावेज़ एवं संवाद/संचार जैसे अपने परामर्शदाताओं, एटॉर्नियों, एजेन्टों या कॉन्ट्रैक्टरों के साथ;

- ऐसी सूचनाएं जो संभावित रूप से GAIA मंच अथवा प्रायोजकों के कर्मचारियों और उनके परिवारों, सलाहकारों, विशेषज्ञों और कॉन्ट्रैक्टरों, अन्य किन्हीं व्यक्तियों या उनकी परिसम्पत्तियों की संरक्षा, सुरक्षा या स्वास्थ्य से समझौता कर सकती हों;
- GAIA मंच द्वारा अन्य पक्षों के साथ गोपनीयता कर्तव्य के दायरे में आने वाली अनुबंधित गोपनीय सूचनाएं;
- वित्तीय, व्यावसायिक अथवा स्वामित्व सम्बंधी एवं गैर-सार्वजनिक सूचनाएं जो GAIA के पास हैं और/या उनकी प्रकट अनुमति के बिना किसी बाहरी या आंतरिक पक्ष से सम्बंधित सूचनाएं;
- GCF, AEs और प्रायोजकों के साथ ईमेल्स, नोट्स, पत्रों, ज्ञापनों, रिपोर्टों के रूप में आंतरिक प्रक्रियाओं अथवा बाहरी प्रक्रियाओं में समाविष्ट विचारात्मक सूचनाएं अथवा GAIA मंच द्वारा या उसकी ओर से उसके कर्मचारियों, सलाहकारों, विशेषज्ञों, एटॉर्नियों, या एजेन्टों द्वारा तैयार किए गए आंतरिक दस्तावेज़; और
- वे सूचनाएं जिन्हें प्रकट न किए जाने के लिए GCF, AEs और प्रायोजकों द्वारा अनुरोध किया गया हो।

ESMS की सतत समीक्षा

GAIA द्वारा E&S तथा HRs नीतियों को मान्यता दी जाती है, तथा प्रक्रियाएं अनवरत रूप से जारी और गत्यात्मक प्रकृति की हैं और वह स्वयं अपने कार्य-संचालनों एवं प्रस्वीकृत परियोजनाओं के स्तर पर इन दोनों में ही निरंतर सुधार के लिए प्रयत्नशील है।

कार्यनीतिक रूप से महत्वपूर्ण एवं कार्य-संचालनात्मक निर्णयों तथा जारी निवेश कार्यकलापों को सुविज्ञ बनाने के लिए GAIA प्रस्वीकृत परियोजनाओं की रिपोर्टिंग और अनुपालन की निगरानी के माध्यम से प्राप्त सूचनाओं का उपयोग करेगा।

वित्तपोषण परियोजना की स्वीकृति के बाद ESMS का प्रथम पुनरीक्षण किया जाएगा।

हितधारकों की संलग्नता तथा शिकायत चैनलों के माध्यम से प्राप्त सूचनाओं को समाहित करते हुए, IM और उसकी टीम वार्षिक आधार पर इस ESMS की समीक्षा करेगी।

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1 - GAIA प्रस्तावित क्षेत्र और कार्यकलाप

तालिका 1 GAIA द्वारा वित्तपोषण की पात्रता रखने वाले क्षेत्रों (सेक्टरों) और कार्यकलापों की सूची प्रस्तुत करती है। इस तरह की सूची संयुक्त MDB 'क्लाइमेट-फायनेंस ट्रैकिंग मेथडोलॉजी' की सकारात्मक सूची पर आधारित है। भविष्य में, इस सूची में अतिरिक्त कार्यकलापों को शामिल किया जा सकता है, बशर्ते कि वे दो शर्तों को पूरा करते हों: i) एक स्पष्ट जलवायु न्यूनीकरण प्रभाव दर्शाया जा सकता है (अर्थात पूर्व में उल्लिखित MDB की कार्य पद्धति से, वह उन कार्यकलापों की सूची में है जो जलवायु न्यूनीकरण वित्तपोषण के रूप में श्रेणीबद्ध किए जाने के योग्य हैं, और ii) परिवर्जित/न्यूनीकृत GHG उत्सर्जनों के मापन के लिए एक GCF द्वारा मान्यता-प्राप्त रूपरेखा उपलब्ध है (जैसे: UN CDM, UNFCCC IFI TWG)।

तालिका 1. GAIA से वित्तपोषण के लिए पात्रता-प्राप्त न्यूनीकरण कार्यकलापों की सकारात्मक सूची

क्षेत्र (सेक्टर)	पात्र संपत्ति/कार्यकलाप
नवीकरणीय ऊर्जा	पवन शक्ति
	भूतापीय ऊर्जा (सिर्फ तभी जब कुल उत्सर्जन न्यूनीकरण दर्शाया जा सके)
	सौर ऊर्जा (संकेन्द्रित सौर ऊर्जा, फोटोवॉल्टीक ऊर्जा)
	नवीकरणीय ऊर्जा के लिए ट्रांसमिशन लाइन्स
	चिरस्थायी फीडस्टॉक से प्राप्त द्वितीय एवं तृतीय पीढ़ी जैव ईंधन
ऊर्जा कार्यक्षमता	मौजूदा संयंत्रों में उद्योग में ऊर्जा कार्यक्षमता (प्रासंगिक रूढ़िवादी बेसलाइन की तुलना में कम से कम 20% सुधार)
	मौजूदा वाणिज्यिक, सार्वजनिक एवं आवासीय भवनों में ऊर्जा कार्यक्षमता को बेहतर बनाना (प्रासंगिक रूढ़िवादी बेसलाइन की तुलना में कम से कम 20% सुधार)
अपशिष्ट एवं अपशिष्ट जल	अपशिष्ट जल संग्रहण नेटवर्कों सहित अपशिष्ट जल का परिशोधन (ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स के लिए आधारित नवीकरणीय ऊर्जा, ब्राउनफील्ड्स परियोजनाओं के लिए GHG उत्सर्जनों को कम करना)
	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
परिवहन	नगरीय मास ट्रांजिट
	इलेक्ट्रिक एवं मोटर-रहित परिवहन (साइकिलें एवं पैदल यात्रियों की गतिशीलता)

सक्षम मालवाहन परिवहन (उच्च उत्सर्जन वाले ट्रकों की जगह लेने के लिए, इत्यादि)

तालिका 2 GAIA द्वारा वित्तपोषण के पात्र जलवायु अनुकूलन क्षेत्रों (सेक्टरों) और कार्यकलापों की सूची प्रस्तुत करती है। इस तरह की सूची यूरोपीय जलवायु अनुकूलन प्लेटफ़ॉर्म क्लाइमेट-ADAPT से स्पष्ट अनुकूलन तर्कसंगतता के साथ कार्यकलापों के चयन पर आधारित है। भविष्य में इस सूची में अतिरिक्त गतिविधियां जोड़ी जा सकती हैं, बशर्ते कि जलवायु अनुकूलन का स्पष्ट प्रभाव दिखाया जा सके।

तालिका 2. **अनुकूलन कार्यकलापों के लिए सकारात्मक सूची**

GCF परिणाम क्षेत्र	**कार्यकलाप**	**जलवायु प्रभाव**
परितंत्र एवं परितंत्रीय सेवाएं	अनुकूलन अवसर के रूप में वनरोपण एवं पुनर्वनरोपण	बाढ़, सूखा, विषम तापमान, पानी की कमी
परितंत्र एवं परितंत्रीय सेवाएं	तटीय आर्द्रभूमियों का पुनरुद्धार एवं प्रबंधन	समुद्र-स्तर में वृद्धि, सूखा, तूफान, बाढ़
परितंत्र एवं परितंत्रीय सेवाएं	ग्रोइनेस एवं ब्रेकवाटर्स	समुद्र-स्तर में वृद्धि, तूफान, बाढ़
परितंत्र एवं परितंत्रीय सेवाएं	बीच एवं शोरफेस पोषण	समुद्र-स्तर में वृद्धि, तूफान, बाढ़
परितंत्र एवं परितंत्रीय सेवाएं	जल-संवेदी वन प्रबंधन	पानी का अभाव, तूफान, सूखा, बाढ़
परितंत्र एवं परितंत्रीय सेवाएं	ड्यून निर्माण एवं सशक्तीकरण	समुद्र-स्तर में वृद्धि, बाढ़
स्वास्थ्य, खाद्य एवं जल सुरक्षा	सिंचाई सक्षमता को बेहतर बनाना	सूखा, पानी का अभाव
स्वास्थ्य, खाद्य एवं जल सुरक्षा	नदियों एवं बाढ़ के मैदानों का पुनर्वास एवं पुनरुद्धार	सूखा, तूफान, बाढ़, समुद्र-स्तर में वृद्धि
स्वास्थ्य, खाद्य एवं जल सुरक्षा	सूखा का अनुकूलन और जल संरक्षण योजनाएं	पानी का अभाव, सूखा
स्वास्थ्य, खाद्य एवं जल सुरक्षा	पानी का पुनर्चक्रण	पानी का अभाव, सूखा
स्वास्थ्य, खाद्य एवं जल सुरक्षा	रायपेरियन बफर्स की स्थापना और पुनरुद्धार	सूखा, तूफान, पानी का अभाव, बाढ़, समुद्र-स्तर में वृद्धि
स्वास्थ्य, खाद्य एवं जल सुरक्षा	कृषि क्षेत्रों में बेहतर जल-अवरोधन	सूखा, पानी का अभाव, बाढ़
स्वास्थ्य, खाद्य एवं जल सुरक्षा	अनुकूलित फसलों एवं किस्मों का प्रयोग	विषम तापमान, पानी का अभाव, सूखा
स्वास्थ्य, खाद्य एवं जल सुरक्षा	संरक्षण कृषि	पानी का अभाव, सूखा
स्वास्थ्य, खाद्य एवं जल सुरक्षा	अ-लवणीकरण	सूखा, पानी का अभाव
स्वास्थ्य, खाद्य एवं जल सुरक्षा	भूजल प्रबंधन का अनुकूलन	सूखा, समुद्र-स्तर में वृद्धि, पानी का अभाव
अधोसंरचना एवं निर्मित पर्यावरण	जलवायु-प्रूफ रोड डिजाइन, निर्माण एवं संधारण	बर्फ और हिम, तूफान, विषम तापमान, बाढ़
अधोसंरचना एवं निर्मित पर्यावरण	जलविद्युत संयंत्रों के लिए अनुकूलन के विकल्प	सूखा, बाढ़, पानी का अभाव

अधोसंरचना एवं निर्मित पर्यावरण	इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन और वितरण नेटवर्कों और अधोसंरचना के अनुकूलन विकल्प	तूफान, बर्फ और हिम, विषम तापमान
अधोसंरचना एवं निर्मित पर्यावरण	अत्यधिक ताप के विरुद्ध भवनों की जलवायु-प्रूफिंग	विषम तापमान
अधोसंरचना एवं निर्मित पर्यावरण	स्टॉर्म सर्ज़ गेट्स / फ्लड बैरियर्स	समुद्र-स्तर में वृद्धि, तूफान, बाढ़
अधोसंरचना एवं निर्मित पर्यावरण	फ्लोटिंग एवं ऐम्फिबियस हाउसिंग	बाढ़, समुद्र-स्तर में वृद्धि, तूफान
अधोसंरचना एवं निर्मित पर्यावरण	डाइक्स और डैमों का अनुकूलन या सुधार	समुद्र-स्तर में वृद्धि, तूफान, बाढ़
बहुल अनुकूलन क्षेत्र	तटीय भूमि को को ऊपर उठाना	बाढ़, समुद्र-स्तर में वृद्धि, तूफान
बहुल अनुकूलन क्षेत्र	क्लिफ स्ट्रेंथनिंग और स्टैबलाइजेशन	समुद्र-स्तर में वृद्धि, तूफान
बहुल अनुकूलन क्षेत्र	सी-वॉल्स और जेटीज़	समुद्र-स्तर में वृद्धि, तूफान, बाढ़
बहुल अनुकूलन क्षेत्र	शहरी क्षेत्रो में हरित स्पेस और कॉरिडोर्स	विषम तापमान, बाढ़, पानी का अभाव
बहुल अनुकूलन क्षेत्र	कृषि-वानिकी एवं फसल विविधताकरण	बाढ़, विषम तापमान, सूखा
बहुल अनुकूलन क्षेत्र	जल-संवेदी नगरीय एवं भवन डिजाइन	बाढ़, पानी का अभाव, सूखा
बहुल अनुकूलन क्षेत्र	समेकित तटीय प्रबंधन योजनाओं का अनुकूलन	समुद्र-स्तर में वृद्धि, तूफान, बाढ़
बहुल अनुकूलन क्षेत्र	अग्नि प्रबंधन योजनाओं का अनुकूलन	सूखा, विषम तापमान
बहुल अनुकूलन क्षेत्र	आरंभिक चेतावनी प्रणालियों की स्थापना	पानी का अभाव, तूफान, सूखा, बाढ़, बर्फ और हिम, विषम तापमान

परिशिष्ट 2 – प्रायोजक-सम्बंधी मानव-अधिकार एवं लैंगिक नीतियां

MUFG प्रमाणित निकाय

प्रमाणित कार्यकारी एजेन्सी के रूप में, MUFG लिमिटेड ने खास तौर पर GCF परियोजनाओं के लिए एक लैंगिक नीति स्थापित की है जिसमें विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन अनुकूलन एवं लोचशीलता परियोजनाओं में GEWE सिद्धान्तों, कार्यों एवं क्रियाकलापों को जोड़ा गया है।

1. GCF परियोजनाओं के लिए MUFG लिमिटेड की लैंगिक नीति[10];
2. आधुनिक गुलामी अधिनियम 2015 तथा राष्ट्रकुल आधुनिक गुलामी अधिनियम 2018, 2020 प्रकटीकरण वक्तव्य[11];

MUFG ने जलवायु अनुकूलन क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण GCF-प्रस्वीकृत परियोजनाओं और निधियों के लिए प्रायोजक एवं कार्यकारी एजेन्सी की भूमिका निभाई है, इनमें से प्रत्येक ने विकासशील देशों पर दृढ़ फोकस के साथ लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तीकरण के सम्बंध में अपने लक्ष्यों को समरेखित किया है।

FinDev कनाडा

FinDev कनाडा ने एक विस्तृत लैंगिक समानता कार्यनीति तैयार की है जो कि कैनेडियन नारीवादी अंतर्राष्ट्रीय सहायता नीति (FIAP) के सिद्धान्तों तथा प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के बारे में नवीनतम प्रमाण से सुविज्ञ है। लैंगिक समानता की दिशा में प्रगति की निगरानी FIAP और 2X चैलेंज संकेतकों के माध्यम से की जाती है जबकि निवेशों की स्कोरिंग महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण पर पड़ने वाले उनके वर्तमान एवं संभावित प्रभाव के आधार पर की जाती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि GEWE को IM के कार्य-संचालनों के दायरे में तथा मंच के माध्यम से वित्तपोषण चाहने वाली परियोजनाओं की समुचित सतर्कता प्रक्रिया के संदर्भ में प्रभावी रूप से समेकित कर लिया गया है, FinDev कनाडा चयनित स्वतंत्र परिसम्पत्ति प्रबंधक (IM) के साथ कार्य करेगा। EMs और LDCs में प्राइवेट सेक्टर के साथ, सम्मिश्रित वित्तीय कार्य-व्यवहारों सहित, FinDev कनाडा के कार्य यह सुनिश्चित करते हैं कि स्वयं IM तथा IM द्वारा मंच की ओर से संचालित किए जाने वाले कार्यकलाप लिंग एवं समावेशन के लक्ष्यों और उद्देश्यों को समेकित करते हैं जो प्रत्येक परियोजना के प्रसंग में महत्वाकांक्षी होने के बावजूद तर्कसंगत और व्यवहार्य हैं।

FinDev कनाडा

1. लैंगिक समानता कार्यनीति;
2. लैंगिक समानता नीति;
3. पर्यावरणीय एवं सामाजिक नीति;
4. विकास प्रभाव रूपरेखा;

[10] MUFG (नवंबर 24, 2020). GCF परियोजनाओं/कार्यक्रमों के लिए लैंगिक नीति

[11] MUFG (मार्च 31, 2021). आधुनिक गुलामी अधिनियम 2015 तथा राष्ट्रकुल आधुनिक गुलामी अधिनियम 2018, 2020 प्रकटीकरण वक्तव्य।

परिशिष्ट 3 – परियोजनाओं के लिए मार्गदर्शन स्वदेशी लोगों का आकलन, रूपरेखा और योजना

स्वदेशी लोग

GCF और, IFC प्रदर्शन मानक दोनों द्वारा सुविज्ञ किए जाने के आधार पर, GAIA स्वदेशी लोगों के बारे में अपनी समझ को अंगीकृत करता है, जिसका अर्थ ऐसे लोगों या लोगों के समूह से है जो विशिष्ट सांस्कृतिक समूह की आत्म-पहचान की सामान्य विशेषताओं के साथ एक विशिष्ट सामाजिक और सांस्कृतिक समूह और इसके साथ ही अन्यों के साथ इस पहचान को मान्यता देते हुए, भौगोलिक दृष्टि से विशिष्ट वास स्थानों के लिए सामूहिक लगाव रखता है, प्रथागत संस्थानों का पालन करता है, और/या किसी विशिष्ट बोली या भाषा का उपयोग करता है।

GAIA स्वदेशी लोगों के सामाजिक समूहों को मुख्यधारा के समाज से अलग मानता है, जिन्हें सबसे अधिक हाशिए पर और आर्थिक, सामाजिक और कानूनी रूप से कमजोर समुदाय खंडों में शामिल कर सकते हैं जिनमें वे रहते हैं। स्वदेशी लोग इस संबंध में विशेष रूप से कमजोर होते हैं जब निवेश उनकी भूमि और संसाधनों को रूपांतरित कर देता है, अतिक्रमण करता है, या महत्वपूर्ण रूप से खराब करता है। स्वदेशी लोगों की कमजोर स्थिति भूमि और प्राकृतिक और सांस्कृतिक संसाधनों में अपने अधिकारों और हितों की रक्षा करने की उनकी क्षमता को सीमित कर सकती है, और विकास में भाग लेने और लाभ उठाने की उनकी क्षमता को प्रतिबंधित करती है और इस तरह उनकी भाषाओं, संस्कृतियों, धर्मों, आध्यात्मिक विश्वासों और संस्थानों को खतरे में डालती है।

स्वदेशी लोग अक्सर अपने उस भूभाग से जिस पर वे निर्भर करते हैं तथा उससे सम्बंधित उन प्राकृतिक संसाधनों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए होते हैं जो पारंपरिक रूप से स्वामित्व में हैं या प्रथागत उपयोग के तहत हैं। हालांकि हो सकता है कि प्रभावित स्वदेशी लोग लागू होने वाले राष्ट्रीय कानूनों द्वारा परिभाषित किए गए अनुसार इन भूभागों पर कानूनी अधिकार न रखते हों, लेकिन अपनी आजीविका के लिए सामयिक एवं चक्रीय रूप से, उनकी तथा समुदाय की पहचान कायम करने वाले रैतिक एवं आध्यात्मिक उद्देश्यों से, इन भूभागों का उनके द्वारा उपयोग सही साबित किया जा सकता है और उसे प्रलेखित किया जा सकता है।

GAIA प्रस्वीकृत परियोजनाओं द्वारा अपनाए जाने वाले दिशानिर्देश और आवश्यक बातें

GAIA द्वारा समर्थित किन्हीं भी कार्यकलापों के प्रति जो स्वदेशी लोगों को प्रभावित कर सकते हों और स्वदेशी लोगों के आकलन, रूपरेखा और योजना पर विचार करने की दृष्टि से परियोजना निकायों के लिए अंतर्दृष्टिपूर्ण मार्गदर्शन उपलब्ध कराते हों, निम्नांकित मानकों को अपनाया जाना होगा:

- स्वदेशी लोगों के लिए IFC कार्य-प्रदर्शन मानक सम्बंधी आवश्यकताएं (कार्य-प्रदर्शन मानक 7);
- GCF स्वदेशी लोक नीति एवं कार्य-संचालन मार्गदर्शन; तथा
- GAIA के ESMS के अन्य लागू होने वाले प्रावधान।

जैसाकि इस दस्तावेज़ के ***परिशिष्ट 4*** में वर्णित है (**अपवर्जन सूची**), निम्नांकित को संलग्न करने वाले किसी भी कार्यकलाप को GAIA के निवेश कार्यकलापों से अपवर्जित किया गया है:

- वे कार्यकलाप जो "स्वैच्छिक अलगाव", "पृथक लोग" या "प्रारंभिक संपर्क में" में स्वदेशी लोगों से सम्पर्क को शामिल कर सकते हों या उनकी भूमि या प्रदेशों को प्रभावित कर सकते हों;
- ऐसे कार्यकलाप जिनके कारण स्वदेशी लोगों का अनैच्छिक पुनर्वास होगा। GAIA वित्तपोषण के उन कार्यों से बचेगा जिनमें कार्यकलापों के परिणामस्वरूप स्वदेशी लोगों का भौतिक विस्थापन शामिल हो सकता है (अर्थात, पुनर्वास, जिसमें आश्रय की क्षति के कारण होने वाला पुनर्वास भी शामिल है), चाहे वह पूर्ण या आंशिक और स्थायी या अस्थायी, या आर्थिक और व्यावसायिक विस्थापन हो (यानी, संपत्ति की हानि या उन संपत्तियों तक पहुंच खो देना जिससे आय स्रोतों या आजीविका के साधनों की हानि होती है)।

GAIA प्रस्तावित एवं प्रस्वीकृत परियोजना जीवन-चक्र के दायरे में स्वदेशी लोक के समेकन सम्बंधी विचार के चरण

परियोजनाओं की स्क्रीनिंग और मूल्यांकन चरण सुरक्षा मानक की प्रयोज्यता का निर्धारण करेंगे। स्क्रीनिंग (चरण 2) के बाद, जहां परियोजना का स्वदेशी लोगों पर प्रभाव पड़ सकता है, परियोजना एक उच्च-स्तरीय स्वदेशी पीपुल्स प्लानिंग रूपरेखा (IPPF) तैयार करेगी, जो उप-परियोजनाओं या परियोजना के घटकों पर लागू होने वाले सिद्धांतों, संगठनात्मक व्यवस्था और डिजाइन मानदंडों को स्पष्ट करती है।

मूल्यांकन चरण (चरण 3) और परियोजना के कार्यकलापों या घटकों की पहचान और इस पुष्टि के बाद कि स्वदेशी लोग परियोजना क्षेत्र में मौजूद हैं या उस क्षेत्र से उनका सामूहिक लगाव है, जोखिमों और प्रभावों के अनुपात में एक विशिष्ट स्वदेशी लोक योजना (IPP) तैयार की जानी चाहिए। गतिविधियाँ तब तक शुरू नहीं होंगी जब तक GAIA की क्रेडिट समिति इस योजना की समीक्षा और अनुमोदन नहीं कर देती।

दोनों दस्तावेज़ों में IFC PS 7, GCF स्वदेशी लोक नीति तथा कार्य-संचालन सम्बंधी दिशानिर्देशों और इस ESMS के अनुपालन में उचित निगरानी और रिपोर्टिंग, प्रकटीकरण और अन्य व्यवस्थाएं होंगी जैसा कि निम्नांकित 'स्वदेशी लोक योजना रूपरेखा (IPPF) और स्वदेशी लोक योजना (IPP) के अनुभाग में उल्लिखित है।'

इस बात की गारंटी देने के लिए कि परियोजनाएं सम्बंधित चरण की आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने में सक्षम होंगी, GAIA ट्रैफिक लाइट प्रणाली की रूपरेखा के दायरे में प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए GAIA की समानांतर TA सुविधा सक्रिय की जा सकती है ***(कृपया GAIA निवेश चक्र खंड के दौरान ESMS परिचालन दिशानिर्देश देखें) ।***

स्वदेशी लोक योजना रूपरेखा (IPPF) एवं परियोजनाओं की आरंभिक ESS स्क्रीनिंग

GAIA मानता है कि स्वदेशी लोगों का संदर्भ और परिस्थितियाँ अलग-अलग क्षेत्रों और अलग-अलग देशों में भिन्न होती हैं। स्क्रीनिंग चरण और परियोजनाओं के आकलन चरण इन दोनों के दौरान स्वदेशी लोगों की विशिष्ट ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संदर्भ को ध्यान में रखना होगा।

GAIA प्रस्तावित सेक्टर और कार्यकलाप और IP पर उनके प्रभाव

GAIA **से न्यूनीकरण वित्तपोषण के लिए पात्रता-प्राप्त क्षेत्रों (सेक्टरों) और कार्यकलापों की सांकेतिक सूची इस** ESMS **के *परिशिष्ट 1*** में प्रस्तुत की गई है जबकि GAIA **अपवर्जन सूची *परिशिष्ट 4*** में प्रस्तुत की गई है।

---

*प्रस्तावित कार्यकलापों की प्रकृति और क्षेत्रों के कारण, GAIA यह अपेक्षा नहीं करता कि अनुमोदित परियोजनाओं से पर्यावरण, समुदायों या स्वदेशी लोगों पर अत्यंत अपरिवर्तनीय नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे जिन्हें कम नहीं किया जा सकता है। तथापि सभी भौतिक घटकों, जैसे हवा, शोर, धूल और गंध के साथ-साथ किसी भी जल निकाय, भूमि उपयोग, पारिस्थितिकी तंत्र और सामाजिक घटकों पर प्रभाव का पूरी तरह से मूल्यांकन और प्रबंधन किया जाएगा, और साथ ही **ESIA** प्रक्रिया के हिस्से के रूप में सामुदायिक स्वास्थ्य और आजीविका पर पड़ने वाले किसी संभावित प्रभाव का भी। अस्थायी निर्माण प्रभावों – विशेषकर परिवहन और बुनियादी संरचना परियोजनाओं के लिए – की पहचान की जाएगी और उन्हें कम किया जाएगा।*

इसके विपरीत, परियोजनाओं और संबंधित कार्यकलापों से पर्यावरण, स्थानीय समुदायों और IP (यदि कोई हो) दोनों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, क्योंकि उनका उद्देश्य ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को अनुकूलित और कम करना है।

परियोजना की ESIA प्रक्रिया परियोजना-विशिष्ट सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभावों की पहचान करेगी।

परियोजना की ESIA प्रक्रिया के दौरान स्वदेशी लोक आकलन

प्रथम स्क्रीनिंग चरण के बाद, आकलन चरण (चरण 3) के दौरान, GAIA यह सुनिश्चित करेगा कि – यदि परियोजना क्षेत्र में किन्हीं स्वदेशी लोगों की पहचान की गई है तो – परियोजना ESIA प्रक्रिया:

a. परियोजना क्षेत्र के भीतर स्वदेशी लोगों के समुदायों की बेहतर और व्यापक रूप से पहचान करेगी, विशेष रूप से उनकी जो उप-परियोजनाओं या निवेशों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में, परियोजना, यह पता लगाने के लिए कि गतिविधियों के संदर्भ में कोई समूह स्वदेशी लोगों के रूप में माना जाता है या नहीं या वह स्वयं इस रूप में अपनी पहचान करता है या नहीं, सक्षम पेशेवरों को शामिल कर और उनसे सलाह ले सकती है।

b. प्रमुख सामुदायिक विशेषताओं, सामाजिक और राजनीतिक वातावरण, और स्थानीय सामाजिक-आर्थिक कारकों, जो स्वदेशी लोगों पर प्रभाव डालते हैं, का विश्लेषण करके स्वदेशी लोगों सहित स्थानीय आबादी के सामाजिक और जनसांख्यिकीय संदर्भ की समझ विकसित करना।

c. संभावित रूप से प्रभावित होने वाले स्वदेशी लोगों तथा प्रायोजक सरकार(रों) के सहयोग से, प्रमाणित निकाय प्रकृति की पहचान करेंगे और संभावित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक (सांस्कृतिक विरासत सहित), और उन स्वदेशी लोगों के पहचाने गए समुदायों पर गतिविधियों के पर्यावरणीय प्रभावों की सीमा और परिमाण का मूल्यांकन करेगी जो उस क्षेत्र में मौजूद हैं या जिनका सामूहिक जुड़ाव है। ये नायक, एक साथ मिलकर, एक परामर्श कार्यनीति तैयार करेंगे तथा उन साधनों की पहचान करेंगे जिनके द्वारा प्रभावित स्वदेशी लोग कार्यकलापों की रूपरेखा तैयार करने तथा उन्हें क्रियान्वित करने और लाभों में न्यायपूर्ण हिस्सेदारी आश्वस्त करने में भागीदारी निभाएंगे। इसमें वृक्ष रहित घटकों या लकड़ी रहित वन उत्पादों के उपयोग सहित, जहां गतिविधियों का प्रस्ताव किया जाता है, विकृत परिदृश्यों के स्वदेशी लोगों के समुदायों द्वारा किसी भी मौजूदा उपयोग का विश्लेषण शामिल होना चाहिए। इस आकलन में इस बात की भी पहचान की जानी चाहिए कि परियोजनाएं स्वदेशी लोगों के अधिकारों, कल्याण और ज्ञान को अग्रसक्रिय रूप से कैसे बढ़ावा देंगी।

d. प्रभावित या संभावित रूप से प्रभावित स्वदेशी लोगों और समुदायों – प्रतिनिधित्व करने वाले निकायों, संगठनों (जैसे वरिष्ठ लोगों की परिषद, ग्राम परिषद या मुखिया), और, जहां उचित हो, स्वदेशी महिलाओं और युवाओं सहित समुदाय के अन्य सदस्यों – को गतिविधियों, इसके जोखिमों और प्रभावों और जोखिमों और प्रभावों को प्रबंधित करने और कम करने के उपायों के बारे में सूचित करने के लिए उनकी सार्थक भागीदारी शुरू करवाएगी और स्वदेशी लोगों को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान करवाएगी। जहां भी संभव होगा, इसका संचालन या तो स्वदेशी लोगों द्वारा समझी जाने वाली स्थानीय भाषा में किया जाएगा या भाषा की बाधाओं/सीमाओं पर विजय पाने के लिए भाषांतर/अनुवाद की व्यवस्था की जाएगी। उन पारम्परिक सांस्कृतिक दृष्टिकोणों का संज्ञान लेते हुए जो समुदाय के कुछ हिस्सों को निर्णय लेने की प्रक्रिया से वंचित कर सकते हैं, उन सामुदायिक समूहों की अभिरुचियों का विशेष ध्यान रखा जाएगा जो खास तौर पर प्रभावित और वंचित हैं, विशेष रूप से महिलाओं, युवाओं, अक्षम स्वदेशी लोगों और वयोवृद्ध लोगों का। इस प्रकार, परामर्श और निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी प्रत्यक्ष भागीदारी की अनुमति देने के लिए अवसर प्रदान किए जाएंगे। सामुदायिक जुड़ाव का स्तर प्रासंगिक सुरक्षा मानकों और नीतियों के तहत आवश्यक रूप से सुविज्ञ परामर्श और भागीदारी और/या सद्भावना वार्ता के सिद्धांतों का पालन करते हुए तैयार किया जाएगा। अतः, प्रभावी संवाद एवं क्षमता-निर्माण कार्यक्रमों में शामिल होने और विचार करने तथा लागू करने के लिए स्वदेशी लोगों की क्षमता का आकलन किया जाएगा। जरूरी होने पर, इसके अंतर्गत यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस प्रक्रिया की पर्याप्त तैयारी और उसमें भागीदारी हो सके, संसाधनों की संभाव्यता और उपलब्धता भी शामिल होगी।

e. परियोजना की प्रकृति और दायरे तथा कार्यान्वयन की संरचना पर निर्भर होते हुए, समुदायों को संगठित करने और जहां आवश्यक हो, उन्हें परियोजना नियोजन में भाग लेने के लिए तैयार करने में सहायता करने के लिए परामर्श सेवाओं, नागरिक समाज संगठनों और/या संबंधित सरकारी एजेंसियों को शामिल किया जाएगा।

f. निम्नांकित परिस्थितियों में, IFC प्रदर्शन मानकों, GCF स्वदेशी लोक नीति और प्रासंगिक राष्ट्रीय कानूनों और नीतियों की आवश्यकताओं के अनुसार स्वतंत्र, पूर्व और सुविज्ञ सहमति (FPIC) प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू करेगी: i) पारम्परिक स्वामित्व के अधीन अथवा प्रथागत उपयोग या व्यवसाय के अंतर्गत भूमि एवं प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ने वाले प्रभाव, ii) पारम्परिक स्वामित्व के अधीन अथवा प्रथागत उपयोग या व्यवसाय के अंतर्गत भूमि एवं प्राकृतिक संसाधनों से स्वदेशी लोगों का पुनर्वास, अथवा iii) सांस्कृतिक उद्देश्यों के लिए सांस्कृतिक विरासत के उपयोग सहित सांस्कृतिक विरासत पर प्रभाव। FPIC शुरू करने की प्रक्रिया, प्रभावित या संभावित प्रभावित स्वदेशी लोगों के बीच हुआ समझौता, और इस तरह की प्रक्रिया के साक्ष्य और परिणामों पर स्वदेशी लोगों के साथ समुदायों की पसंदीदा और पारंपरिक प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए सहमति व्यक्त की जाएगी। FPIC के दस्तावेज उप-परियोजना पर समुचित सतर्कता के हिस्से के रूप में तैयार किए जाएंगे। परियोजना निकायों को जान लेना चाहिए कि FPIC प्राप्त करने की प्रक्रिया पुनरावर्ती है और उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे अपने प्रस्तावों, IPP और IPPF में पर्याप्त संसाधन आवंटित करेंगे।

g. प्रस्तावित गतिविधियों, परियोजना के डिजाइन और कार्यान्वयन व्यवस्था के बारे में परियोजना क्षेत्र में मौजूद या सामूहिक लगाव रखने वाले स्वदेशी लोगों से परामर्श करेगी। परामर्श प्रक्रिया स्वदेशी लोगों को, प्रस्तावित परियोजना/परियोजना प्रस्तावक को उनके विचारों के बारे में सूचित करने, या तो ऐसी गतिविधियों के समर्थन या विरोध में, और वे उप-परियोजना डिजाइन, निर्णय लेने और कार्यान्वयन में कैसे भाग ले सकते हैं इसकी सिफारिशों के लिए, अवसर भी प्रदान करेगी।

h. जहां संभव हो, पारंपरिक ज्ञान का उपयोग अनुकूलन और शमन गतिविधियों और ESIA अध्ययनों के लिए आधार रेखा सहित परियोजना की मूल्यांकन प्रक्रियाओं में इनपुट के रूप में किया जाना चाहिए।

i. हितधारक परामर्श उन कार्यकलापों को आरंभ किए जाने से पहले किया जाना चाहिए जो उनके अधिकारों और हितों को प्रभावित कर सकते हैं और वह योजना के पूरे जीवनकाल में चलते हैं। उसे एक परामर्श रणनीति द्वारा निर्देशित किया जाएगा जिसमें यह रेखांकित किया जाएगा कि कैसे प्रभावित स्वदेशी लोगों से परामर्श किया जाएगा और पूरे उप-परियोजना चक्र में भाग लिया जाएगा। इस परामर्श रणनीति को एक समयबद्ध योजना में एकीकृत किया जाएगा जैसे कि स्वदेशी लोक योजना (या अलग स्वदेशी लोगों के घटकों वाली एक व्यापक योजना)। इस योजना का दायरा और स्तर संभावित परियोजना जोखिमों और प्रभावों के अनुरूप होगा। जहां स्वदेशी लोग प्रभावित समुदायों में बहुमत में हैं, स्वदेशी लोक योजना को ESMP परियोजना में एकीकृत किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को सहज बनाने के लिए, जहां भी प्रासंगिक हो, परियोजना निकाय संलग्नता में स्थानीय भाषा(ओं) के प्रयोग, और साथ ही प्रभावित लोगों की परम्पराओं, नियम-कायदों, और मूल्यों के अनुसार और उनके चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से लैंगिक एवं अंतर्पीढ़ी तौर-तरीकों को अपनाने के बारे में विचार कर सकते हैं।

स्वदेशी लोक योजना (IPP)

ऊपर निरूपित किए गए आकलन चरण के प्रतिफल के रूप में, गतिविधियों या घटकों की पहचान और इस बात की पुष्टि कि परियोजना क्षेत्र में स्वदेशी लोग मौजूद हैं या उनका सामूहिक लगाव है, उसके बाद जोखिमों

और प्रभावों के अनुपात में एक विशिष्ट और विस्तृत स्वदेशी लोक योजना (IPP) तैयार की जाएगी। गतिविधियां तब तक शुरू नहीं होंगी जब तक GAIA ऐसी योजनाओं की समीक्षा और अनुमोदन नहीं करती।

IPP में ये बातें शामिल होंगी:

a. परियोजना के तहत वित्त पोषण के लिए प्रस्तावित संभावित उप-परियोजनाओं के प्रकार;

b. आधाररैखिक सूचना (स्वतंत्र एवं प्रतिभागी पर्यावरणीय एवं सामाजिक जोखिम तथा प्रभाव आकलन प्रक्रियाएं);

c. स्वदेशी लोगों पर ऐसे कार्यक्रमों या उप-परियोजनाओं का संभावित सकारात्मक और प्रतिकूल प्रभाव;

d. ऊपर वर्णित ESIA प्रक्रिया के अनुसार;

e. नकारात्मक प्रभावों से बचने, उन्हें कम एवं न्यून करने तथा सकारात्मक प्रभावों एवं अवसरों को बढ़ाने के उपाय;

f. लाभ साझा करने की योजनाएं;

g. अवधि प्रबंधन;

h. समुदाय-आधारित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन;

i. लैंगिक आकलन एवं कार्य योजनाएं;

j. कीमत, बजट, समय-तालिका, संगठनात्मक दायित्व;

k. स्वदेशी लोगों के अनुरूप सार्थक परामर्श सुनिश्चित करने की रूपरेखा और GAIA ***हितधारक भागीदारी*** प्रावधानों के अनुरूप स्वतंत्र, पूर्व और सुविज्ञ सहमति (FPIC) सुनिश्चित करने की रूपरेखा और इस रूपरेखा में सूचीबद्ध मानक;

l. पहले से आयोजित परामर्शों के परिणाम (पर्यावरण और सामाजिक जोखिमों और प्रभावों के मूल्यांकन प्रक्रियाओं के दौरान), जिसमें भाग लेने वाले लोगों और संगठनों की सूची, एक समय सारिणी, प्रत्येक गतिविधि, FPIC और भविष्य की संलग्नता योजनाओं के लिए कौन जिम्मेदार था शामिल हो;

m. परियोजना समर्थित गतिविधियों की स्क्रीनिंग के लिए क्षमता निर्माण करने, स्वदेशी लोगों पर उनके प्रभाव का मूल्यांकन करने, IPPS तैयार करने और GAIA ***शिकायत यांत्रिकी*** प्रक्रियाओं के अनुरूप किसी भी शिकायत को संबोधित करने सहित संस्थागत व्यवस्थाएं और इस रूपरेखा में सूचीबद्ध मानक;

n. निगरानी, मूल्यांकन और रिपोर्टिंग व्यवस्थाएं, यह कि दोनों स्वदेशी लोगों की सार्थक एवं प्रभावी भागीदारी को प्रोत्साहित एवं विकसित करते हों, जिसमें इस रूपरेखा में सूचीबद्ध आवश्यकताओं और मानकों तथा GAIA की ***निगरानी और रिपोर्टिंग*** की आवश्यकताओं के अनुरूप परियोजना के लिए उपयुक्त तंत्र और बेंचमार्क शामिल हों; तथा

o. GAIA ***सूचना के प्रकटीकरण*** के अनुरूप IPP के लिए प्रकटीकरण व्यवस्थाएं IPPF में निर्दिष्ट किए गए अनुसार तैयार की जानी चाहिएं, तथा

p. इस रूपरेखा में सूचीबद्ध मानक

किन्हीं अन्य तदर्थ प्रबंधन योजनाओं के विकास का भी मामला दर मामला मूल्यांकन किया जाएगा।

जहां कहीं भी परियोजना प्रस्तावक **पारंपरिक रूप से स्वदेशी लोगों के स्वामित्व वाली या प्रथागत उपयोग वाली भूमि पर एक परियोजना** का स्थान निर्धारित करता है, और प्रतिकूल प्रभावों की उम्मीद हो सकती है, वहां GAIA प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि परियोजना प्रस्तावक मुक्त, पूर्व एवं सूचित सहमति सुनिश्चित करेगा और निम्नलिखित कदम उठाएगा, जिनका और अधिक विवरण परियोजना के IPP में प्रस्तुत किया जाएगा:

a. जमीन खरीदने या पट्टे पर लेने से पहले सभी संपत्ति हितों और पारंपरिक संसाधनों के उपयोग की पहचान और समीक्षा करेगा।

b. वर्णन करेगा कि वित्तपोषण के लिए प्रस्तावित गतिविधियां कैसे लागू कानून और राज्य के दायित्वों के अनुरूप होंगी, जो प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय संधियों और समझौतों के तहत गतिविधियों पर सीधे लागू होती हैं, जो विशेष रूप से परियोजना और कार्यक्रम के डिजाइन और क्रियान्वयन, एवं स्वदेशी लोगों के समुदायों को प्रभावित करने वाले जोखिमों और प्रभावों से संबंधित अपेक्षित परिणाम के दौरान एक पारदर्शी और समावेशी एवं पुनरावर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में स्वतंत्र, पूर्व और सुविज्ञ सहमति तथा सांस्कृतिक रूप से समुचित, पारदर्शी एवं समावेशी परामर्शों और प्रक्रियाओं के माध्यम से प्रभावित या संभावित रूप से प्रभावित होने वाले स्वदेशी लोगों के साथ सार्थक परामर्श के लिए प्रयास करेगी;

c. प्रस्तावित गतिविधियों के डिजाइन और कार्यान्वयन में महिलाओं, लड़कियों और युवाओं सहित स्वदेशी लोगों की भागीदारी का वर्णन करेगा, और स्वदेशी लोगों की स्वतंत्र, पूर्व एवं सूचित सहमति प्रक्रिया के विस्तृत परिणाम प्रदान करेगा; तथा

d. कार्यान्वयन संस्थाओं और प्रभावित समुदायों के बीच GCF द्वारा वित्तपोषित गतिविधियों के भीतर पारस्परिक रूप से स्वीकृत प्रक्रिया के दस्तावेजी साक्ष्य प्रदान करेगा, और पार्टियों के बीच समझौते का सबूत प्रदान करेगा जो वार्ता का परिणाम था;

e. वैकल्पिक परियोजना भूमि क्षेत्रों और प्रभावित प्राकृतिक संसाधनों पर विचार करने और भूमि और प्राकृतिक संसाधनों के प्रभावों को कम करने के लिए किए गए सभी प्रयासों का दस्तावेजीकरण करेगा;

f. पारंपरिक स्वामित्व या प्रथागत उपयोग के अधीन सांप्रदायिक अधिकार वाली भूमि और प्राकृतिक संसाधनों से स्वदेशी लोगों को स्थानांतरित करने से बचने के लिए संभव वैकल्पिक परियोजना डिजाइनों पर विचार करेगा;

g. उन परियोजना गतिविधियों को शुरू करने से बचें जो स्वदेशी लोगों की पहचान और/या सांस्कृतिक, औपचारिक या आध्यात्मिक जीवन के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक विरासत पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती हैं। यदि यह अपरिहार्य है तो प्रभावित स्वदेशी लोगों के समुदायों की स्वतंत्र, पूर्व और सुविज्ञ सहमति प्राप्त करें;

h. सुनिश्चित करेगा कि प्रभावित समुदायों को उनके भूमि अधिकारों के बारे में राष्ट्रीय कानून के तहत सूचित किया जाता है, जिसमें प्रथागत उपयोग के अधिकारों और सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त तरीके से मान्यता देने वाला कोई भी राष्ट्रीय कानून शामिल है;

i. स्वतंत्र, पूर्व एवं सूचित सहमति प्रक्रिया के परिणामों के अनुरूप एवं उसके अधीन, प्रभावित स्वदेशी लोगों के समुदायों को मुआवजा प्रदान करें, और/या सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त और सतत विकास के अवसर और लाभ साझा करने की पेशकश करेगा और उचित प्रक्रिया का पालन करेगा जिससे उनकी भूमि और प्राकृतिक संसाधनों को व्यावसायिक रूप से विकसित किया जा सके।

परिशिष्ट 4 - बहिष्करण सूची

GAIA मंच निम्नलिखित गतिविधियों से संबंधित जलवायु अनुकूलन और शमन परियोजनाओं में निवेश नहीं करेगा:

- खोज, निष्कर्षण, प्रॉस्पेक्टिंग (रॉयल्टी सहित), परिशोधन, उत्पादन, वितरण (पाइपलाइन और अन्य सुविधा परियोजनाओं सहित), प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन, जीवाश्म ईंधन को बढ़ावा देना (ऑयल, सैंड ऑयल, प्राकृतिक गैस, शेल गैस सहित), और इन्हें भी शामिल करते हुए:
    - जीवाश्म ईंधन का उपयोग करने वाली विद्युत उत्पादन परिसंपत्तियां;
    - ग्रिड में निवेश जिसका उपयोग जीवाश्म ईंधन संयंत्र से बिजली निकालने के लिए किया जाएगा;
    - नई नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता को शामिल किए बिना उच्च उत्सर्जन कारक वाले पावर ग्रिडों के लिए ग्रिड विस्तार;
    - ऐसे निवेश जो जीवाश्म ईंधन परिसंपत्तियों के जीवनकाल को बढ़ाते हैं (जैसे जीवाश्म ईंधन उद्योग में ऊर्जा दक्षता उपाय);
    - ऊर्जा दक्षता निवेश जो जीवाश्म ईंधन परिसंपत्तियों के जीवनकाल को बढ़ाते हैं;
    - कोयला और तापीय कोयले की खोज, अन्वेषण, प्रसंस्करण या खनन, परिवहन, वितरण और उपयोग;
    - किसी भी मौजूदा कोयला आधारित बिजली संयंत्र (ड्यूल सहित) का नवनिर्माण या नवीनीकरण। निर्माण-पूर्व चरण में इन गतिविधियों से संबंधित परियोजनाओं को रद्द करना, जब तक कि काम पहले से ही चालू न हो; और
    - किसी भी मौजूदा केवल हेवी फ्यूल ऑयल (HFO) या केवल डीजल बिजली संयंत्र का नवनिर्माण या नवीनीकरण, जो सार्वजनिक ग्रिड के लिए ऊर्जा का उत्पादन करता है और जिससे ऐबसॉल्यूट CO2 उत्सर्जन में वृद्धि होती है।

- मेज़बान देश के कानूनों या विनियमों या अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और समझौतों के तहत अवैध मानी जाने वाली गतिविधियां या सामग्री, या अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के अधीन, जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स, कीटनाशक/शाकनाशी, रसायन, ओजोन क्षयकारी पदार्थ, PCB (पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल), और अन्य विशिष्ट या खतरनाक पदार्थ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय विशिष्टताओं और अपशिष्ट या अपशिष्ट उत्पादों में सीमापार व्यापार पर कन्वेंशन के तहत विनियमित वन्यजीव या वन्यजीव उत्पाद;
- वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES) का उल्लंघन करने वाली गतिविधियां;
- गतिविधियां जो उच्च संरक्षण मूल्य क्षेत्र और विश्व धरोहर स्थलों के वर्गीकरण मानदंडों को पूरा करते संरक्षण के योग्य क्षेत्रों के विनाश या महत्वपूर्ण हानि से जुड़ी हो सकती हैं;
- रामसर कन्वेंशन के तहत नामित आर्द्रभूमि को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाली गतिविधियां;
- गतिविधियां जिनमें "स्वैच्छिक अलगाव में", "पृथक लोगों" या "प्रारंभिक संपर्क में" स्वदेशी लोगों के साथ संपर्क शामिल हो सकता है या उनकी भूमि और क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है;
- ऐसी गतिविधियाँ जिनके परिणामस्वरूप स्वदेशी लोगों का अनैच्छिक पुनर्वास होगा, और धन संबंधी गतिविधियों से बचना जिनमें स्वदेशी लोगों का भौतिक विस्थापन शामिल हो सकता है (यानी स्थानांतरण,

आश्रय के नुकसान के परिणामस्वरूप आवश्यक स्थानांतरण सहित), चाहे गतिविधियों के परिणामस्वरूप पूर्ण या आंशिक और स्थायी या अस्थायी, या आर्थिक और व्यावसायिक विस्थापन (यानी संपत्ति की हानि या संपत्ति तक पहुंच जिससे आय के स्रोतों या आजीविका के साधनों का नुकसान होता है);

- ब्राउनफील्ड परियोजनाएं (उन परियोजनाओं को छोड़कर जिन्हें GAIA निर्माण अवधि के बाद फिर से वित्तपोषित करता है);
- भांग, यदि मुख्य गतिविधि है (गतिविधि का प्राथमिक क्षेत्र या 50% से अधिक राजस्व उत्पन्न करने वाली गतिविधि)। प्रतिष्ठा और ESG विश्लेषण के बाद क्षेत्र में काम कर रही अन्य कंपनियों के लिए खुलापन;
- अपशिष्ट और अपशिष्ट उत्पादों का सीमा पार व्यापार जब तक कि बेसल कन्वेंशन और अंतर्निहित नियमों का अनुपालन न हो;
- जुआ, कैसीनो और समकक्ष उद्यम;
- कैदियों की रखवाली और जेलों या आप्रवासन और शरणार्थी निरोध केंद्रों का स्वामित्व या संचालन, जिसमें कैदियों को सेवाएं प्रदान करने वाले किसी भी व्यवसाय का बहिष्कार शामिल है, यदि जेल से संबंधित गतिविधि 15% से अधिक राजस्व का प्रतिनिधित्व करती है;
- नाभिकीय संयंत्र (न्युक्लीयर प्लांट्स);
- अश्लीलता और/या वेश्यावृत्ति;
- नस्लवादी, अलोकतांत्रिक और/या नव-नाजी मीडिया का उत्पादन और वितरण;
- हैंडगन, हथियारों का उत्पादन, जिसमें नागरिकों के लिए असाल्ट हथियार और गोला-बारूद, परमाणु हथियार, जैविक और रासायनिक हथियार, कार्मिक-विरोधी बारूदी सुरंगें और क्लस्टर बम शामिल हैं;
- जबरन श्रम या हानिकारक बाल श्रम के हानिकारक या शोषक रूपों से संबंधित उत्पादन या गतिविधियाँ;
- मादक पेय पदार्थों का उत्पादन या व्यापार (बीयर और वाइन को छोड़कर) यदि यह किसी परियोजना की प्राथमिक वित्तपोषित व्यावसायिक गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है;
- रेडियोधर्मी सामग्री और असीमित एस्बेस्टस फाइबर;
- परमाणु कचरे का पुन: प्रसंस्करण और भंडारण;
- खुदरा विक्रेता जिनके लिए हैंडगन और असॉल्ट हथियारों की बिक्री 15% से अधिक राजस्व का प्रतिनिधित्व करती है;
- तंबाकू उत्पाद और वेपिंग उत्पाद; तथा
- अस्थिर मछली पकड़ने के तरीके, उदाहरण के लिए, ब्लास्ट फिशिंग या 2.5 किमी से अधिक लंबाई के जाल का उपयोग करके समुद्री वातावरण में ड्रिफ्ट नेट फिशिंग।

परिशिष्ट 5 - ESS स्क्रीनिंग चेकलिस्ट

भाग ए: पात्र गतिविधियों के मेनू से संबंधित जोखिम कारक

संभावित परियोजना पर सामान्य जानकारी	
कंपनी का नाम	
गतिविधियों का पहला वर्ष	
परियोजना क्षेत्रों का स्थान (भौगोलिक निर्देशांक के साथ)	

जोखिम कारक	हां	नहीं
क्या गतिविधियों में संबद्ध सुविधाएं शामिल होंगी और ऐसी संबद्ध सुविधाओं के लिए और अधिक समुचित सतर्कता की आवश्यकता होगी?	☐	☐
कृपया अपने उत्तर का औचित्य प्रदान करें:		
क्या गतिविधियों में सीमा पार प्रभाव शामिल होंगे जिनमें वे भी शामिल हैं जिनके लिए और अधिक समुचित सतर्कता बरतने और प्रभावित राज्यों को अधिसूचना की आवश्यकता होगी?	☐	☐
कृपया अपने उत्तर का औचित्य प्रदान करें:		
क्या गतिविधियां संभावित रूप से स्थानीय समुदायों और श्रमिकों को SEAH के उच्च जोखिम के लिए उजागर करेंगी?	☐	☐
कृपया अपने उत्तर का औचित्य प्रदान करें:		
क्या गतिविधियों से काम करने की परिस्थितियों और श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा या संभावित रूप से महिलाओं और बच्चों सहित कमजोर श्रेणियों के श्रमिकों को रोजगार मिलेगा?	☐	☐
कृपया अपने उत्तर का औचित्य प्रदान करें:		
क्या गतिविधियां संभावित रूप से कीटनाशकों और दूषित भूमि सहित खतरनाक अपशिष्ट और प्रदूषक उत्पन्न करेंगी जिसके लिए प्रबंधन, न्यूनीकरण और नियंत्रण और देश और प्रयोज्य अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण गुणवत्ता मानकों के अनुपालन पर आगे के अध्ययन की आवश्यकता होगी?	☐	☐
कृपया अपने उत्तर का औचित्य प्रदान करें:		
क्या गतिविधियों में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का निर्माण, रखरखाव और पुनर्वास शामिल होगा (जैसे बांध, जल क्षेत्र, तटीय और नदी के किनारे का बुनियादी ढांचा) जिसके लिए आगे तकनीकी मूल्यांकन और सुरक्षा अध्ययन की आवश्यकता होगी?	☐	☐
कृपया अपने उत्तर का औचित्य प्रदान करें:		
क्या प्रस्तावित गतिविधियों में संभावित रूप से पुनर्वास और बेदखली, भूमि अधिग्रहण और व्यक्तियों और समुदायों का आर्थिक विस्थापन शामिल होगा?	☐	☐

कृपया अपने उत्तर का औचित्य प्रदान करें:		
क्या गतिविधियाँ संरक्षित क्षेत्रों और पारिस्थितिक महत्व के क्षेत्रों में या उनके आसपास स्थित होंगी जिनमें महत्वपूर्ण वास स्थानों, प्रमुख जैव विविधता क्षेत्र और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त संरक्षण स्थल शामिल हैं?	☐	☐
कृपया अपने उत्तर का औचित्य प्रदान करें:		
क्या गतिविधियां उन स्वदेशी लोगों को प्रभावित करेंगी जिन्हें आगे समुचित सतर्कता, स्वतंत्र, पूर्व और सुविज्ञ सहमति (FPIC) और विकास योजनाओं के दस्तावेजीकरण की आवश्यकता होगी?	☐	☐
कृपया अपने उत्तर का औचित्य प्रदान करें:		
क्या गतिविधियाँ उन क्षेत्रों में स्थित होंगी जिन्हें पुरातात्विक (प्रागैतिहासिक), जीवाश्म विज्ञान, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, कलात्मक और धार्मिक महत्व का माना जाता है या जिनमें महत्वपूर्ण सांस्कृतिक विरासत के रूप में मानी जाने वाली विशेषताएं शामिल हैं?	☐	☐
कृपया अपने उत्तर का औचित्य प्रदान करें:		

भाग B: विशिष्ट पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिम और प्रभाव

पर्यावरण और सामाजिक जोखिमों और प्रभावों का मूल्यांकन और प्रबंधन	हां	नहीं	अभी तय नहीं
क्या परियोजना की E&S जोखिम श्रेणी परियोजना अवधारणा चरण में प्रदान की गई है जिसमें SEAH विचार भी शामिल है?	☐	☐	
क्या अवधारणा नोट के संबंधित अनुभागों में परियोजना के वर्गीकरण का औचित्य प्रदान किया गया है?	☐	☐	
क्या राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों और प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय संधियों और समझौतों के तहत कोई अतिरिक्त पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा आवश्यकताएं हैं?	☐	☐	☐
कृपया अपने उत्तर का औचित्य प्रदान करें:			
क्या जोखिम और प्रभावों की पहचान हाल की या अद्यतन जानकारी पर आधारित है?	☐	☐	☐
कृपया अपने उत्तर का औचित्य प्रदान करें:			
श्रम और काम करने की स्थिति	हां	नहीं	अभी तय नहीं
क्या गतिविधियों का संभावित रूप से काम करने की परिस्थितियों, विशेष रूप से रोजगार की शर्तों, कार्यकर्ता के संगठन, गैर-भेदभाव, समान अवसर, बाल श्रम और प्रत्यक्ष, अनुबंधित और तीसरे पक्ष के श्रमिकों के जबरन श्रम पर प्रभाव पड़ेगा?	☐	☐	☐
कृपया अपने उत्तर का औचित्य प्रदान करें:			

क्या गतिविधियां आपूर्ति श्रृंखला श्रमिकों सहित श्रमिकों के लिए व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा जोखिम पैदा करेंगी?	☐	☐	☐
कृपया अपने उत्तर का औचित्य प्रदान करें:			
पहलू	**अवलोकन/टिप्पणी**		**संदर्भ**
श्रमिकों की संख्या और मूल: स्थानीय या गैर-स्थानीय			
प्रत्यक्ष और अनुबंधित कार्यबल का %			
ठेकेदार की श्रम प्रथाओं के संबंध में उपलब्ध जागरूकता/जानकारी			
क्या बाल श्रम या जबरन श्रम का कोई सबूत या उचित संदेह है?			
क्या श्रमिक कार्यस्थल पर रहते हैं?			
क्या वन संचालन ज्यादातर मैनुअल या मशीनीकृत हैं? क्या श्रमिकों के पास पर्याप्त प्रशिक्षण और उपकरण हैं?			
क्या पिछले 5 सालों में कोई बड़ा हादसा हुआ है? क्या गंभीर दुर्घटना रिकॉर्ड के सबूत हैं			
क्या काम करने की शर्तें ILO के मौलिक सम्मेलनों का अनुपालन करती हैं?			
संसाधन दक्षता और प्रदूषण निवारण	हां	नहीं	अभी तय नहीं
क्या गतिविधियां (1) वायु में उत्सर्जन; (2) पानी का निर्वहन; (3) गतिविधि से संबंधित ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन, (4) शोर और कंपन; और (5) अपशिष्ट उत्पन्न करेंगी?	☐	☐	☐
कृपया अपने उत्तर का औचित्य प्रदान करें:			
क्या गतिविधियाँ पानी और ऊर्जा सहित प्राकृतिक संसाधनों की महत्वपूर्ण मात्रा का उपयोग करेंगी?	☐	☐	☐
कृपया अपने उत्तर का औचित्य प्रदान करें:			
क्या प्रदूषण को कम करने और संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विस्तृत उपाय विकसित करने की आवश्यकता होगी?	☐	☐	☐
कृपया अपने उत्तर का औचित्य प्रदान करें:			
सामुदायिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और बचाव	हां	नहीं	अभी तय नहीं
क्या गतिविधियां संभावित रूप से प्रभावित समुदायों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए जोखिम और प्रभाव उत्पन्न करेंगी?	☐	☐	☐
कृपया अपने उत्तर का औचित्य प्रदान करें:			
क्या एक आपातकालीन तैयारी और प्रतिक्रिया योजना की आवश्यकता होगी जो यह भी बताए कि आपातकाल के समय प्रभावित समुदायों की सहायता कैसे की जाएगी?	☐	☐	☐

कृपया अपने उत्तर का औचित्य प्रदान करें:			
क्या परियोजना स्थल पर सुरक्षा व्यवस्थाओं और संभावित संघर्षों से श्रमिकों और प्रभावित समुदाय को कोई जोखिम होगा?	☐	☐	☐
कृपया अपने उत्तर का औचित्य प्रदान करें:			
पहलू	**अवलोकन/टिप्पणी**		**संदर्भ**
स्थानीय और स्वदेशी समुदाय / हितधारक: कितनी दूर और कितने? क्या इन्हें कंपनी द्वारा पहचाना गया है?			
स्थानीय और स्वदेशी समुदायों की मुख्य आजीविका			
क्या समुदाय कंपनी द्वारा प्रबंधित संसाधनों और भूमि पर निर्भर हैं?			
संसाधनों पर सामुदायिक प्रथागत अधिकारों की स्थिति			
कंपनी-समुदाय संबंध			
क्या कंपनी हितधारक संलग्नता योजना लागू करती है?			
क्या कंपनी भागीदारी वाली, निष्पक्ष और पारदर्शी निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को नियोजित करती है? क्या स्वदेशी लोगों से FPIC का प्रमाण है? इसे कैसे दर्ज/दस्तावेज किया जाता है?			
क्या समुदायों के साथ कोई पुनर्वास या (अनसुलझे) विवाद हैं, विशेष रूप से पिछले 5 वर्षों में?			
क्या संचालन से शोर, धूल, कंपन, छाया, आदि इस हद तक उत्पन्न होते हैं जो स्थानीय समुदायों को प्रभावित कर सकते हैं?			
क्या परियोजना गतिविधियों से क्षेत्र में परिवहन और भारी वाहनों में उल्लेखनीय वृद्धि होती है? क्या यह स्थानीय बुनियादी ढांचे को प्रभावित कर सकता है? स्कूल, अस्पताल, पुलों का स्थानांतरण, आदि।			
क्या परियोजना क्षेत्र या आसपास सांस्कृतिक स्थल हैं? क्या इन्हें HCV प्रक्रिया में विचारा गया है? सांस्कृतिक स्थलों में कब्रिस्तान, पूजा स्थल, पवित्र स्थल या पेड़ आदि हो सकते हैं।			
क्या कंपनी के संचालन के सामाजिक प्रभावों की समय के साथ निगरानी की जाती है? क्या समुदायों के पास कंपनी के साथ E&S के प्रदर्शन पर चर्चा करने का अवसर है?			
क्या शिकायत तंत्र परिचालित हैं और शिकायतों को संभालने के लिए नीति/प्रक्रियाएं विकसित की गई हैं?			
क्या सुरक्षा गार्ड कार्यरत हैं? क्या वे सुरक्षा और मानवाधिकारों पर स्वैच्छिक सिद्धांतों में प्रशिक्षित हैं?			

भूमि अधिग्रहण और अनैच्छिक पुनर्वास	हां	नहीं	अभी तय नहीं
क्या गतिविधियों में भूमि अधिग्रहण और/या भौतिक या आर्थिक विस्थापन शामिल होने की संभावना है?	☐	☐	☐
कृपया अपने उत्तर का औचित्य प्रदान करें:			
पहलू	**अवलोकन/टिप्पणी**		**संदर्भ**
कंपनी द्वारा अनुमानित भूमि उपयोग की रणनीति: समुदायों / बड़े निजी मालिकों से भूमि खरीदना / पट्टे पर लेना, एक संपत्ति में केंद्रित भूमि / अधिक संपत्तियों के बीच वितरित			
लक्षित उत्पादन क्षेत्र का हिस्सा पहले से ही सुरक्षित			
वर्तमान में कंपनी द्वारा नियंत्रित क्षेत्र की कार्यकाल की स्थिति			
क्या जमीन पर कोई सुख-सुविधाएं हैं? किसके द्वारा?			
वर्तमान और लक्षित क्षेत्रों में भू-अधिकार को लेकर संघर्ष की जानकारी			
यदि लागू हो तो कंपनी UN FAO VGGT का अनुसरण करती है?			
जैव विविधता संरक्षण और जीवित प्राकृतिक संसाधनों का सतत प्रबंधन	हां	नहीं	अभी तय नहीं
क्या गतिविधियां संभावित रूप से क्षेत्र की जैव विविधता को प्रभावित करने वाली वनस्पतियों और जीवों की आक्रामक विदेशी प्रजातियों को पेश करेंगी?	☐	☐	☐
कृपया अपने उत्तर का औचित्य प्रदान करें:			
क्या गतिविधियों का जीवित प्राकृतिक संसाधनों (जैसे कृषि, पशुधन, मत्स्य पालन, वानिकी) के उत्पादन सहित पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर संभावित प्रभाव पड़ेगा या उन पर निर्भर होगा?	☐	☐	☐
कृपया अपने उत्तर का औचित्य प्रदान करें:			
पहलू	**अवलोकन/टिप्पणी**		**संदर्भ**
क्या कोई भूमि उपयोग योजना प्रक्रिया है? क्या कोई लक्ष्य संरक्षण क्षेत्र है? क्या यह कम से कम 5% क्षेत्र को कवर करता है?			
प्राकृतिक जैवभौतिकीय स्थितियां और आधार रेखा			
गतिविधियों से पहले की स्थिति समेत स्थितियां / आयोजित अध्ययन			
1994 के बाद वन परिवर्तन?			
पीटलैंड का पतन?			

आसपास के क्षेत्र (दूरी) में संरक्षण / संरक्षित क्षेत्रों की स्थिति (IUCN PA श्रेणियों) के साथ भूमि?			
HCVA मूल्यांकन पूरा हुआ? यदि नहीं: प्रबंधन इकाइयों या आसपास में HCV की संभावना और आकार			
वनस्पतियों और जीवों, विशेष रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों के बारे में जानकारी			
प्रबंधन इकाई के भीतर महत्वपूर्ण वास स्थान की पहचान की गई?			
अन्य स्थितियां जो महत्वपूर्ण पर्यावरणीय जोखिम पैदा करती हैं (प्राकृतिक या अन्य स्थितियां)			
स्वदेशी लोग	हां	नहीं	अभी तय नहीं
क्या गतिविधियों का संभावित रूप से स्वदेशी लोगों, जातीय अल्पसंख्यकों, या कमजोर और हाशिए के समूहों पर कोई अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा?	☐	☐	☐
कृपया अपने उत्तर का औचित्य प्रदान करें:			
सांस्कृतिक विरासत	हां	नहीं	अभी तय नहीं
क्या गतिविधियां सांस्कृतिक विरासत स्थलों और संपत्तियों तक पहुंच को प्रतिबंधित करेंगी?	☐	☐	☐
कृपया अपने उत्तर का औचित्य प्रदान करें:			
क्या सांस्कृतिक विरासत संपत्तियों की खोज के मामले में आकस्मिक खोज प्रक्रिया तैयार करने की आवश्यकता होगी?	☐	☐	☐
कृपया अपने उत्तर का औचित्य प्रदान करें:			
हितधारक जुड़ाव और शिकायत	हां	नहीं	अभी तय नहीं
क्या गतिविधियों में एक सतत हितधारक जुड़ाव प्रक्रिया और एक शिकायत निवारण तंत्र शामिल होगा और प्रबंधन/कार्यान्वयन योजनाओं में एकीकृत होगा?	☐	☐	☐
कृपया अपने उत्तर का औचित्य प्रदान करें:			

परिशिष्ट 6 - पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन की रूपरेखा

प्रत्येक परियोजना को प्रासंगिक कानून GAIA ESMS के अनुरूप एक ESIA संचालित करने की आवश्यकता होगी। जबकि ESIA के विस्तार का दायरा और स्तर पहले से ज्ञात किए जा सकने योग्य परियोजना के संचालन के संभावित प्रभावों के अनुरूप होना चाहिए, एक व्यापक ESIA रिपोर्ट में निम्नलिखित विषय शामिल होने चाहिए:

a) **कार्यकारी सारांश।** महत्वपूर्ण निष्कर्षों और अनुशंसित कार्यों पर संक्षिप्त चर्चा करता है।

b) **नीति**, **मानवाधिकार**, **कानूनी और प्रशासनिक ढांचा।** नीति, कानूनी और प्रशासनिक ढांचा प्रस्तुत करता है जिसके भीतर मूल्यांकन किया जाता है।

c) **परियोजना विवरण।** प्रस्तावित परियोजना और इसके भौगोलिक, पारिस्थितिक, सामाजिक और लौकिक संदर्भ का वर्णन करता है, जिसमें संबद्ध कोई भी सुविधाएं और तृतीय-पक्ष गतिविधियां शामिल हैं। यह भूमि की आवश्यकताओं के कारण और स्वदेशी लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त विचारों की आवश्यकता को भी इंगित करता है। परियोजना स्थल और प्रभाव के अनुमानित क्षेत्र का नक्शा शामिल है।

d) **आधारभूत डेटा।** अध्ययन क्षेत्र के आयामों का मूल्यांकन करता है और परियोजना शुरू होने से पहले प्रत्याशित किसी भी परिवर्तन सहित नवीनतम जानकारी के आधार पर प्रासंगिक भौतिक, जैविक और समाजार्थिक स्थितियों का वर्णन करता है। यह परियोजना क्षेत्र के भीतर वर्तमान और प्रस्तावित विकास गतिविधियों को भी ध्यान में रखता है जो सीधे परियोजना से नहीं जुड़े हो सकते हैं।

e) E&S **प्रभाव।** पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों, मानवाधिकारों, SEAH, लिंग और स्वदेशी लोगों के कारकों के संभावित सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों की पहचान, भविष्यवाणी और मूल्यांकन, गुणात्मक और मात्रात्मक शब्दों में जैसा संभव हो सकता है। अप्रत्यक्ष, संचयी और सीमापारीय प्रभावों के साथ-साथ संबद्ध सुविधाओं और तृतीय-पक्ष गतिविधियों के कारण होने वाले प्रभावों की पहचान करता है। शमन उपायों और किसी भी अवशिष्ट नकारात्मक प्रभावों की पहचान करता है जिन्हें कम नहीं किया जा सकता है। पर्यावरणीय वृद्धि और प्रभावित लोगों के कल्याण और आजीविका में सुधार के अवसरों की खोज करता है। उपलब्ध डेटा की सीमा और गुणवत्ता, प्रमुख डेटा अंतराल और भविष्यवाणियों से जुड़ी अनिश्चितताओं की पहचान और अनुमान लगाता है, और उन विषयों को निर्दिष्ट करता है जिन्हें आगे के अध्ययन और ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है।

f) SEAH **मूल्यांकन।** पर्यावरणीय और सामाजिक परिणामों में सुधार करने और समुदायों को समावेशी लाभ उत्पन्न करने के लिए, महिलाओं, पुरुषों, लड़कियों और लड़कों पर किसी भी जोखिम या संभावित SEAH से संबंधित प्रभावों का जल्द से जल्द मूल्यांकन करे।

g) **विकल्पों का विश्लेषण।** प्रस्तावित गतिविधियों, साइट, प्रौद्योगिकी, डिजाइन और संचालन के लिए — "कुछ भी न करें" स्थिति समेत — उनके संभावित E&S प्रभावों; इन प्रभावों को कम करने की व्यवहार्यता; स्थानीय परिस्थितियों में उनकी उपयुक्तता; और उनकी संस्थागत, प्रशिक्षण और निगरानी आवश्यकताओं के संदर्भ में, व्यवहार्य विकल्पों की व्यवस्थित रूप से तुलना करे।

h) **पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन योजना (ESMP)।** शमन उपायों, निगरानी और संस्थागत सुदृढ़ीकरण को शामिल करता है। इसमें हितधारक नियोजन योजना का विवरण, शिकायत निवारण तंत्र और सुरक्षा उपायों के दस्तावेजों का प्रकटीकरण और प्रासंगिक अद्यतन और आगे समुचित सतर्कता शामिल हैं जिन्हें करने की आवश्यकता हो सकती है।

i) **निष्कर्ष और सिफारिश।** मूल्यांकन से निकाले गए निष्कर्षों का वर्णन करता है और सिफारिशें प्रदान करता है (उदाहरण के लिए, अतिरिक्त विशेष अध्ययन जो किए जाने की आवश्यकता है)।

j) **प्रासंगिक परिशिष्ट**, जिसमें उदाहरण के लिए शामिल हो सकते हैं:

    a. रिपोर्ट तैयार करने वालों, व्यक्तियों और संगठनों की सूची;

b. अध्ययन की तैयारी में उपयोग की गई संदर्भ, स्रोत और लिखित सामग्री, प्रकाशित और अप्रकाशित, दोनों;

c. प्रभावित लोगों और स्थानीय गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) के सुविज्ञ विचार प्राप्त करने के लिए परामर्श सहित हितधारक परामर्श, अंतर-एजेंसी परामर्श बैठकों का रिकॉर्ड। यह रिकॉर्ड परामर्श के अलावा किसी अन्य साधन (जैसे, सर्वेक्षण) को निर्दिष्ट करता है जिसका उपयोग प्रभावित समूहों और स्थानीय NGOs के विचार प्राप्त करने के लिए किया गया था; और

d. फोटो प्रलेखन, मॉडलिंग आउटपुट और धारणाएं, संगणना, मुख्य पाठ में संदर्भित या संक्षेप में प्रस्तुत करने वाली प्रासंगिक डेटा तालिकाएं।

संबद्ध रिपोर्टों की सूची (जैसे, ऑडिट रिपोर्ट, रणनीतिक पर्यावरण मूल्यांकन अध्ययन, संचयी प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन, पुनर्वास योजना या स्वदेशी लोगों की विकास योजना, आदि)।

परिशिष्ट 7 सेक्टर वार विशिष्ट ESS

सेक्टर वार विश्व बैंक EHS[12] (जहां अलग-अलग नहीं कहा गया है)

अक्षय ऊर्जा

पवन ऊर्जा

भूतापीय विद्युत उत्पादन

विद्युत शक्ति संचरण और वितरण

ताप विद्युत

ऊर्जा दक्षता

सीमेंट और चूना उत्पादन

सिरेमिक टाइल और सेनेटरी वेयर निर्माण

कांच निर्माण

निर्माण सामग्री निष्कर्षण

कपड़ा उत्पादन

टैनिंग और चमड़ा परिष्करण

सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण

मुद्रण

ढलाई

एकीकृत स्टील मिल

बेस मेटल स्मेल्टिंग और रिफाइनिंग

धातु, प्लास्टिक, रबड़ उत्पाद उत्पादन

अपशिष्ट और अपशिष्ट जल

अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाएं

जल और स्वच्छता

संसाधन दक्षता और प्रदूषण रोकथाम और प्रबंधन[13]

परिवहन

रेलवे

बंदरगाह, पत्तन और टर्मिनल

---

[12] https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/ehs-guidelines

[13] विश्व बैंक (जून 2018)। IPF संचालन के लिए पर्यावरण और सामाजिक ढांचा - ESS3: संसाधन दक्षता और प्रदूषण रोकथाम और प्रबंधन।

हवाई अड्डे

एयरलाइंस

शिपिंग

टोल रोड

दूरसंचार

कृषि, **जलीय कृषि वानिकी**, **और भूमि-उपयोग**

बारहमासी फसल उत्पादन

वार्षिक फसल उत्पादन

जलीय कृषि

चीनी उत्पादन

वनस्पति तेल प्रसंस्करण

खाद्य और पेय प्रसंस्करण

बोर्ड और पार्टिकल-आधारित उत्पाद

सॉमिलिंग और लकड़ी आधारित उत्पाद

जीवित प्राकृतिक संसाधनों का जैव विविधता संरक्षण और सतत प्रबंधन[14]

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP)

उत्पादों के सामाजिक जीवन चक्र मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देश[15]

[14] विश्व बैंक (जून 2018)। IPF संचालन के लिए पर्यावरण और सामाजिक ढांचा - ESS6: जैव विविधता संरक्षण और जीवित प्राकृतिक संसाधनों का सतत प्रबंधन।

[15] UNEP (2009)। उत्पादों के सामाजिक जीवन चक्र मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देश।

परिशिष्ट 8 भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास के लिए मार्गदर्शन

भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास रूपरेखा (LARF) एक स्वीकृत परियोजना द्वारा समर्थित संचालन के कारण भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास से संभावित जोखिमों और प्रभावों की जांच, मूल्यांकन, क्षतिपूर्ति और प्रबंधन के लिए प्रक्रिया को परिभाषित करता है। जैसे ही विशिष्ट साइटों और संचालन के लाभार्थी समुदायों को स्पष्ट रूप से और विस्तार से परिभाषित किया जाता है, LARF को लागू सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप एक विशिष्ट भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास योजना (LARP) में विस्तारित किया जाना चाहिए।

LARF यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि प्रदान करता है कि कोई भी कार्य जिसमें भूमि अधिग्रहण और/या पुनर्वास और प्रभावित लोगों की आजीविका का नुकसान शामिल हो सकता है, वह राष्ट्रीय कानूनों और GAIA की ESG सम्बंधी आवश्यकताओं का पालन करेगा। जब स्वदेशी लोग और समुदाय प्रभावित होते हैं या संभवतः प्रभावित हो सकते हैं तो विशेष ध्यान रखा जाएगा, जैसे यह कि LARF स्वदेशी लोगों की भाषा के उपयोग, सांस्कृतिक प्रथाओं, संस्थागत व्यवस्थाओं, और धार्मिक एवं आध्यात्मिक मान्यताओं पर कार्यकलापों से पड़ने वाले संभावित प्रभावों के संबंध में प्रथागत या पारंपरिक भूमि स्वामित्व और प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के लिए प्रावधान करेगा।

प्रत्येक परियोजना के लिए जिसमें पुनर्वास प्रभाव उत्पन्न करने की संभावना वाली गतिविधियां होंगी, एक LARP तैयार की जाएगी। एक LARP परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए डिजाइन मानदंड, कानूनी संदर्भ, LARP तैयार करने की प्रक्रिया, इसकी सामग्री और इसके निष्पादन एवं संवाद की प्रक्रिया और अंत में आवश्यक संस्थागत संगठन का वर्णन करता है।

LARF का प्रयोजन

भूमि अधिग्रहण और अनैच्छिक पुनर्वास में उन कार्यों से उत्पन्न होने वाले लोगों का विस्थापन शामिल होता है जो उनकी उत्पादक संपत्तियों, सांस्कृतिक स्थलों और आय के स्रोतों जैसे भूमि, चराई के खेतों, अन्य संपत्तियों आदि पर अतिक्रमण करते हैं। स्वैच्छिक पुनर्वास से अनैच्छिक इस प्रकार अलग है कि अनैच्छिक में शामिल लोगों को उनकी इच्छा के विरुद्ध विस्थापित किया गया हो सकता है, क्योंकि अक्सर वे अपने विस्थापन के आरंभकर्ता नहीं होते हैं।

एक पोर्टफोलियो कंपनी के विभिन्न कार्यों के कार्यान्वयन से अनैच्छिक पुनर्वास पर E&S सुरक्षा उपायों को शुरू किया जा सकता है क्योंकि संचालन उद्देश्यों के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जा सकता है और प्रभावित व्यक्तियों को भूमि, फसलों, आवासों और अन्य संरचनाओं और आजीविका के नुकसान के लिए मुआवजा देने की आवश्यकता होगी।

LARF का उद्देश्य पोर्टफोलियो कंपनी के संचालन के कार्यान्वयन से प्रभावित लोगों के भूमि अधिग्रहण, मुआवजे और पुनर्वास की आवश्यकता जैसे मामलों से उचित रूप से निपटना है।

LARF के उद्देश्य

LARF का समग्र उद्देश्य परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान भूमि अधिग्रहण, मुआवजे और पुनर्वास से संबंधित जोखिमों और प्रभावों से निपटने के तरीके पर मार्गदर्शन प्रदान करना है। एक LARF यह सुनिश्चित करता है कि विस्थापन से बचा जाए, और यदि इसे टाला नहीं गया है, तो विस्थापित और पुनर्वासित व्यक्तियों को प्रतिस्थापन लागत पर उनके नुकसान के लिए मुआवजा दिया जाता है, परियोजना सृजित लाभों में साझा करने के अवसर दिए जाते हैं, और पुनर्वास स्थल पर स्थानांतरण और संक्रमण अवधि के दौरान सहायता प्रदान की जाती है।

LARF के विशिष्ट उद्देश्य इस प्रकार हैं:

1. जहां तक संभव हो, परियोजना संचालन के कार्यान्वयन के लिए भूमि के अधिग्रहण को कम करना, जहां इस तरह के अधिग्रहण या परियोजना से संबंधित गतिविधियों के परिणामस्वरूप प्रतिकूल सामाजिक प्रभाव होंगे;
2. यह सुनिश्चित करना कि जहां भूमि अधिग्रहण आवश्यक है, इसे स्थायी कार्यक्रमों के रूप में क्रियान्वित किया जाता है ताकि लोग परियोजना के लाभों में हिस्सा ले सकें;
3. प्रभावित या विस्थापित होने वाले लोगों के साथ सार्थक परामर्श सुनिश्चित करना;
4. सहायता प्रदान करना जिससे प्रभावित लोगों की आजीविका पर परियोजना कार्यान्वयन के नकारात्मक प्रभाव कम या बहाल होंगे, ताकि उनकी आजीविका में सुधार हो या कम से कम परियोजना-पूर्व स्तर पर बहाल हो सके;
5. पुनर्वास गतिविधियों की योजना, कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन में विभिन्न हितधारकों द्वारा भूमिकाओं और जिम्मेदारियों की रूपरेखा तैयार करना;
6. परियोजना गतिविधियों से प्रभावित समुदायों के बीच निवारण की अनुमति देना; तथा
7. परियोजना प्रभावित समुदायों/परिवारों पर तनाव कम करना।

LARF का परिचालन उद्देश्य परियोजना के प्रतिकूल सामाजिक प्रभावों के शमन में भाग लेने वाले हितधारकों को मार्गदर्शन प्रदान करना है, जिसमें पुनर्वास/पुनर्स्थापन संचालन भी शामिल है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परियोजना प्रभावित व्यक्ति परियोजना के प्रतिकूल सामाजिक प्रभावों से साधनहीन नहीं होंगे। LARF के लिए लक्षित समूह परियोजना संचालन के कार्यान्वयन के लिए प्रासंगिक सभी हितधारक हैं। इसमें परियोजना प्रभावित व्यक्ति, समुदाय और यथा लागू NGOs (गैर सरकारी संगठन) शामिल हैं।

भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास को नियंत्रित करने वाला कानूनी और प्रशासनिक ढांचा

भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास जोखिम और मुद्दों से संबंधित कानूनी और प्रशासनिक ढांचे में उन देशों के कानून के विभिन्न हिस्से शामिल हैं जहां परियोजना का संचालन किया जाएगा। यह महत्वपूर्ण है कि संचालन स्तर पर और LARP के निर्माण के हिस्से के रूप में, विभिन्न कानूनी और नीतिगत आवश्यकताओं के संरेखण को निर्धारित करने के लिए एक अंतराल मूल्यांकन किया जाता है, गतिविधियों के लिए लागू सबसे कठोर आवश्यकताओं को अपनाने की दृष्टि से और इसके लिए भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास से संबंधित जोखिमों को संबोधित करने के लिए। कानूनी और प्रशासनिक ढांचे की तुलना के प्रमुख क्षेत्रों में खोई हुई संपत्ति का मुआवजा, पात्रता, जीवन स्तर और आजीविका के स्तर में सुधार के लिए प्रभावित लोगों को सहायता का स्तर, परामर्श और शिकायत निवारण, जनगणना और संपत्ति सूची, कट-ऑफ तिथियां, मुआवजे का समय, कमजोर समुदायों, और निगरानी और पूर्णता शामिल हैं।

देश स्तर पर कानूनी और प्रशासनिक ढांचे की पहचान करने में एक महत्वपूर्ण विचार अधिग्रहण और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रियाओं से संबंधित विशिष्ट संदर्भ, प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए प्रक्रियाएं, भूमि अधिकार प्रणाली, प्रथागत अधिकार और भूमि के पारंपरिक स्वामित्व से संबंधित है।

राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अलावा, स्वीकृत परियोजनाओं को भूमि अधिग्रहण के लिए विशिष्ट IFC प्रदर्शन मानक 5 के साथ संरेखित करने की भी आवश्यकता होगी और अनैच्छिक पुनर्वास यह मानता है कि परियोजना से संबंधित भूमि अधिग्रहण और भूमि उपयोग पर प्रतिबंध समुदायों और व्यक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं जो इस भूमि का उपयोग करते हैं। इस प्रकार मानक के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

1. टालने के लिए, और जब टालना संभव नहीं है, तो वैकल्पिक परियोजना डिजाइनों की खोज करके विस्थापन को कम करें;
2. जबरन बेदखली से बचने के लिए;
3. पूर्वानुमान और टालना, या जहां टालना संभव नहीं है, भूमि अधिग्रहण या भूमि उपयोग पर प्रतिबंध से प्रतिकूल सामाजिक और आर्थिक प्रभावों को कम करना (i) प्रतिस्थापन लागत पर संपत्ति के नुकसान

के लिए मुआवजा प्रदान करना और (ii) यह सुनिश्चित करना कि पुनर्वास गतिविधियां सूचना, परामर्श और प्रभावित लोगों की सुविज्ञ भागीदारी के उचित प्रकटीकरण के साथ लागू हुई हैं;

4. विस्थापित व्यक्तियों की आजीविका और जीवन स्तर में सुधार या पुनर्स्थापना करना; तथा
5. पुनर्वास स्थलों पर कार्यकाल की सुरक्षा के साथ पर्याप्त आवास के प्रावधान के माध्यम से भौतिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों के बीच रहने की स्थिति में सुधार करना।

IFC PS 5 में अनैच्छिक पुनर्वास, परियोजना से संबंधित भूमि अधिग्रहण के परिणामस्वरूप भौतिक विस्थापन (स्थानांतरण या आश्रय की हानि) और आर्थिक विस्थापन (संपत्ति या संपत्ति तक पहुंच की हानि जो आय स्रोतों या आजीविका के साधनों की हानि की ओर जाता है) दोनों को संदर्भित करता है। पुनर्वास को अनैच्छिक माना जाता है जब प्रभावित व्यक्तियों या समुदायों को भूमि अधिग्रहण से इनकार करने का अधिकार नहीं होता है, जिसके परिणामस्वरूप विस्थापन होता है। जहां यह अपरिहार्य हो, वहां विस्थापित व्यक्तियों और मेज़बान समुदायों पर प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए उचित उपायों की सावधानीपूर्वक योजना बनाई जानी चाहिए और उन्हें लागू किया जाना चाहिए।

मुआवजे की रूपरेखा

LARP जो संभावित रूप से भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास जोखिम और प्रभाव उत्पन्न करने के लिए मूल्यांकन किए गए विशिष्ट परियोजना संचालन के लिए तैयार किया जाएगा, को एक रूपरेखा को परिभाषित करने की आवश्यकता होगी जो भूमि और संसाधनों तक पहुंच सहित भूमि या संपत्ति के नुकसान के लिए संतोषप्रद मुआवज़ा प्रदान करेगा। मुआवजे की रूपरेखा निम्नलिखित सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होगी:

1. राष्ट्रीय विनियमों और लागू मानकों के अनुसार संपत्ति के मुआवजे सहित विस्थापन के लिए पारदर्शी, निष्पक्ष और समय पर मुआवजा (भूमि निकासी या भूमि लेने से पहले) प्रदान करें;
2. खोई हुई संपत्ति के लिए मुआवजा पूर्ण प्रतिस्थापन मूल्य पर; तथा
3. परियोजना से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों और स्थानीय समुदायों की आजीविका और कल्याण को इस तरह बहाल करना कि उनकी भलाई कम से कम, उनकी पूर्व-पुनर्स्थापना स्थितियों के बराबर, या बेहतर हो।

LARP प्रभावित व्यक्तियों के प्रकार (जैसे कि भूमि मालिक, किरायेदार, औपचारिक अधिकार के बिना जंगल में रहने वाले, स्थायी और गैर-स्थायी बुनियादी ढांचे के मालिक, संभावित रूप से आजीविका खोने वाले लोग और संसाधनों तक पहुंच आदि) और उनके मुआवजे के अधिकार प्रस्तुत करेगा। LARP मुआवजे के लिए प्रभावित लोगों की पात्रता भी प्रदान करेगा, उदाहरण के लिए औपचारिक कानूनी अधिकारों पर विचार करना, पट्टे के अधिकारों के साथ, कानूनी अधिकारों के बिना, कट-ऑफ तारीखों के बाद आने वाले, आदि।

पात्रता योजना

LARP पात्रता योजना प्रक्रिया भी प्रस्तुत करेगा और जो प्रतिस्थापन मूल्य पर लागू मुआवजे की दरों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करेगा और आजीविका बहाली पहल, और कमजोर व्यक्ति सहायता उपायों सहित भूमि अधिग्रहण के आगे के प्रभावों को कम करने के उपायों की स्थापना करेगा। लागू मुआवजे की दरों को स्थापित करने में, एक स्वतंत्र मूल्यांकन विशेषज्ञ को उप-परियोजना क्षेत्र में प्रभावित भूमि, फसलों और अन्य आर्थिक संपत्तियों के बाजार मूल्यों पर सलाह देने के लिए लगाया जा सकता है।

मुआवजे की विधि

व्यक्तिगत और घरेलू मुआवजा नकद में, वस्तु के रूप में और/या सहायता के माध्यम से पुरुष और पत्नी दोनों और वयस्क बच्चों या अन्य संबंधित हितधारकों, जहां लागू हो, की जानकारी और उपस्थिति में किया जाएगा। मुआवजे का प्रकार एक व्यक्तिगत पसंद होगा, हालांकि हर तरह के मुआवजे को स्वीकार करने के महत्व और वरीयता को स्थापित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा, खासकर जब नुकसान उत्पादक संपत्ति के कुल नुकसान का 20% से अधिक हो। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जब प्रभावित व्यक्तियों की आजीविका के लिए आवश्यक भूमि जो परियोजना कार्यों द्वारा छीन ली जाती है या आकार में कम कर दी जाती है, तो मुआवजे

का पसंदीदा रूप अन्यत्र भूमि के बराबर पार्सल, यानी भूमि के लिए भूमि की पेशकश करना है। जहां ऐसी भूमि उपलब्ध नहीं है, नकद भुगतान एक विकल्प हो सकता है, भले ही नकद मुआवजा ऐसे मामलों में मुआवजे का पसंदीदा रूप नहीं है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि नकद मुआवजा केवल तभी उपयुक्त है जहां प्रभाव के क्षेत्र में भूमि या अन्य खोई हुई संपत्ति के लिए बाजार हो। एक किसान को नकद मुआवजे की पेशकश करना अस्वीकार्य है, उदाहरण के लिए, एक किसान, जब उसके पास उसी क्षेत्र में नई भूमि प्राप्त करने की कोई संभावना नहीं है।
LARP की तैयारी के अन्य प्रमुख तत्व प्रभावित लोगों के साथ परामर्श करना और उन्हें शामिल करने की प्रक्रिया, संपत्ति की जनगणना और प्रलेखन, मुआवजे पर समझौते और अनुबंधों में एकीकरण, और प्रभावित लोगों को मुआवजा देने के तंत्र हैं।

आजीविका बहाली

स्वीकृत परियोजनाएं स्थानीय समुदायों और स्वदेशी लोगों की संसाधनों तक पहुंच को भी प्रभावित कर सकती हैं जिसके परिणामस्वरूप आजीविका का नुकसान हो सकता है। पुनर्वास प्रक्रिया के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में परियोजना प्रभावित कमजोर व्यक्तियों पर संभावित प्रतिकूल प्रभावों को रोकने और कम करने के लिए LARF में आजीविका बहाली रणनीति भी शामिल होनी चाहिए।

आजीविका बहाली योजना का मार्गदर्शन करने वाले प्रमुख सिद्धांत

आजीविका बहाली के लिए स्थायी दृष्टिकोण निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है:

1. आजीविका बहुआयामी रणनीतियां हैं, और इसलिए आय की बहाली और सामुदायिक समर्थन नेटवर्क की पुन: स्थापना का समर्थन करने के लिए दृष्टिकोणों के संयोजन की आवश्यकता होती है;
2. योजना और निर्णय लेने में लक्षित लाभार्थियों की सक्रिय भागीदारी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रस्तावित समर्थन स्थानीय वास्तविकताओं और प्राथमिकताओं को दर्शाता है;
3. प्रभावित लोगों को विकल्प प्रदान किए जाने चाहिए ताकि वे स्वयं निर्धारित कर सकें कि उनके परिवार को आजीविका बहाली विकल्पों से सबसे अच्छा लाभ कैसे होगा;
4. संक्रमण भत्ते आवश्यक हैं, लेकिन स्पष्ट पात्रता और अंतिम स्थितियां जरूरी हैं;
5. क्षमता निर्माण को कृषि पद्धतियों सहित कौशल विकसित करने के लिए आजीविका बहाली गतिविधियों में शामिल किया जाना चाहिए। कौशल विकास के संबंध में क्षमता निर्माण महिलाओं, पुरुषों, युवाओं और कमजोर समूहों की विभिन्न आवश्यकताओं को स्वीकार करता है।

योजनाओं में आजीविका बहाली का एकीकरण

प्रतिकूल प्रभावों की संभावना और परिमाण को पहचानने और आजीविका बहाली विकल्पों को विकसित करने के लिए, निम्नलिखित दृष्टिकोण पर विचार किया जा सकता है:

1. प्रभावित कमजोर लोगों के लिए आजीविका बहाली को प्रभावित लोगों के पास मौजूद पारिस्थितिक स्थितियों, आजीविका और सामाजिक-सांस्कृतिक विशेषताओं के संदर्भ में होना चाहिए;
2. आजीविका बहाली परियोजना प्रभावित लोगों को स्वतंत्र रूप से समान या उससे भी बेहतर आजीविका प्राप्त करने में सहायता करने में सक्षम होनी चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास प्रक्रिया परियोजना पर निर्भरता का कारण नहीं बनेगी जो अंततः भविष्य में और अधिक समस्याएं पैदा करेगी;
3. आजीविका की बहाली प्रत्येक परिवार के स्वामित्व वाली आजीविका संपत्ति की भेद्यता और संभावित स्रोतों की विशेषताओं पर केंद्रित होनी चाहिए;

4. दोनों समुदायों के प्रतिनिधियों, परियोजना से प्रभावित लोगों और मेज़बान आबादी को परामर्श प्रक्रिया में शामिल करना, ताकि अंतरंगता विकसित की जा सके और पुनर्वास प्रक्रिया के दौरान और बाद में उत्पन्न होने वाले विवादों को हल किया जा सके।

भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास कार्य योजना

यदि परियोजना निकाय के संचालन के लिए एक विशिष्ट LARP की आवश्यकता होती है, तो IFC प्रदर्शन मानक मार्गदर्शन नोट्स के आधार पर एक व्यापक LARP में शामिल होने वाली सामग्री की निम्नलिखित रूपरेखा प्रदान की जाती है:

1. **परियोजना का विवरण:** परियोजना का सामान्य विवरण और परियोजना क्षेत्र की पहचान।
2. **संभावित प्रभाव:** इनकी पहचान
    - परियोजना घटक या गतिविधियां जो पुनर्वास को जन्म देती हैं;
    - ऐसे घटक या गतिविधियों के प्रभाव का क्षेत्र;
    - पुनर्वास से बचने या कम करने के लिए विचार किए गए विकल्प; तथा
    - परियोजना कार्यान्वयन के दौरान, जहां तक संभव हो, पुनर्वास को न्यूनतम करने के लिए स्थापित तंत्र।
3. **उद्देश्य और किए गए अध्ययन:** पुनर्वास कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य और पुनर्वास योजना/कार्यान्वयन के समर्थन में किए गए अध्ययनों का सारांश, उदाहरण के लिए जनगणना सर्वेक्षण, सामाजिक-आर्थिक अध्ययन, बैठकें, स्थल चयन अध्ययन आदि।
4. **नियामक ढांचा:** मेज़बान देश के प्रासंगिक कानून, अन्य नीतियां और प्रक्रियाएं, प्रदर्शन मानक।
5. **संस्थागत ढांचा:** परियोजना क्षेत्र की राजनीतिक संरचना, NGO (गैर सरकारी संगठन)।
6. **हितधारक जुड़ाव:** पुनर्वास योजना से जुड़े सार्वजनिक परामर्श और प्रकटीकरण का सारांश, जिसमें प्रभावित परिवारों, स्थानीय और/या राष्ट्रीय प्राधिकरणों, प्रासंगिक CBO और NGO और मेज़बान समुदायों एवं स्वदेशी लोगों सहित अन्य पहचाने गए हितधारकों के साथ जुड़ाव शामिल है। इसमें कम से कम, पहचाने गए प्रमुख हितधारकों की एक सूची, अपनाई जाने वाली प्रक्रिया (बैठकें, फोकस समूह, आदि), उठाए गए मुद्दे, प्रदान की गई प्रतिक्रियाएं, महत्वपूर्ण शिकायतें (यदि कोई हो) और पुनर्वास कार्यान्वयन की पूरी प्रक्रिया के दौरान चल रही जुड़ाव की योजना शामिल होनी चाहिए।
7. **समाजार्थिक विशेषताएं:** परियोजना की तैयारी के प्रारंभिक चरणों में और संभावित रूप से विस्थापित लोगों की भागीदारी के साथ आयोजित किए जाने वाले समाजार्थिक अध्ययन के निष्कर्ष, जिसमें घरेलू और जनगणना सर्वेक्षण के परिणाम, कमजोर समूहों पर जानकारी, लिंगी रिश्ते और अंतःक्रियाएं, आजीविका और जीवन स्तर के मानकों की जानकारी, भूमि अधिकार और हस्तांतरण प्रणाली, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, सामाजिक संपर्क के पैटर्न, सामाजिक सेवाओं और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे शामिल हैं।
8. **पात्रता:** विस्थापित व्यक्तियों की परिभाषा और प्रासंगिक कट-ऑफ तिथियों सहित मुआवजे और अन्य पुनर्वास सहायता के लिए उनकी पात्रता निर्धारित करने का मानदंड।
9. **नुकसान का मूल्यांकन और क्षतिपूर्ति:** हानियों के मूल्यांकन में उनकी प्रतिस्थापन लागत निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली पद्धति; और स्थानीय कानून के तहत मुआवजे के प्रस्तावित प्रकारों और स्तरों का विवरण और ऐसे पूरक उपाय जो खोई हुई संपत्ति के लिए प्रतिस्थापन लागत प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं।
10. **विस्थापन का परिमाण:** प्रभावित व्यक्तियों, घरों, संरचनाओं, सार्वजनिक भवनों, व्यवसायों, कृषि भूमि, चर्चों आदि की संख्या का सारांश।

11. **पात्रता ढांचा:** प्रभावित व्यक्तियों का श्रेणीकरण तथा पेश किए गए विकल्प, अधिमानतः सारणीबद्ध रूप में संक्षेपित।

12. **आजीविका बहाली के उपाय:** विस्थापित लोगों की आजीविका को सुधारने या बहाल करने के विभिन्न उपाय।

13. **पुनर्वास स्थल:** साइट चयन, साइट की तैयारी, और स्थानांतरण सहित, वैकल्पिक स्थानांतरण साइटों पर विचार और चयनित की व्याख्या, मेज़बान समुदायों पर प्रभाव।

14. **आवास, बुनियादी ढांचा, और सामाजिक सेवाएं:** आवास, बुनियादी ढांचे (जैसे, पानी की आपूर्ति, फीडर सड़कें), और सामाजिक सेवाएं (जैसे, स्कूल, स्वास्थ्य सेवाएं) प्रदान करने (या पुनर्वासकर्ताओं के प्रावधान के तहत वित्तपोषण) की योजनाएं; मेज़बान आबादी के लिए तुलनीय सेवाएं सुनिश्चित करने की योजनाएं; इन सुविधाओं के लिए कोई भी आवश्यक साइट विकास, इंजीनियरिंग और वास्तुशिल्प डिजाइन।

15. **शिकायत प्रक्रियाएं:** पुनर्वास से उत्पन्न होने वाले विवादों के तीसरे पक्ष से निपटान के लिए वहनीय और सुलभ प्रक्रियाएं; इस तरह के शिकायत तंत्र को न्यायिक उपाय और सामुदायिक और पारंपरिक विवाद निपटान तंत्र की उपलब्धता को ध्यान में रखना चाहिए।

16. **संगठनात्मक जिम्मेदारियां:** पुनर्वास को लागू करने के लिए संगठनात्मक ढांचा, जिसमें पुनर्वास उपायों के वितरण और सेवाओं के प्रावधान के लिए जिम्मेदार एजेंसियों की पहचान शामिल है; कार्यान्वयन में शामिल एजेंसियों और क्षेत्राधिकारों के बीच उचित समन्वय सुनिश्चित करने की व्यवस्था; और कार्यान्वयन एजेंसियों की पुनर्स्थापन गतिविधियों को डिजाइन करने और चलाने की क्षमता को मजबूत करने के लिए आवश्यक कोई भी उपाय (तकनीकी सहायता सहित); परियोजना के तहत प्रदान की जाने वाली सुविधाओं और सेवाओं के प्रबंधन के लिए स्थानीय अधिकारियों या पुनर्वासकर्ताओं को स्वयं के स्थानांतरण के लिए प्रावधान और उपयुक्त होने पर पुनर्वास कार्यान्वयन एजेंसियों से ऐसी अन्य जिम्मेदारियों को स्थानांतरित करने के लिए प्रावधान।

17. **कार्यान्वयन अनुसूची:** एक कार्यान्वयन अनुसूची जिसमें तैयारी से लेकर कार्यान्वयन तक सभी पुनर्वास गतिविधियों को शामिल किया गया हो, जिसमें पुनर्वासकर्ताओं और मेजबानों को अपेक्षित लाभ प्राप्त करने के लिए लक्ष्य तिथियां और सहायता के विभिन्न रूपों का कार्यान्वयन शामिल हो। अनुसूची में यह दर्शाया जाना चाहिए कि पुनर्वास गतिविधियां समग्र परियोजना के कार्यान्वयन से कैसे जुड़ी हैं।

18. **लागत और बजट:** मुद्रास्फीति, जनसंख्या वृद्धि और अन्य आकस्मिकताओं के लिए गुंजाइश सहित सभी पुनर्वास गतिविधियों के लिए मदबद्ध लागत अनुमान दिखाने वाली तालिकाएं; व्यय के लिए समय सारिणी; निधियों का स्रोत; और कार्यान्वयन एजेंसियों के अधिकार क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों में धन के समय पर प्रवाह, और पुनर्वास के लिए धन, यदि कोई हो, की व्यवस्थाएं।

19. **निगरानी, मूल्यांकन और रिपोर्टिंग:** कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा पुनर्वास गतिविधियों की निगरानी के लिए व्यवस्थाएं, पूर्ण और उद्देश्यपूर्ण जानकारी सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र निरीक्षकों द्वारा पूरित; पुनर्वास गतिविधियों के लिए इनपुट, आउटपुट और परिणामों को मापने के लिए प्रदर्शन निगरानी संकेतक; निगरानी प्रक्रिया में विस्थापित व्यक्तियों की भागीदारी; सभी पुनर्वास और संबंधित विकास गतिविधियों के पूरा होने के बाद एक उचित अवधि के लिए पुनर्वास के प्रभाव का मूल्यांकन; बाद के कार्यान्वयन का मार्गदर्शन करने के लिए पुनर्वास निगरानी के परिणामों का उपयोग।

परिशिष्ट 9 जैव विविधता योजनाओं के लिए मार्गदर्शन

ESIA प्रक्रिया को जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर परियोजना-संबंधी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभावों पर विचार करना चाहिए और किसी भी महत्वपूर्ण अवशिष्ट प्रभावों की पहचान करनी चाहिए। यह प्रक्रिया जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिए प्रासंगिक खतरों पर विचार करेगी, विशेष रूप से वास स्थान के नुकसान, क्षरण और विखंडन, आक्रामक विदेशी प्रजातियों, अतिशोषण, जल विज्ञान परिवर्तन, पोषक तत्वों की लोडिंग और प्रदूषण पर ध्यान केंद्रित करते हुए। यह प्रभावित समुदायों, स्वदेशी लोगों और जहां उपयुक्त हो, अन्य हितधारकों द्वारा जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं से जुड़े विभिन्न मूल्यों पर भी विचार करेगी।

प्राथमिकता के रूप में, परियोजना प्रस्तावक को जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर प्रभाव से बचने का प्रयास करना चाहिए। जब प्रभावों से बचना संभव नहीं है, तो प्रभावों को कम करने और जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को बहाल करने के उपायों को लागू किया जाना चाहिए।

सभी प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए जिनमें प्राकृतिक वास स्थानों और महत्वपूर्ण वास स्थानों में परियोजनाओं को महत्वपूर्ण रूप से परिवर्तित या खराब करने की क्षमता है, इन जैव विविधता कार्यों को 'IFC PS 6: जैव विविधता संरक्षण और जीवित प्राकृतिक संसाधनों का सतत प्रबंधन' और इस के मार्गदर्शन के अनुरूप एकल समर्पित जैव विविधता प्रबंधन योजना (BMP) में शामिल किया जाना चाहिए या एक या अधिक विषय-विशिष्ट प्रबंधन योजनाओं में एकीकृत किया जाना चाहिए (उदाहरण के लिए, आक्रामक प्रजाति प्रबंधन योजना, प्रेरित पहुंच प्रबंधन योजना, या जल प्रबंधन योजना)।

प्रदर्शन मानक 6 निम्नलिखित सहित लागू अंतरराष्ट्रीय कानून और सम्मेलनों द्वारा निर्देशित होता और उनके कार्यान्वयन का समर्थन करता है:

- जैविक विविधता पर कन्वेंशन, 1992;
- जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन, 1979 (बॉन कन्वेंशन);
- वन्य वनस्पतियों और जीवों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन, 1975;
- विशेष रूप से जलपक्षी वास, के रूप में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि पर कन्वेंशन, 1971 (रामसर कन्वेंशन);
- विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण के संबंध में कन्वेंशन, 1972; तथा
- (UNESCO विश्व विरासत सम्मेलन)।

BMP या समकक्षों की ऑडिट करने योग्य प्रबंधन योजनाएं होनी चाहिए और उन्हें स्वीकृत परियोजना के ESMS में एकीकृत किया जाना चाहिए, जो किसी कार्रवाई, निगरानी और/या किसी कार्रवाई की सत्यापन आवश्यकताओं, और एक क्रिया के लिए कार्यान्वयन अनुसूची या आवृत्ति के लिए जिम्मेदार पार्टियों को परिभाषित करता है।

साइट पर शमन उपायों पर ध्यान देने के साथ BMP या समकक्ष साइट प्रबंधकों और ठेकेदारों के लिए परिचालन उपकरण हैं। यदि अन्य प्रबंधन योजनाओं में जैव विविधता से संबंधित शमन और प्रबंधन उपाय दिखाई देते हैं, तो BMP या ESMS में जैव विविधता से संबंधित अनुभाग के परस्पर संदर्भ को शामिल किया जाना चाहिए।

आवश्यकताओं की संगत निगरानी/सत्यापन को जहां प्रासंगिक हो, *अनुकूली प्रबंधन* के सिद्धांत को प्रतिबिंबित करना चाहिए। अनुकूली प्रबंधन शब्द का उपयोग जैव विविधता शमन और प्रबंधन योजना में अनिश्चितता के प्रबंधन के लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए किया जाता है[16]।

लंबी अवधि में जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर परियोजना के प्रभावों की भविष्यवाणी करने में जटिलता को देखते हुए, परियोजना प्रस्तावक को अनुकूली प्रबंधन का अभ्यास अपनाना चाहिए जिसमें शमन और प्रबंधन उपायों का कार्यान्वयन बदलती परिस्थितियों और परियोजना के पूरे जीवन चक्र में निगरानी के परिणामों के प्रति उत्तरदायी हो।

जैसा कि अक्सर जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के जोखिमों और प्रभावों को निर्धारित करने में होता है, डेटा अंतराल लंबे डेटा संग्रह और ESIA या अतिरिक्त अध्ययनों के पूरा होने के बाद भी मौजूद हो सकता है। स्वीकृत परियोजना की शमन रणनीति परियोजना के जोखिमों और प्रभावों के अनुरूप होनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रदर्शन मानक 6 की आवश्यकताएं पूरी हों और जोखिम-प्रतिकूल दृष्टिकोण अपनाना चाहिए जो शमन उपायों के परिणामों के बारे में अनिश्चितता को स्पष्ट रूप से पहचानता और समायोजित करता है।

स्वीकृत परियोजना ESMS में लचीलापन बनाया जाना चाहिए ताकि समय के साथ इसके प्रदर्शन के अनुसार शमन और प्रबंधन दृष्टिकोण को अनुकूलित किया जा सके। अनुकूली प्रबंधन एक परीक्षण-और-त्रुटि प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक संरचित *"करते हुए सीखने"* का दृष्टिकोण है।

निगरानी योजनाओं को शमन और प्रबंधन अनुकूलन के लिए प्रदर्शन सीमा या ट्रिगर को परिभाषित करना चाहिए ताकि वे प्रदर्शन मानक 6 की आवश्यकताओं को प्राप्त कर सकें। यह अनुशंसा की जाती है कि ऐसे ट्रिगर की अनुकूली प्रतिक्रियाओं को स्वीकृत परियोजना ESMS में पूर्वनिर्धारित किया जाए, जबकि यह स्वीकार करते हुए कि अनुभव या बदलती परिस्थितियों के माध्यम से प्राप्त ज्ञान के कारण समय के साथ शमन और प्रबंधन विकल्प बदल सकते हैं। नए निष्कर्ष निगरानी कार्यक्रम या स्वतंत्र स्रोतों से उत्पन्न हो सकते हैं। किसी भी मामले में, परियोजना प्रस्तावक के पास इन निष्कर्षों को एकीकृत करने और जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं और जीवित प्राकृतिक संसाधनों के मौजूदा प्रबंधन में लगातार सुधार करने के लिए अपने दृष्टिकोण को अद्यतन करने की जिम्मेदारी है।

बड़े पैमाने की और जटिल परियोजनाएं जिनमें कई जैव विविधता मूल्यों और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं में महत्वपूर्ण जोखिम और प्रभाव शामिल हैं, परियोजना स्थल के पर्यावरण को समझने के लिए पारिस्थितिक तंत्र दृष्टिकोण को लागू करने से लाभान्वित होंगी। जैसा कि जैविक विविधता पर कन्वेंशन (CBD)[17] द्वारा वर्णित है, पारिस्थितिकी तंत्र दृष्टिकोण "भूमि, जल और जीवित संसाधनों के एकीकृत प्रबंधन के लिए एक रणनीति है जो एक समान तरीके से संरक्षण और टिकाऊ उपयोग को बढ़ावा देता है।" CBD "पारिस्थितिकी तंत्र" को "पौधे, पशु और सूक्ष्म जीव समुदायों के सक्रिय जटिल और एक कार्यात्मक इकाई के रूप में परस्पर प्रभाव डालने वाले उनके निर्जीव वातावरण" के रूप में परिभाषित करता है। यह परिभाषा किसी विशेष स्थानिक इकाई या स्तर को निर्दिष्ट नहीं करती है। इसके बजाय, CBD सलाह देता है कि विश्लेषण और कार्रवाई के स्तर को संबोधित की जा रही समस्या से निर्धारित किया जाना चाहिए।

प्राकृतिक वास स्थानों में कुछ परियोजनाओं को जैव विविधता कार्य योजना (BAP) विकसित करने की आवश्यकता हो सकती है यदि परियोजना महत्वपूर्ण वास स्थान में है और प्राकृतिक वास स्थानों में उच्च जोखिम वाली परियोजनाओं के लिए अनुशंसित है।

BAP वर्णन करेगा:

---

[16] अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का मार्गदर्शन नोट 6 जैव विविधता संरक्षण और जीवित प्राकृतिक संसाधनों का सतत प्रबंधन

[17] https://www.cbd.int/

(i) कार्यों का सम्मिश्रण और इस बात का औचित्य कि परियोजना की शमन रणनीति कैसे शुद्ध लाभ (या कोई शुद्ध हानि नहीं) प्राप्त करेगी,

(ii) शमन पदानुक्रम का पालन कैसे किया जाएगा, इसके लिए दृष्टिकोण, और

(iii) आंतरिक कर्मचारियों और बाहरी भागीदारों के लिए भूमिकाएं और जिम्मेदारियां।

BAP की नियमित रूप से समीक्षा होगी और अद्यतन किया जाएगा क्योंकि समय के साथ नई जानकारी सामने आएगी, परियोजना कार्यान्वयन प्रगति करेगा, और संरक्षण संदर्भ बदलेगा।

जहां परियोजना शमन उपायों को परियोजना ESMS/BMP में शामिल किया गया है, इसे BAP में संदर्भित किया जाना चाहिए।

BAP, BMP से इस मायने में अलग है कि बाद वाला एक परिचालन दस्तावेज है जिसे मुख्य रूप से साइट प्रबंधकों और ठेकेदारों के लिए विकसित किया गया है; जबकि BAP में लगभग हमेशा ऑफ-साइट क्षेत्रों (उदाहरण के लिए, ऑफसेट और अतिरिक्त कार्रवाइयां) के लिए कार्रवाइयां शामिल होंगी और बाहरी भागीदार (उदाहरण के लिए, कार्यान्वयन भागीदार, समीक्षक या सलाहकार) शामिल होंगे। BAP के साथ ऐसे दस्तावेज़ भी हो सकते हैं जिन्हें बाद की समय-सीमा में विकसित किया जाएगा, जैसे कि ऑफ़सेट प्रबंधन योजना या जैव विविधता निगरानी और मूल्यांकन कार्यक्रम (BMEP)।

इन मामलों में, BAP को इन महत्वपूर्ण दस्तावेजों के संदर्भ में अद्यतन किया जाएगा जब वे विकसित हो जाएंगे। परियोजना की प्रकृति और स्तर के आधार पर, प्रारंभिक BAP शुद्ध लाभ (या कोई शुद्ध हानि नहीं) देने के लिए कार्यों की पहचान करने की एक रणनीति और समयरेखा का वर्णन कर सकता है।

परियोजना प्रस्तावकों को मान्यता प्राप्त और विश्वसनीय संरक्षण संगठनों और/या शैक्षणिक संस्थानों के साथ भागीदारी विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह प्राकृतिक या महत्वपूर्ण वास स्थान में संभावित विकास के संबंध में विशेष रूप से प्रासंगिक है। साझेदारी करने वाले संगठन जैव विविधता संरक्षण में क्षेत्रीय अनुभव ला सकते हैं जिसकी ग्राहकों में कमी है। भागीदार संगठन प्रजातियों के विशेषज्ञों की पहचान करने, क्षेत्र सर्वेक्षण करने, प्रबंधन योजनाओं पर सलाह देने, जैव विविधता निगरानी कार्यक्रम आयोजित करने, जैव विविधता कार्य योजनाओं पर सलाह देने और नागरिक समाज समूहों और अन्य स्थानीय हितधारकों के साथ संबंधों के प्रबंधन में सहायक हो सकते हैं।

जैव विविधता के प्रबंधन के बारे में अधिक जानकारी और मार्गदर्शन के लिए, कृपया 'IFC PS 6: जैव विविधता संरक्षण और जीवित प्राकृतिक संसाधनों का सतत प्रबंधन' और इसके मार्गदर्शन का संदर्भ लें।

परिशिष्ट 10 आकस्मिक खोज प्रक्रिया के लिए मार्गदर्शन

आकस्मिक खोज प्रक्रिया का दायरा और उद्देश्य

सांस्कृतिक विरासत को उन संसाधनों के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनकी लोग अपने निरंतर विकसित हो रहे मूल्यों, विश्वासों, ज्ञान और परंपराओं के प्रतिबिंब और अभिव्यक्ति के रूप में पहचान करते हैं। सांस्कृतिक विरासत में मूर्त और अमूर्त विरासत शामिल हैं, जिसे स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या वैश्विक स्तर पर पहचाना और महत्व दिया जा सकता है, जो निम्नानुसार है:

- मूर्त सांस्कृतिक विरासत, जिसमें चल या अचल वस्तुएं, स्थल, संरचनाएं, संरचनाओं के समूह, और प्राकृतिक विशेषताएं और परिदृश्य शामिल हैं जिनका पुरातात्विक, जीवाश्म विज्ञान, ऐतिहासिक, वास्तुशिल्प, धार्मिक, सौंदर्य, या अन्य सांस्कृतिक महत्व है। मूर्त सांस्कृतिक विरासत शहरी या ग्रामीण सेटिंग में स्थित हो सकती है, और जमीन के ऊपर या नीचे या पानी के नीचे हो सकती है; तथा
- अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, जिसमें प्रथाएं, प्रतिनिधित्व, अभिव्यक्ति, ज्ञान, कौशल — साथ ही साथ जुड़े उपकरण, वस्तुएं, कलाकृतियां और सांस्कृतिक स्थान शामिल हैं — जिन्हें स्वदेशी लोगों सहित समुदाय और समूह अपनी सांस्कृतिक विरासत के हिस्से के रूप में पहचानते हैं, जैसा पीढ़ी से पीढ़ी तक प्रेषित होता है और अपने पर्यावरण, प्रकृति के साथ उनकी परस्पर क्रिया और उनके इतिहास के जवाब में उनके द्वारा लगातार बनाए जाते हैं।

एक आकस्मिक खोज प्रक्रिया उन प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करती है जिनका परियोजना इकाई पालन करेगी यदि संभावित सांस्कृतिक विरासत की खोज स्वीकृत परियोजना से जुड़े छोटे पैमाने के निर्माण और/या नवीनीकरण गतिविधियों के दौरान होती है।

मूर्त सांस्कृतिक विरासत एक आकस्मिक खोज प्रक्रिया का केंद्र है और विशेष रूप से, आकस्मिक खोज जो परियोजना निर्माण या संचालन के दौरान पुरातात्विक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और/या अवशेष सामग्री अप्रत्याशित रूप से सामने आती है।

सामान्य आवश्यकताएं

GAIA परियोजनाओं से, एक पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर, IFC PS 8 सांस्कृतिक विरासत के अनुपालन में, एक अनंतिम आकस्मिक खोज की प्रक्रिया स्थापित करने की अपेक्षा रखती है।

आकस्मिक खोज की प्रक्रिया का दायरा और स्तर सांस्कृतिक विरासत के लिए संभावित जोखिमों और प्रभावों की प्रकृति, स्तर और प्रकार के अनुपात में होगा जो परियोजनाओं की गतिविधियों से उत्पन्न हो सकते हैं। इसके अलावा, आकस्मिक खोज की प्रक्रिया नियोजित गतिविधियों के प्रकार और स्तर के अनुरूप होगी। इस प्रकार, स्क्रीनिंग में विचार की गई गतिविधियों का सांस्कृतिक विरासत (श्रेणी सी) पर एक नगण्य संभावित नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा या एक छोटे/ नगण्य पदचिह्न के साथ आकस्मिक खोज की प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होगी। प्रस्तावित परियोजना प्रस्ताव में इसे पहचानने और उचित ठहराने की आवश्यकता होगी।

यह परिशिष्ट निर्देशात्मक होने का लक्ष्य नहीं रखता है, बल्कि आकस्मिक खोज की प्रक्रिया के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। आवश्यकतानुसार और स्वीकृत परियोजना के IFC PS के अनुरूप ESIA अध्ययन आवश्यकताओं को बदला जा सकता है और परियोजना प्रकार और संदर्भ के लिए अनुकूलित किया जा सकता है। नीचे दिया गया मार्गदर्शन इस बात पर केंद्रित है कि आकस्मिक खोज प्रक्रिया में क्या शामिल किया जाए और यह 'कैसे करें' मार्गदर्शन के रूप में अभिप्रेत नहीं है।

यदि मेज़बान देश में आकस्मिक खोजों (जैसे, पुरातात्विक वस्तुओं या अवशेषों) के लिए कानूनी रूप से स्थापित प्रक्रिया है, तो उस प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। हालाँकि, यदि ऐसी कोई प्रक्रिया मौजूद नहीं है, तो इस आकस्मिक खोज प्रक्रिया का उपयोग किया जा सकता है।

एक आकस्मिक खोज प्रक्रिया को चाहिए:

- सांस्कृतिक विरासत के संभावित जोखिमों और प्रभावों की प्रकृति, स्तर और प्रकार के साथ ही निर्माण/नवीनीकरण गतिविधियों के प्रकार और स्तर अनुपात में रहें।
- विश्व बैंक पर्यावरण और सामाजिक मानकों (विशेष रूप से ESS8[18]) सहित अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ संरेखण में विकसित रहे, और मेज़बान देश की आवश्यकताओं के साथ-साथ प्रायोजकों की नीतियों और प्रक्रियाओं का भी अनुपालन करे।
- निर्धारित करें कि परियोजना से जुड़े आकस्मिक खोज का प्रबंधन कैसे किया जाएगा। प्रक्रिया में सांस्कृतिक विरासत विशेषज्ञों द्वारा मिली वस्तुओं या स्थलों के संबंधित अधिकारियों को सूचित करने; आगे की गड़बड़ी से बचने के लिए खोजे हुए या स्थलों के क्षेत्र को बाड़ से घेर कर अलग करने; सांस्कृतिक विरासत विशेषज्ञों द्वारा मिली वस्तुओं या स्थलों के मूल्यांकन को सक्षम करने; WB ESS8 और राष्ट्रीय कानून की आवश्यकताओं के अनुरूप कार्रवाइयों की पहचान करने और उन्हें लागू करने; और आकस्मिक खोज प्रक्रियाओं[19] को लेकर परियोजना कर्मियों और परियोजना श्रमिकों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता शामिल होनी चाहिए।

- उद्देश्य:
    - भौतिक निवेश गतिविधियों के प्रतिकूल प्रभावों से भौतिक सांस्कृतिक संसाधनों की रक्षा करना और उनके संरक्षण का समर्थन करना।
    - भौतिक सांस्कृतिक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों के समान बंटवारे को बढ़ावा देना; तथा
    - सांस्कृतिक विरासत संसाधनों की आकस्मिक खोज की संभावना के बारे में स्थल पर सभी निर्माण श्रमिकों और प्रबंधन में जागरूकता बढ़ाना।

आकस्मिक खोज प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए, प्रस्तावित विकास स्थल पर सभी कर्मी, अगर सांस्कृतिक विरासत संसाधनों का सामना करना पड़ता है, आकस्मिक खोज प्रक्रिया और इसका पालन करने के महत्व को समझते हैं। इसके अलावा, स्थल पर संभावित रूप से पाए जाने वाले सांस्कृतिक विरासत संसाधनों पर प्रशिक्षण या प्रवेशण परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए।

सांस्कृतिक संसाधनों की आकस्मिक खोज के लिए प्रक्रियाएं (आकस्मिक खोज)

छोटे पैमाने की निर्माण गतिविधियों, सिविल कार्यों और/या नवीनीकरण या परियोजना की अन्य गतिविधियों को करते समय सांस्कृतिक संसाधनों की खोज होने पर की जाने वाली प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है।

परियोजना के कार्यान्वयन से पहले, परियोजना प्रस्तावक सांस्कृतिक विरासत पर महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभावों से बचने के लिए परियोजना गतिविधियों के स्थल-चयन और डिजाइन करने के लिए जिम्मेदार है। स्क्रीनिंग चरण में पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिम और प्रभावों की पहचान प्रक्रिया को यह निर्धारित करने में मदद करनी चाहिए कि क्या परियोजना का प्रस्तावित स्थान उन क्षेत्रों में है जहां या तो निर्माण या संचालन के दौरान सांस्कृतिक विरासत पाए जाने की उम्मीद है।

परियोजना प्रस्तावक आकस्मिक खोज प्रक्रिया के माध्यम से आकस्मिक खोज के प्रबंधन के लिए प्रावधान विकसित करेगा जिसे बाद में सांस्कृतिक विरासत की खोज होने पर लागू किया जाएगा।

परियोजना प्रस्तावक और कोई भी ठेकेदार यह सुनिश्चित करेंगे कि समुचित पेशेवरों द्वारा मूल्यांकन किए जाने तक किसी भी आकस्मिक खोज को आगे कोई बाधा न डालें। जहां आवश्यक हो, इसमें योग्य विशेषज्ञ शामिल होंगे, जिसमें संबंधित सरकारी प्राधिकरण और नागरिक समाज संगठन, साथ ही पारंपरिक ज्ञान धारक और क्षेत्र

---

[18] https://www.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-social-framework/brief/environmental-and-social-standards

[19] [3] विश्व बैंक पर्यावरण और सामाजिक ढांचा, 2017.

के अन्य लोग शामिल होंगे, जिनसे परामर्श किया जाना चाहिए कि क्या जानकारी का प्रकटीकरण वांछनीय है, क्योंकि ऐसी स्थितियां हैं जिनमें प्रकटीकरण प्रासंगिक सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा या अखंडता से समझौता हो सकता है और/या सूचना के स्रोतों को खतरे में डाल सकता है।

आकस्मिक खोज प्रक्रिया में एक विरासत स्थल या वस्तु की खोज से लेकर उसकी जांच और मूल्यांकन तक एक पेशेवर पुरातत्वविद् या अन्य उचित रूप से योग्य व्यक्ति द्वारा उसके बचाव या नाशरक्षण के लिए किए जाने वाले कार्यों को शामिल किया जाना चाहिए।

यदि सांस्कृतिक संसाधन (जैसे, पुरातात्विक स्थल, ऐतिहासिक स्थल, अवशेष, वस्तुएं, कब्रिस्तान या व्यक्तिगत कब्रें) छोटे पैमाने की निर्माण गतिविधियों, सिविल कार्यों और/या नवीनीकरण या अन्य परियोजना गतिविधियों को करते समय खोजे जाते हैं, तो निम्नलिखित के अनुरूप प्रक्रिया निष्पादित की जानी चाहिए:

1. किसी भी (या आगे की) क्षति से बचने के लिए आकस्मिक खोज के आसपास निर्माण गतिविधियों को रोकें;
2. खोज की सूचना तुरंत नामित पर्यवेक्षक को दें;
3. खोजी गई साइट या क्षेत्र को रेखांकित करें और बाड़ लगा दें और खोज के चारों ओर 25 मीटर का प्रतिबंधित क्षेत्र बना दें;
4. हटाने योग्य वस्तुओं के किसी भी नुकसान या हानि को रोकने के लिए साइट को सुरक्षित करें। हटाने योग्य पुरावशेषों या संवेदनशील अवशेषों के मामलों में, जब तक जिम्मेदार स्थानीय प्राधिकरण या जिला/प्रांतीय संस्कृति विभाग, या स्थानीय पुरातत्व संस्थान, यदि उपलब्ध हो तो संभाल सकते हैं, न आ जाएं तब तक नाइट गार्ड की व्यवस्था की जाएगी;
5. कार्यकर्ताओं या अन्य पार्टियों द्वारा किन्हीं भी वस्तुओं को हटाने से मना करें;
6. आपने किस प्रकार की पुरातात्विक सामग्री का सामना किया है, उनका स्थान (जीपीएस) और यदि संभव हो, तो खोज की सतह के नीचे की गहराई को नोट करें;
7. उजागर सामग्री की तस्वीर लें, अधिमानतः एक पैमाने के साथ (जैसे कि, फ़ाइल बाइंडर, सिक्का, स्केल पट्टी आदि);
8. जिम्मेदार स्थानीय अधिकारियों और संबंधित पुरातत्व संस्थान को तुरंत (24 घंटे या उससे कम के भीतर) सूचित करें;
9. बाद की उपयुक्त प्रक्रियाओं पर निर्णय लेने से पहले जिम्मेदार स्थानीय प्राधिकरण साइट की सुरक्षा और संरक्षण की निगरानी करेंगे। इसके लिए स्थानीय पुरातत्व संस्थान द्वारा किए जाने वाले निष्कर्षों के प्रारंभिक मूल्यांकन की आवश्यकता होगी। सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रासंगिक विभिन्न मानदंडों के अनुसार निष्कर्षों के महत्व और महत्ता का मूल्यांकन किया जाना चाहिए; इनमें सौंदर्य, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक या अनुसंधान, सामाजिक और आर्थिक मूल्य शामिल हैं;
10. जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा खोज को कैसे संभालना है, इस पर निर्णय लिया जाएगा। इसमें भौतिक निवेश लेआउट (जैसे कि जब सांस्कृतिक या पुरातात्विक महत्व के एक अचल अवशेष मिलते हैं), संरक्षण, परिरक्षण, बहाली, और/या नाशरक्षण में परिवर्तन शामिल हो सकते हैं;
11. खोज के प्रबंधन से संबंधित प्राधिकरण के निर्णय के कार्यान्वयन के बारे में संबंधित स्थानीय अधिकारियों द्वारा लिखित में सूचित किया जाएगा;
12. शमन उपायों में प्रस्तावित परियोजना डिजाइन/लेआउट, सुरक्षा, संरक्षण, बहाली, और/या साइटों और/या वस्तुओं के परिरक्षण में परिवर्तन शामिल हो सकते हैं;
13. विरासत की सुरक्षा के संबंध में जिम्मेदार स्थानीय अधिकारियों से अनुमति मिलने के बाद ही साइट पर निर्माण कार्य फिर से शुरू हो सकता है; तथा

14. परियोजना प्रस्तावक सभी निर्माण गतिविधियों की निगरानी के लिए संबंधित स्थानीय अधिकारियों के साथ सहयोग करने के लिए जिम्मेदार है और यह सुनिश्चित करता है कि पर्याप्त संरक्षण कार्रवाइयां की जाती हैं और इसलिए विरासत स्थलों को संरक्षित किया जाता है।

इसके अलावा, परियोजना प्रस्तावक GAIA को जितनी जल्दी हो सके आकस्मिक खोज मिलने की घोषणा करने के लिए बाध्य है।

परिशिष्ट 11 - पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन योजना की रूपरेखा

एक पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन योजना (ESMP) में शमन, निगरानी और संस्थागत उपाय और कार्यान्वयन और संचालन के दौरान की जाने वाली कार्रवाइयां शामिल हैं, जो SEAH प्रभावों सहित प्रतिकूल E&S प्रभावों को खत्म करने या उन्हें स्वीकार्य स्तर तक कम करने के लिए हैं। ESMP को ESIA द्वारा परियोजना के जोखिमों और प्रभावों की पहचान करके सुविज्ञ किया जाता है और इसे परियोजना इकाई संचालन की समग्र योजना, डिजाइन, बजट और कार्यान्वयन में एकीकृत किया जाना चाहिए।

ESMP एक व्यापक योजना का हिस्सा हो सकता है और निम्नलिखित पहलुओं को संबोधित करेगा:

a) **शमन।** व्यवहार्य और प्रभावी उपायों की पहचान करता है जो लागू होने पर संभावित रूप से महत्वपूर्ण प्रतिकूल E&S प्रभावों को स्वीकार्य स्तर तक कम कर सकते हैं। विशेष रूप से, ESMP: (i) सभी प्रत्याशित प्रतिकूल और सकारात्मक E&S प्रभावों (स्वदेशी लोगों या अनैच्छिक पुनर्वास में शामिल सहित) की पहचान करता है और सारांशित करता है (यदि ESMP को ESIA से एक अलग दस्तावेज़ के रूप में तैयार किया जाता है); (ii) प्रत्येक के लिए शमन उपायों का विस्तार से वर्णन करता है, जिसमें यह संबंधित प्रभाव के प्रकार और जिन स्थितियों के तहत इसकी आवश्यकता होती है (उदाहरण के लिए, लगातार या आकस्मिकताओं की स्थिति में), डिजाइन, उपकरण विवरण और संचालन प्रक्रियाओं के साथ-साथ, उपयुक्त रूप में शामिल होते हैं; (iii) इन उपायों के किसी भी संभावित E&S प्रभावों का अनुमान लगाता है; और (iv) परियोजना के लिए आवश्यक किसी भी अन्य शमन योजनाओं (उदाहरण के लिए, अनैच्छिक पुनर्वास, स्वदेशी लोगों, या सांस्कृतिक संपत्ति के लिए) के साथ जुड़ाव प्रदान करता है।

b) **निगरानी।** परियोजना कार्यान्वयन के दौरान E&S निगरानी का विवरण शामिल है। अपेक्षित E&S परिणामों, परियोजना के जोखिमों और प्रभावों और शमन उपायों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, इस बारे में जानकारी प्रदान करता है। इस तरह की जानकारी शमन की सफलता का मूल्यांकन करने में सक्षम बनाती है और जरूरत पड़ने पर सुधारात्मक कार्रवाई करने की अनुमति देती है।

c) **क्षमता विकास और प्रशिक्षण।** यदि आवश्यक हो, तो ESMP, ESIA और ESMP सिफारिशों के कार्यान्वयन की अनुमति देने के लिए जिम्मेदार इकाइयों या संस्थानों की स्थापना या आगे के विकास और कर्मियों के प्रशिक्षण की सिफारिश करता है। विशेष रूप से, ESMP कार्यान्वयन संस्थानों की क्षमता के निर्माण के लिए डिज़ाइन की गई गतिविधियों के लिए संस्थागत व्यवस्थाओं का एक विशिष्ट विवरण प्रदान करता है।

d) **कार्यान्वयन व्यवस्थाएं।** वर्णन करता है कि ESMP में पहचाने गए उपायों से संबंधित भूमिकाओं और जिम्मेदारियों सहित ESMP को कैसे लागू किया जाएगा।

e) **कार्यान्वयन अनुसूची और लागत अनुमान।** ESMP उन उपायों के लिए एक कार्यान्वयन अनुसूची, जिन्हें परियोजना के हिस्से के रूप में किया जाना चाहिए और पूंजी और आवर्तक लागत अनुमान और ESMP को लागू करने और निगरानी के लिए धन के स्रोत, प्रदान करता है।

f) **हितधारक जुड़ाव योजना।** ESMP में परियोजना के पूरे जीवन में समुदायों, स्वदेशी लोगों और हितधारकों को शामिल करने की योजना शामिल होगी। इसमें बाहरी संचार, सूचना प्रकटीकरण, रिपोर्टिंग तथा समुदायों से प्राप्त होने वाले सतत फीडबैक का संग्रह करने के लिए रणनीतियां और तंत्र भी शामिल होंगे।

g) **शिकायत निवारण तंत्र।** ESMP, परियोजना स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र, शिकायतों को प्राप्त करने और हल करने के लिए इसकी प्रक्रियाओं और समुदायों, स्वदेशी लोगों और हितधारकों को रिपोर्ट करने का भी वर्णन करेगा।

परिशिष्ट 12 - E&S समुचित सतर्कता

1. **परिचय**

- समीक्षित दस्तावेजों की सूची (संलग्नक)
- साक्षात्कार किए गए व्यक्तियों की सूची (संलग्नक)
- DD प्रक्रिया की किन्हीं सीमाओं का उल्लेख करें
- प्रासंगिक मानक जिनका मूल्यांकन किया गया था या जो लागू हैं

मानक / आवश्यकताएं	उपयुक्त	आकलित
हरित जलवायु कोष (1 मार्च, 20122)। संशोधित पर्यावरण और सामाजिक नीति।		
IFC नीति और सामाजिक और पर्यावरणीय स्थिरता पर प्रदर्शन मानक 2012 और इसके मार्गदर्शन नोट।		
व्यापार और मानव अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के मार्गदर्शक सिद्धांत (UNGPs)		
मौलिक सिद्धांतों और काम पर अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की घोषणा		
महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन		
प्रायोजकों का E&S[20], लिंग और अन्य प्रासंगिक मानक *(प्रायोजकों की प्रासंगिक लिंग और मानवाधिकार नीति के विवरण के लिए* कृपया *परिशिष्ट* 2 देखें*)।*		
हरित जलवायु कोष (मई 2021) यौन शोषण, यौन दुर्व्यवहार, और यौन उत्पीड़न की रोकथाम और उनसे सुरक्षा के बारे में संशोधित नीति।		
प्रासंगिक विश्व बैंक समूह पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा		

[20] कृपया ध्यान दें कि पर्यावरण और सामाजिक (E&S) शब्द का अर्थ मानवाधिकार, श्रम, SEAH, लिंग और स्वदेशी लोगों के विचार भी हैं।

(EHS) दिशानिर्देश, जैसा लागू हो।		

2. जोखिम वर्गीकरण

- परियोजना के प्रकार, आकार और स्थान पर विचार करते समय वर्तमान में परियोजना के, SEAH[21] सहित, E&S जोखिम प्रोफाइल पर संक्षिप्त जानकारी।
- GCF और GAIA दिशानिर्देशों के अनुसार परियोजना वर्गीकरण: ए, बी, या सी संक्षिप्त औचित्य के साथ।

जोखिम श्रेणी

- □ श्रेणी ए: संभावित महत्वपूर्ण प्रतिकूल पर्यावरणीय या सामाजिक जोखिम और/या प्रभाव जो विविध, अपरिवर्तनीय, या अभूतपूर्व हैं
- □ श्रेणी बी: संभावित सीमित प्रतिकूल पर्यावरणीय या सामाजिक जोखिम और/या प्रभाव जो संख्या में कम हैं, आम तौर पर साइट-विशिष्ट, बड़े पैमाने पर प्रतिवर्ती, और शमन उपायों के माध्यम से आसानी से संबोधित किया जाता है
- □ श्रेणी सी: न्यूनतम या कोई प्रतिकूल पर्यावरणीय या सामाजिक जोखिम और/या प्रभाव नहीं

औचित्य/पहचाने गए मुख्य जोखिम

3. लागू स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय कानून का अनुपालन

स्थानीय कानूनों और अंतरराष्ट्रीय संधियों और उनकी आवश्यकताओं का मूल्यांकन, पर्यावरण एजेंसियों से आवश्यक अनुमोदन जो मौजूद हैं या जिनके लिए निवेदन किया गया है, और पूरी की जाने वाली आवश्यकताएं।

विधान	जारी करने वाला प्राधिकरण	स्वीकृति पात्रता (सामग्री)	जारी करने की तारीख	समाप्ति दिनांक	टिप्पणियां

4. E&S आवश्यकताओं का अनुपालन

4.1 PS1: पर्यावरण और सामाजिक जोखिमों और प्रभावों का मूल्यांकन और प्रबंधन

IFC प्रदर्शन मानकों की संरचना का पालन करते हुए, और GAIA की अतिरिक्त E&S आवश्यकताओं के अनुपालन में, SEAH सहित E&S जोखिमों का मूल्यांकन।

मुख्य पहलू	मूल्यांकन	टिप्पणियां

[21] कृपया ध्यान दें कि पर्यावरण और सामाजिक (E&S) शब्द का अर्थ मानवाधिकार, श्रम, SEAH, लिंग और स्वदेशी लोगों के विचार भी हैं।

	कमजोर	मध्यम	मजबूत	
E&S **नीति**[22]				
E&S **जोखिमों और प्रभावों की पहचान**				
आधारभूत डेटा संग्रह				
वैकल्पिक विश्लेषण				
मूल्यांकन पद्धति / महत्व मानदंड				
शमन के उपाय				
जलवायु परिवर्तन				
सीमा पार प्रभाव				
SEAH प्रभाव				
संचयी प्रभाव				
व्यापार और मानवाधिकार				
नुकसान या कमजोर समूह				
लिंग				
तीसरे पक्ष के प्रभाव				
आपूर्ति श्रृंखला				
क्षेत्रीय, सेक्टर का या रणनीतिक मूल्यांकन				
प्रबंधन कार्यक्रम / ESMS				
संगठनात्मक क्षमता और दक्षता				
आपातकालीन तत्परता और प्रतिक्रिया				
निगरानी प्रणाली				
हितधारक जुड़ाव				
हितधारक विश्लेषण और जुड़ाव योजना				
जानकारी का प्रकटीकरण				

[22] कृपया ध्यान दें कि पर्यावरण और सामाजिक (E&S) शब्द का अर्थ मानवाधिकार, श्रम, SEAH, लिंग और स्वदेशी लोगों के विचार भी हैं।

परामर्श / सुविज्ञ परामर्श और भागीदारी				
स्वदेशी लोग				
सरकार के नेतृत्व वाले हितधारक जुड़ाव के तहत निजी क्षेत्र की जिम्मेदारियां				
बाहरी संचार				
प्रभावित समुदायों के लिए शिकायत तंत्र				
रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण				
प्रभावित समुदायों को आवधिक रिपोर्टिंग				

ESMS

- वर्णन करें कि कौन से तंत्र पहले से मौजूद हैं और कौन से क्रियान्वित किए जाने की प्रक्रिया में हैं।
- उपलब्ध दस्तावेज़: E&S[23] नीति, ES जोखिम और प्रभाव मूल्यांकन, प्रबंधन कार्यक्रम और निगरानी प्रणाली।
- वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा समर्थन और कर्मचारियों को संचार।

ESMS **को लागू करने की संगठनात्मक क्षमता**

- वरिष्ठ और कर्मचारियों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां, समन्वय, पर्यावरण प्रबंधन, स्वास्थ्य और सुरक्षा और सामुदायिक संबंधों के विषयगत क्षेत्रों पर जोर देने के साथ।

हितधारक जुड़ाव

- लिंग, स्वदेशी लोगों और अन्य संवेदनशील समूहों पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रभावित समुदायों की पहचान और उनके साथ जुड़ाव के लिए प्रक्रियाओं का वर्णन करें।

बाहरी संचार और शिकायत तंत्र

- प्रासंगिक हितधारकों, विशेष रूप से प्रभावित समुदायों और स्वदेशी लोगों के साथ संवाद करने के लिए मौजूद प्रणाली का वर्णन करें।
- लागू शिकायत तंत्र का वर्णन और मूल्यांकन करें।

रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण

- रिपोर्टिंग प्रणाली, आवृत्ति और रिपोर्ट की गई सूचना के प्रकार का वर्णन करें।

4.2 PS2: **श्रम और काम करने की स्थितियां**

मुख्य पहलू	**मूल्यांकन**			**टिप्पणियां**
	कमजोर	**मध्यम**	**मजबूत**	
मानव संसाधन नीतियां				

[23] कृपया ध्यान दें कि पर्यावरण और सामाजिक (E&S) शब्द का अर्थ मानवाधिकार, श्रम, SEAH, लिंग और स्वदेशी लोगों के विचार भी हैं।

काम करने की स्थितियां और रोजगार की शर्तें				
श्रमिकों का आवास				
श्रमिक संगठन				
गैर-भेदभाव और समान अवसर				
शमन के उपाय				
छंटनी				
श्रम शिकायत तंत्र				
बाल श्रम				
जबरन मज़दूरी				
व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा				
ठेकेदारों का प्रबंधन				
प्राथमिक आपूर्ति श्रृंखला पर नियंत्रण				

मानव संसाधन नीतियां और कार्य संबंध

- क्या कामगारों के पास कानून के अनुसार कानूनी अनुबंध और लाभ हैं: सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम आयु, काम के घंटे, सामूहिक सौदेबाजियां?
- जहां स्थानीय कानून मौजूद नहीं हैं, वहां क्या कंपनी सामूहिक सौदेबाजी को रोकती है या 18 साल से कम उम्र के श्रमिकों को शोषण के रूप में काम पर रखती है?
- अनुबंधित कर्मियों के मामले में, क्या इन पहलुओं के लिए उचित प्रबंधन और निगरानी है? क्या सेवा प्रदाताओं के साथ अनुबंध में E&S पहलुओं को शामिल किया गया है?
- क्या महिलाओं और अल्पसंख्यकों को समान अवसर दिए जाते हैं?
- क्या काम करने की स्थितियां ILO के मौलिक सम्मेलनों का अनुपालन करती हैं?

व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा

- काम करने की स्थितियों की विशेषताएं: फसल काटने का कार्य, भारी मशीनरी का उपयोग, कीटनाशकों/प्रदूषकों/अपशिष्ट का उपयोग, प्रबंधन और निपटान
- कौन-सी आवश्यक सावधानियां मौजूद हैं: प्रशिक्षण, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (EPI), संकेतन, आपातकालीन योजनाएँ, घटना की रिपोर्टिंग? किन पर विचार नहीं किया जाता है?
- क्या कोई स्वास्थ्य और सुरक्षा योजना मौजूद है?
- किस तरह की दुर्घटनाएं और घटनाएं दर्ज की गई हैं और उन पर उचित कार्रवाई की गई है?

4.3 PS3: संसाधन दक्षता और प्रदूषण निवारण

मुख्य पहलू	**मूल्यांकन**			**टिप्पणियां**
	कमजोर	**मध्यम**	**मजबूत**	
संसाधन क्षमता				
पानी का उपयोग और				

उपचार				
प्रदूषण की रोकथाम				
प्रदूषक उत्सर्जन				
दूषित भूमि				
कचरा प्रबंधन				
खतरनाक सामग्री प्रबंधन				
कीटनाशकों का उपयोग और प्रबंधन				
उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक कीटनाशक के लिए अलग-अलग भरा जाना है				

पर्यावरणीय प्रभाव

- ESMS में किन संभावित प्रभावों की पहचान की गई है और उन्हें शामिल किया गया है? क्या किन्हीं संभावित प्रभावों पर विचार नहीं किया गया है?
- क्या अपशिष्ट, पानी और उत्सर्जन के लिए कोई उपयुक्त प्रबंधन प्रणाली मौजूद है?

रसायनों का प्रयोग

- क्या अनुप्रयोग, भंडारण और निपटान सहित रसायनों के सुरक्षित उपयोग के लिए कोई योजना है?
- क्या ऐसे कीटनाशकों और रसायनों का उपयोग किया जा रहा है जो अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध के अधीन हैं?
- क्या किसी ऐसे कीटनाशकों का उपयोग किया जा रहा है जो वन प्रबंधन परिषद (FSC) की अत्यधिक खतरनाक कीटनाशकों की सूची में शामिल है?

4.4 PS4: **सामुदायिक स्वास्थ्य, सलामती और सुरक्षा**

मुख्य पहलू	**मूल्यांकन**			**टिप्पणियां**
	कमजोर	**मध्यम**	**मजबूत**	
सामुदायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा सामान्य आवश्यकताएं				
धूल/वायु गुणवत्ता				
शोर				
कंपन				
छाया/दृश्य प्रभाव				
इंफ्रास्ट्रक्चर और उपकरण डिजाइन और सुरक्षा				
यातायात और परिवहन				
पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं/प्राकृतिक संसाधन				

मुद्दे				
खतरनाक सामग्री के संपर्क में				
रोग के संपर्क में (पानी)				
आपातकालीन तत्परता और प्रतिक्रिया				
साइट सुरक्षा और सुरक्षा कर्मी				

सामुदायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा

- किन मुख्य स्वास्थ्य और सुरक्षा पहलुओं की पहचान की गई है (शोर, धूल, दुर्घटनाएं, खतरनाक सामग्री, जल प्रदूषण) जो समुदायों और स्वदेशी लोगों को प्रभावित कर सकते हैं? क्या किन्हीं पहलुओं पर विचार नहीं किया गया?
- क्या पर्याप्त शमन उपाय मौजूद हैं और ESMS में शामिल हैं?
- क्या पर्याप्त शिकायत तंत्र मौजूद हैं?

सुरक्षा कर्मी

- यदि कंपनी ने सुरक्षा कर्मियों को काम पर रखा है, तो क्या परियोजना क्षेत्र के बाहर के लोगों के प्रति संभावित जोखिम को कम करने के लिए सुरक्षा उपाय मौजूद हैं?
- क्या वे सुरक्षा और मानवाधिकारों पर स्वैच्छिक सिद्धांतों में प्रशिक्षित हैं?

4.5 PS5: **भूमि अधिग्रहण और अनैच्छिक पुनर्वास मुख्य पहलू**	**मूल्यांकन**			**टिप्पणियां**
	कमजोर	**मध्यम**	**मजबूत**	
परियोजना का परिरूप				
विस्थापित व्यक्तियों के लिए मुआवजा और लाभ				
सामुदायिक जुड़ाव				
शिकायत तंत्र				
पुनर्वास/आजीविका बहाली योजना और कार्यान्वयन				
भौतिक विस्थापन				
आर्थिक विस्थापन				
सरकार द्वारा प्रबंधित पुनर्वास के तहत निजी क्षेत्र की जिम्मेदारियां				

भूमि अधिकार और विस्थापन को लेकर विवाद

- क्या भूमि अधिकार को लेकर कोई विवाद हैं?
- क्या परियोजना को भौतिक और/या आर्थिक विस्थापन से बचने या कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है?

- यदि विस्थापन अपरिहार्य है, तो क्या पुनर्वास या आजीविका बहाली योजनाएं लागू हैं? क्या प्रक्रिया सहभागी है और क्या कंपनी उचित मुआवजे की पेशकश करती है?

4.6 PS6: **जीवित प्राकृतिक संसाधनों का जैव विविधता संरक्षण और सतत प्रबंधन**

मुख्य पहलू	**मूल्यांकन**			**टिप्पणियां**
	कमजोर	**मध्यम**	**मजबूत**	
वास स्थान				
प्राकृतिक वास स्थान				
महत्वपूर्ण वास स्थान				
कानूनी रूप से संरक्षित और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त क्षेत्र				
आक्रामक विदेशी प्रजातियां				
जैव विविधता के संबंध में भूमि उपयोग डिजाइन और योजना				
जैव विविधता पर जोखिमों और प्रभावों की पहचान				
शमन पदानुक्रम का अनुप्रयोग				

भूमि उपयोग योजना, प्राकृतिक वनों का रूपांतरण और HCV **मूल्यांकन**

- परियोजना के भूमि उपयोग का वर्णन करें।
- परियोजना स्थित है:
    - संशोधित वास स्थान: XX हेक्टेयर
    - प्राकृतिक वास स्थान: XX हेक्टेयर
    - महत्वपूर्ण वास स्थान: XX हेक्टेयर
    - कानूनी रूप से संरक्षित क्षेत्र: XX हेक्टेयर
- क्या इस बात के प्रमाण हैं कि परियोजना ने 1994 से प्राकृतिक वनों का रूपांतरण किया है या क्या पूर्वानुमानित परियोजना गतिविधियों में प्राकृतिक वनों का रूपांतरण शामिल है?
- क्या कोई लक्षित संरक्षण क्षेत्र है?
- क्या परियोजना क्षेत्र में HCV क्षेत्रों की पहचान की गई है? क्या मूल्यांकन को स्थानीय हितधारकों द्वारा अनुमोदित किया गया है? क्या शमन के उपाय मौजूद हैं और क्या इनकी निगरानी की जाती है?

जोखिम मूल्यांकन और शमन पदानुक्रम

- क्या इन जोखिमों को ESMS में परियोजना के दायरे और स्तर और उस क्षेत्र के जैविक मूल्य के अनुसार शामिल किया गया है जिसमें यह स्थित है?
- क्या शमन के उपाय शमन पदानुक्रम सिद्धांत के अनुसार हैं, विशेष रूप से जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर प्रभावों के संबंध में, विशेष रूप से वास स्थान के नुकसान, क्षरण और विखंडन और आक्रामक प्रजातियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए?
- क्या प्रभावित समुदायों द्वारा जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं से जुड़े विभिन्न मूल्यों को ध्यान में रखा गया है?

4.7 PS7: **स्वदेशी लोग**

मुख्य पहलू	**मूल्यांकन**			**टिप्पणियां**
	कमजोर	**मध्यम**	**मजबूत**	
प्रतिकूल प्रभावों से बचाव				
जोखिम और प्रभाव मूल्यांकन				
पारंपरिक या प्रथागत भूमि पर प्रभाव				
पारंपरिक या प्रथागत भूमि से स्थानांतरण				
शमन उपायों का डिजाइन और कार्यान्वयन				
FPIC **के सिद्धांत**				
मुआवजा और लाभ-साझाकरण तंत्र				

स्वदेशी लोग

- जोखिम मूल्यांकन विश्लेषण में स्वदेशी लोगों को कैसे शामिल किया गया?
- प्रक्रिया में किन पारंपरिक और प्रथागत अधिकारों की पहचान की गई? क्या मूल्यांकन में सांस्कृतिक स्थलों पर विचार किया गया था?
- क्या FPIC के सिद्धांत पूरे हुए हैं?
- क्या शमन के उपयुक्त उपाय मौजूद हैं? क्या उन्हें मुआवजा दिया गया है?

4.8 PS8: **सांस्कृतिक विरासत**

मुख्य पहलू		**मूल्यांकन**			**टिप्पणियां**
		कमजोर	**मध्यम**	**मजबूत**	
सांस्कृतिक विरासत पर प्रभावों से बचने के लिए परियोजना डिजाइन					
आकस्मिक खोज प्रक्रियाएं					
स्वदेशी लोगों से परामर्श और सामुदायिक पहुंच उचित शमन					
यदि लागू हो तो उचित शमन उपाय लागू हैं					

सांस्कृतिक विरासत की पहचान

- कंपनी ने किन सांस्कृतिक विरासत स्थलों की पहचान की?
- क्या लागू होने पर आकस्मिक खोज प्रक्रियाएं मौजूद हैं? क्या इस पहलू को ESMS में माना जाता है?
- क्या सांस्कृतिक विरासत से संबंधित उचित शमन उपाय मौजूद हैं?

4.9 GESI **आवश्यकताएं**

- क्या परियोजना का GESI मूल्यांकन और योजना GAIA के GESI मूल्यांकन और योजना में उल्लिखित आवश्यकताओं के अनुरूप है?

4.10 SEAH

क्या निवेश चक्र में परिशिष्ट 13 SEAH जोखिम के अनुरूप परियोजना में SEAH जोखिम सम्बंधी नीतियां, योजनाएं और पर्याप्त शिकायत निवारण यांत्रिकी स्थापित की गई है?

मुख्य निष्कर्षों का सारांश और अंतराल विश्लेषण

मूल्यांकन के सबसे महत्वपूर्ण और प्रासंगिक पहलुओं को सारांशित करें, इन जोखिमों का जवाब देने के लिए निर्धारित प्रबंधन के मूल्यांकन के साथ मुख्य जोखिमों का संयोजन करते हुए। फिर मुख्य अंतराल और वर्तमान क्षमता और उन्हें संबोधित करने की कंपनी की इच्छा का वर्णन करें।

पहचाने गए मुख्य जोखिम	**मौजूदा प्रबंधन क्षमताएं**[24]	**अंतराल और कमजोरियां**	**अंतराल और कमजोरियों को संबोधित करने की क्षमता**

6. **वोट और सुझाए गए** ESAP **उपाय**

- निर्णय का विवरण यदि इस परियोजना को E&S के दृष्टिकोण से समर्थन दिया जा सकता है। यदि कमियों का पता चला है, तो निर्णयों को की जाने वाली कार्रवाइयों से जोड़ा जा सकता है।
- पहचाने गए जोखिमों और अंतराल को संबोधित करने के लिए कंपनी द्वारा की जाने वाली आवश्यक कार्रवाइयों को परिभाषित करें। जहां तक संभव हो, इनमें स्पष्ट समय सीमा, जिम्मेदारियां, पूर्णता संकेतक और जहां तक संभव हो, अनुमानित लागत शामिल होनी चाहिए।

परिशिष्ट 13 – निवेश चक्र में SEAH जोखिम

1. परिचय

इस परिशिष्ट में यह विवरण दिया गया है कि GAIA परियोजनाओं के पूरे जीवनचक्र में SEAH जोखिमों का मूल्यांकन, प्रबंधन और शमन कैसे किया जाएगा। इसका उद्देश्य इस दस्तावेज़ के अन्य अनुभागों, विशेष रूप से ***ESMS कार्य-संचालन दिशानिर्देश, शिकायत यांत्रिकी*** और ***SEAH नीति*** के साथ-साथ परिशिष्ट 5 ***ESS*** **स्क्रीनिंग चेकलिस्ट**, **6 पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव आकलन की रूपरेखा**, **11 पर्यावरण एवं सामाजिक प्रबंधन की रूपरेखा** एवं ***12 E&S समुचित सतर्कता***के पूरक के रूप में कार्य करना है। अंततः,

[24] कमजोर: पहलू को कंपनी द्वारा लागू नहीं किया गया है और/या प्रमुख खामियों और विसंगतियों को प्रस्तुत करता है और/या कंपनी के पास इसे लागू करने के लिए ज्ञान/क्षमता नहीं है। मध्यम: पहलू को आंशिक रूप से कमजोरियों के साथ लागू किया जाता है जिसे संबोधित किया जा सकता है। मजबूत: पहलू को मुख्य रूप से छोटी कमजोरियों के साथ लागू किया जाता है जिन्हें संबोधित करना अपेक्षाकृत आसान होता है और/या कमजोरियों को संबोधित करने के तरीके के बारे में एक अच्छी योजना के साथ।

लैंगिक जोखिमों और प्रभावों के प्रबंधन पर अधिक व्यापक जानकारी ***वित्तपोषण प्रस्ताव (लिंग और सामाजिक समावेशन कार्य योजना) के परिशिष्ट 8*** में भी उपलब्ध है।

2. मार्गदर्शक सिद्धान्त

SEAH के आरोपों या घटनाओं की रिपोर्टिंग और प्रतिक्रिया करते समय, GAIA और इसके परियोजना निकाय निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करेंगे[25]:

सुरक्षा	उत्तरजीवी(वियों), गवाहों और सूचना देने वालों की सुरक्षा हमेशा प्राथमिक होनी चाहिए। जो व्यक्ति SEAH की किसी घटना का प्रकटीकरण करते हैं, और जो उनका समर्थन करते हैं, उन्हें अक्सर अपराधी(धियों) या उनके आसपास के अन्य लोगों से बाद में हिंसा का खतरा रहता है।
गोपनीयता	गोपनीयता बरतने का अर्थ है सम्बंधित व्यक्ति की सूचित सहमति के बिना किसी भी समय किसी भी पक्ष के समक्ष किसी भी जानकारी को प्रकट नहीं करना। जानकारी को जानने की आवश्यकता के आधार पर साझा किया जाना चाहिए, SEAH घटना सूचनाओं, अपडेट और जांच रिपोर्ट से किसी भी नाम को हटा दिया जाना चाहिए। गोपनीयता उत्तरजीवी(वियों), गवाहों और सूचनादाताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करती है और उन्हें अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने में सक्षम बनाती है।
उत्तरजीवी की इच्छाएं	SEAH घटना के प्रत्युत्तर में की गई सभी कार्रवाईयां उत्तरजीवी की पसन्द, इच्छाओं, अधिकारों और गरिमा को ध्यान में रखते हुए मार्गदर्शित होनी चाहिए। उत्तरजीवियों को उपलब्ध सहायता विकल्पों के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए इस बात के बारे में सूचित निर्णय लेने में सक्षम किया जाना चाहिए कि वे क्या चाहते हैं।
गैर-भेदभाव	SEAH के सभी उत्तरजीवियों के प्रति समान और निष्पक्ष व्यवहार किया जाना चाहिए – चाहे उनकी उम्र, लैंगिक पहचान या लैंगिक प्रतिनिधित्व, जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, जातीयता, सामाजिक आर्थिक स्थिति, यौन रुझान, या अन्य विशेषताएं कुछ भी हों।
उत्तरजीवी-केंद्रित दृष्टिकोण	SEAH के प्रति सभी प्रत्युत्तरों में उत्तरजीवी-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। इसका मतलब है सुरक्षा, गोपनीयता, गैर-भेदभाव से संबंधित SEAH मार्गदर्शक सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होना और उत्तरजीवी की पसंद, इच्छाओं, अधिकारों और गरिमा का ध्यान रखना है।

3. GAIA निवेश चक्र में SEAH जोखिम

SEAH मामलों की अत्यंत प्रासंगिक प्रकृति तथा आजीविका, गंभीरता, एवं सम्पूर्ण GAIA परियोजनाओं में SEAH जोखिमों के पैमाने के रूप में परियोजनाओं के बीच अपरिहार्य अन्तरों को देखते हुए, इस खंड में समाहित जानकारी को एक ऐसे ब्लूप्रिंट के अर्थ में लिया जाना चाहिए जिसे परियोजना-दर-परियोजना आधार पर अनुरूपित किए जाने की आवश्यकता होगी।

तालिका 3 – GAIA निवेश चक्र में SEAH जोखिम

चरण	मानक ESMS क्रियाएं	जहां भी प्रासंगिक हो, संभावित अतिरिक्त क्रियाओं के उदाहरण
स्क्रीनिंग	• SEAH विश्लेषण तथा	• येलो-लाइटेड परियोजनाओं के लिए, SEAH

[25] "प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ग्रुप" (PIDG), *PIDG गंभीर घटना रिपोर्टिंग प्रविधि,* 2021, से अनुकूलित।

चरण	मानक ESMS क्रियाएं	जहां भी प्रासंगिक हो, संभावित अतिरिक्त क्रियाओं के उदाहरण
(चरण 2)	परियोजना प्रस्तावक नीतियों और प्रक्रियाओं के विश्लेषण और आकलन सहित प्राथमिक ESDD (परिशिष्ट 5 ESS स्क्रीनिंग चेकलिस्ट देखें)	मूल्यांकन (यदि जरूरी हो) को पूरा करने या संवर्द्धित करने के लिए समानांतर तकनीकी सहायता के प्रावधान पर विचार किया जा सकता है।
आकलन (चरण 3)	• SEAH को मानक ESDD चेकलिस्ट के भाग के रूप में शामिल किया जाना (परिशिष्ट 12 E&S समुचित सतर्कता देखें) • SEAH जोखिमों और प्रभावों के मूल्यांकन को शामिल करने के लिए ESIA पद्धति (अधिक विवरण के लिए परिशिष्ट 6 - पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव आकलन की रूपरेखा देखें); ESMP के विकास में प्रासंगिक रूप से SEAH-सम्बंधी कार्य भी शामिल होंगे (अधिक विवरण के लिए परिशिष्ट 11 - पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन योजना की रूपरेखा देखें) • परियोजना प्रस्तावकों द्वारा SEAH नीति सहित GAIA नीतियों के अनुपालन का मूल्यांकन	• परियोजना निकाय के SEAH नीतियों या ESIA और/या ESMP के SEAH-सम्बंधी भागों (यदि जरूरी हो) को पूरा करने या संवर्द्धित करने के लिए समानांतर तकनीकी सहायता के प्रावधान पर विचार किया जा सकता है।
अंतिम स्वीकृति (चरण 4)	• SEAH से संबंधित कार्रवाईयों और प्रतिबद्धताओं को अंतिम ESMP और/या GESI कार्य योजना में शामिल किया जाना चाहिए, जैसा उचित हो (कृपया GESI कार्य योजनाओं पर अधिक जानकारी के लिए वित्तपोषण प्रस्ताव का परिशिष्ट 8 देखें)	
निगरानी/पर्यवेक्षण (चरण 5)	• सभी परियोजनाओं में इस ESMS के शिकायत	• स्क्रीनिंग और मूल्यांकन चरण में पहचाने गए SEAH जोखिमों और प्रभाव की प्रमुखता या

चरण	मानक ESMS क्रियाएं	जहां भी प्रासंगिक हो, संभावित अतिरिक्त क्रियाओं के उदाहरण
	यांत्रिकी और SEAH नीति अनुभागों के अनुसार, SEAH से संबंधित शिकायतों को पर्याप्त रूप से प्राप्त करने और उनका निदान करने में सक्षम एक शिकायत यांत्रिकी लागू की जानी चाहिए। • SEAH से संबंधित सभी शिकायतों और घटनाओं के सम्बंध में परियोजना निकायों द्वारा GAIA को सूचित किया जाना चाहिए; जहां लागू हो, वहां परियोजना निकायों को किसी भी जांच और/या शमन उपायों पर नियमित अपडेट भी प्रदान करना चाहिए। • आदर्श परियोजना E&S निगरानी के हिस्से के रूप में SEAH-सम्बंधित क्रियाओं और प्रतिबद्धताओं की निगरानी।	गंभीरता के आधार पर, या गंभीर SEAH घटनाओ के होने पर, GAIA को SEAH से सम्बंधित घटनाओं और शिकायतों के लिए परियोजना निकायों द्वारा एक अलग से शिकायत यांत्रिकी और घटना रिपोर्टिंग प्रक्रिया स्थापित किए जाने की जरूरत हो सकती है। एक समर्पित शिकायत यांत्रिकी के प्रबंधन का काम किसी तीसरे पक्ष के विशेषज्ञ सेवा-प्रदाता को दिया जा सकता है। • यदि कोई SEAH घटना होती है तो GAIA चाह सकता है कि परियोजना निकायों द्वारा अतिरिक्त कदम उठाए जाएं या वह इसकी अनुशंसा कर सकता है, जैसे: ◷ SEAH घटना(ओं) में औपचारिक जांच ◷ उत्तरजीवियों के लिए स्थानीय स्वास्थ्य और मनोवैज्ञानिक सेवाओं की ओर रेफर करने के मार्ग की स्थापना ◷ स्थानीय SEAH विशेषज्ञों एवं उत्तरजीवी सहायता संस्थाओं के साथ पार्टनरशिप ◷ मुख्य परियोजना प्रबंधकों, कर्मचारियों, एवं अन्य सम्बंधित परियोजना हितधारकों के लिए SEAH के बारे में प्रशिक्षण एवं क्षमता-निर्माण • SEAH घटनाओं के प्रत्युत्तर एवं शमन में सहायता देने के लिए समानांतर तकनीकी सहायता के प्रावधान पर विचार किया जा सकता है।
मूल्यांकन		• यदि प्रासंगिक हो तो, गंभीर किस्म की SEAH घटनाओं पर प्रतिक्रिया की पूर्व एवं पश्चात समीक्षा

4. अतिरिक्त स्रोत एवं उत्तम कार्यप्रथा नोट्स

SEAH जोखिमों और प्रभावों के मूल्यांकन, प्रबंधन, और शमन में, GAIA और उसके परियोजना निकाय स्रोतों में उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय उत्तम कार्यप्रथा से निर्देशित होंगे, जैसे कि:

- क्राइटेरियन इंस्टीच्यूट, *रोडमैप फॉर डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीच्यूशंस: स्ट्रेटजीज टु ऐड्रेस जेंडर-बेस्ड वायलेंस, 2022.*
- IFC, EBRD और CDC ग्रुप, *ऐड्रेसिंग जेंडर-बेस्ड वायलेंस ऐंड हैरेसमेंट: इमर्जिंग गुड प्रैक्टिस फॉर दि प्राइवेट सेक्टर, 2020.*
- विश्व बैंक, *गुड प्रैक्टिस नोट – ऐड्रेसिंग सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऐंड ऐब्यूज़ ऐंड सेक्सुअल हैरेसमेंट (SEA/SH) इन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग इन्वॉल्विंग मेजर सिविल वर्क्स, 2020.*

संदर्भ

रिपोर्ट

- अरबारो फंड, (8 अक्टूबर, 2019)। पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन प्रणाली (ESMS)।
- FinDev कनाडा (1 मार्च, 2020)। पर्यावरण और सामाजिक (E&S) नीति।
- हरित जलवायु कोष (1 मार्च, 2022)। संशोधित पर्यावरण और सामाजिक नीति।
- हरित जलवायु कोष। (2 अप्रैल 2019)। लिंग विश्लेषण/मूल्यांकन और लिंग और सामाजिक समावेशन कार्य योजना टेम्पलेट।
- हरित जलवायु कोष। (2 अप्रैल 2019)। निरंतरता मार्गदर्शन नोट: GCF-वित्तपोषित परियोजनाओं में सार्थक हितधारकों के जुड़ाव को डिजाइन और सुनिश्चित करना
- UNEP (2009)। उत्पादों के सामाजिक जीवन चक्र मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देश।
- IFC (1 जनवरी, 2012)। प्रदर्शन मानक 1 से 8.
- निजी अधोसंरचना विकास समूह। (2021). PIDG गंभीर घटना रिपोर्टिंग प्रक्रिया
- विश्व बैंक (जून 2018)। IPF संचालन के लिए पर्यावरण और सामाजिक ढांचा - ESS6: जैव विविधता संरक्षण और जीवित प्राकृतिक संसाधनों का सतत प्रबंधन।
- विश्व बैंक (जून 2018)। IPF संचालन के लिए पर्यावरण और सामाजिक ढांचा – ESS3: संसाधन दक्षता और प्रदूषण रोकथाम और प्रबंधन।

प्रायोजक दस्तावेज़

- FinDev कनाडा (2020)। लैंगिक समानता नीति, https://www.findevcanada.ca/sites/default/files/2020-07/FinDev%20Canada_Gender%20Policy_June%202019_EN.pdf से प्राप्त।
- MUFG (17 मई, 2019)। सूचना प्रकटीकरण नीति, https://www.bk.mufg.jp/global/productsandservices/corpandinvest/gcf.html से प्राप्त।
- FinDev कनाडा (अगस्त, 2019)। लैंगिक समानता रणनीति, https://www.findevcanada.ca/sites/default/files/2019-09/2019_137_gender_equality_strategy_en_final_0.pdf से प्राप्त।
- EDFI (अक्टूबर, 2020)। अपवर्जन सूची, file:///D:/Climate%20Horizons/Sponsors/Exclusion%20list/EDFI%20Exclusion%20list%20October%202020.pdf से प्राप्त।
- MUFG (24 नवंबर, 2020)। GCF परियोजनाओं/कार्यक्रमों के लिए लिंग नीति, https://www.bk.mufg.jp/global/productsandservices/corpandinvest/gcf.html से प्राप्त।

वेबसाइट्स

- *कार्रवाई हस्ताक्षरकर्ताओं में विविधता।* (n.d.). Ilpa.org. 19 मई, 2022 को https://ilpa.org/ilpa_diversityinaction-signatories/ से प्राप्त।
- *पेरिस समझौता।* (n.d.). Unfcc.int. 19 मई, 2022 को https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement से प्राप्त।